VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएं

(अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 तक)

DELHI | JAIPUR | HYDERABAD | PUNE | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI | RANCHI | ALLAHABAD | BHOPAL

विषय–सूची

1 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture and Farmers Welfare)

1.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Scheme in News) 6

1.1.1. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: PMFBY) 7

1.1.2. प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पी.एम.–किसान) (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme: PM-KISAN) 9

1.1.3. एकीकृत बाग़वानी विकास मिशन (Mission for Integrated Development of Horticulture: MIDH) 8

2 रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (Ministry of Chemicals and Fertilizers)

2.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Scheme in News) 12

2.1.1. औषध उद्योग का सुदृढ़ीकरण योजना (Scheme Strengthening of Pharmaceutical Industry: SPI) 12

3 संचार मंत्रालय (Ministry of Communications)

3.1. शुरू की गई नई योजनाएं (Newly Launched Scheme) 14

3.1.1. दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष योजना (Telecom Technology Development Fund Scheme) 14

4 नागर विमानन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation)

4.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Scheme in News) 16

4.1.1. उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान)/ क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS) {Ude Desh Ka Aam Naagrik (Udan)/Regional Connectivity Scheme (RCS)} 15

4.2. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं/ पहलें (Other Schemes/Initiatives in News) 18

5 उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution)

5.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Scheme in News) 19

5.1.1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम {National Food Security Act (NFSA), 2013} 20

6 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry)

6.1. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं/पहलें (Other Schemes/ Initiatives in News) 21

7 रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence)

7.1. शुरू की गई नई योजना (Newly Launched Scheme) 23

7.1.1. अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) 23

7.2. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं/पहलें (Other Schemes/Initiatives in News) 24

8 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (Ministry of Earth Sciences)

8.1. सुर्ख़ियों में रही अन्य पहलें/योजनाएं (Other schemes/initiatives in news) 26

9 शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education: MOE)

9.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News) 27

9.1.1. समग्र शिक्षा– स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना (Samagra Shiksha-An Integrated Scheme for School Education) 27

9.2. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं/पहलें (Other Schemes/ Initiatives in News) 30

10 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change: MOEF&CC)

10.1. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं/पहलें (Other Schemes/Initiatives in News) 33

11 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology)

11.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News) .35

11.1.1. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम (Digital India Programme) 35

11.2. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं/पहलें (Other Schemes/Initiatives in News) 36

12 वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance)

12.1. शुरू की गई नई योजनाएं (Newly launched scheme).......39

12.2. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News) 39

12.2.1. स्टैंड-अप इंडिया योजना (Stand-up India Scheme).......39

12.3. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं/पहलें (Other Schemes/Initiatives in News).......42

13 मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying)

13.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)46

13.1.1. राष्ट्रीय गोकुल मिशन {Rashtriya Gokul Mission: RGM)}.......46

13.1.2. प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) योजना {Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) Scheme}.......48

14 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (Ministry of Food Processing Industries: MoFPI)

14.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News) 50

14.1.1. प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना (Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises: PMFME) 50

14.1.2. प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana: PMKSY).......51

15 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare: MoHFW)

15.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News) 54

15.1.1. प्रधान मंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABIM).......54

15.2. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं/पहलें (Other Schemes/ Initiatives in News).......56

16 भारी उद्योग मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries)

16.1. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं/पहलें (Other Schemes/ Initiatives in News).......58

17 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs: MoHUA)

17.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News) 59

17.1.1. प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban: PMAY-U).......59

17.1.2. दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन {(Deen Dayal Antyodaya Yojana-Urban (National Urban Livelihoods Mission: DAY-NULM)}.......60

17.1.3. स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 (SMG 2.0).......62

17.1.4. स्मार्ट सिटी मिशन (Smart Cities Mission).......64

17.2. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं/पहलें (Other Schemes/Initiatives in News).......66

18 जल शक्ति मंत्रालय (Ministry of Jal Shakti)

18.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News) 67

18.1.1. जल जीवन मिशनः हर घर जल {Jal Jeevan Mission (JJM): Har Ghar Jal}.......67

18.1.2. नमामि गंगे योजना (Namami Gange Yojana).......69

19 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment)

19.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News) 73

19.1.1. राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (National Child Labour Project: NCLP).......73

20 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises)

20.1. शुरू की गई नई योजनाएं (Newly Launched Schemes).......75

20.2. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News). 75

20.2.1. सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (Micro & Small Enterprises Cluster Development Programme: MSE-CDP).......75

20.2.2. प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PM Employment Generation Programme: PMEGP).......77

20.3. संशोधित/पुनर्गठित योजनाएं (Modified/Restructured schemes).......78

20.4. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं/पहलें (Other Schemes/Initiatives in News).......79

© Vision IAS

21 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (Ministry of Minority Affairs)

21.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News) ..81

21.1.1. प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram: PMJVK) 81

21.1.2. प्रधान मंत्री विरासत का संवर्धन (PM VIKAS) योजना {Pradhan Mantri Virasat Ka Samvardhan (PM Vikas) Scheme}..82

22 पंचायती राज मंत्रालय (Ministry of Panchayati Raj)

22.1. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं/पहलें (Other schemes/ initiatives in news) 85

23 पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (Ministry of Ports, Shipping and Waterways)

23.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News) 86

23.1.1. सागरमाला (Sagarmala)..................86

24 विद्युत मंत्रालय (Ministry of Power)

24.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News) 89

24.1.1. संशोधित वितरण क्षेत्रक योजना (Revamped Distribution Sector Scheme:RDSS)................................89

24.2. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं/पहलें (Other Schemes/ Initiatives in News)............... 91

25 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways)

25.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News) 92

25.1.1. भारतमाला परियोजना कार्यक्रम (Bharatmala Pariyojana programme)....................................92

26 ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development)

26.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News).94

26.1.1. दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (Deendayal Antyodaya Yojana - National Rural Livelihoods Mission: DAY-NRLM).94

26.1.2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (या अधिनियम, 2005) {Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee (MGNREG)Scheme (or Act, 2005)}..96

27 कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (Ministry of Skill Development & Entrepreneurship)

27.1. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं/पहलें (Other Schemes/Initiatives in News)................... 99

28 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment)

28.1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Schemes)................................ 100

28.1.1. मशीनीकृत सैनिटेशन इकोसिस्टम के लिए राष्ट्रीय योजना– नमस्ते (National Action Plan for Mechanized Sanitation Ecosystem& NAMASTE).............. 100

28.1.2. लक्षित क्षेत्रों के उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (श्रेष्ठ) (Scheme for Residential Education for Students in High schools in Targeted Areas: SHRESTHA)........................103

28.2. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)104

28.2.1. स्माइल–वंचित व्यक्तियों के लिए आजीविका और उद्यम सहायता योजना {SMILE: Support for Marginalised Individuals for Livelihood and Enterprise} ..104

28.3. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं/ पहलें (Other Schemes/ Initiatives in News)...............106

29 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation)

29.1. संशोधित/ पुनर्गठित योजनाएं (Modified/Restructured schemes)........108

29.1.1. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (Members of Parliament Local Area Development Scheme: MPLADS)... 108

30 वस्त्र मंत्रालय (MINISTRY OF TEXTILES)

30.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in news) 110

30.1.1. पी.एम. मित्र/PM MITRA (प्रधान मंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल) पार्क {PM MITRA (Pradhan Mantri Mega Integrated Textile Region and Apparel) Park}......................110

30.2. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं/ पहलें (Other schemes/ initiatives in news)...111

© Vision IAS

31 पर्यटन मंत्रालय (Ministry of Tourism: MoT)

31.1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Schemes) 112

31.1.1. स्वदेश दर्शन 2.0 Swadesh Darshan 2.0 (SD2.0).. 112

32 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development)

32.1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Schemes) 115

32.1.1. मिशन शक्तिः एक एकीकृत महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम (Mission Shakti: An integrated women empowerment programme)....... 115

32.1.1.1. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (Beti Bachao Beti Padhao: BBBP).. 119

32.1.2. सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (Saksham Anganwadi and Poshan 2-0)... 121

32.1.3. मिशन वात्सल्य (Mission Vatsalya) 123

33 नीति आयोग (Niti Aayog)

33.1. हाल ही में शुरू की गई नई योजनाएं (Newly Launched Schemes) 126

33.2. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं/ पहलें (Other schemes/initiatives in news) 126

© Vision IAS

नोट:

पढ़ना आसान बनाने और अभ्यर्थियों को अपने समय का सबसे कुशल तरीके से उपयोग करने में मदद करने के लिए, इस वर्ष भी हम सरकारी योजनाओं के डॉक्यूमेंट के दो सेट जारी करेंगे।

* **2022–23 के दौरान सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएं:** इस डॉक्यूमेंट में वे सभी योजनाएं शामिल हैं, जो पिछले एक साल में सुर्ख़ियों में थीं।
* **सरकारी योजनाएं कॉम्प्रिहेंसिव:** इसमें अलग–अलग मंत्रालयों द्वारा शुरू की गई सभी योजनाएं शामिल हैं।

साथ ही, महत्वपूर्ण बिंदुओं को बेहतर तरीके से याद रखने के लिए, **सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएं** डॉक्यूमेंट में सरकारी योजनाओं को आगे तीन उप प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है।

* **हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं:** वे योजनाएं जिन्हें अप्रैल, 2022 से अप्रैल, 2023 तक शुरू किया गया था।
* **संशोधित/पुनर्गठित योजनाएं:** इस श्रेणी में, हमने योजनाओं में किए गए हाल के संशोधनों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला है।
* **सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं:** इसमें मौजूदा योजनाओं को शामिल किया गया है, जो योजना के मूल्यांकन या अवधि के पूरा होने आदि जैसे विविध कारणों से सुर्ख़ियों में थीं। योजना के सुर्ख़ियों में रहने के कारण का अलग से उल्लेख किया गया है।

विषय/ टॉपिक की आसान समझ के लिए इन्फोग्राफिक्स को शामिल किया गया है। यह सीखने और समझने के अनुभव को आसान बनाता है तथा पढ़े गए विषय/ कंटेंट को लंबे समय तक याद रखना सुनिश्चित करता

आसानी से रिवीजन करने के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए **आइकॉन्स** जोड़े गए हैं, अर्थात्,

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना **केंद्र प्रायोजित योजना**

अभ्यर्थी द्वारा सीखी और समझी गई अवधारणाओं के परीक्षण के लिए **QR आधारित स्मार्ट क्विज़** को शामिल किया गया है।

QUIZ ? SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस **QR** कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

1. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture and Farmers Welfare)

1.1. सुर्खियों में रही योजनाएं (Scheme in News)

1.1.1. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: PMFBY)

केंद्र प्रायोजित योजना

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, **आंध्र प्रदेश** फिर से PMFBY में शामिल हो गया है। आंध्र प्रदेश उन छह राज्यों में से एक था, जिन्होंने इस योजना के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी। इस योजना के कार्यान्वयन पर रोक लगाने वाले अन्य 5 राज्य हैं; **बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात और तेलंगाना।**

स्मरणीय तथ्य

प्रकार
यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना है।**

प्रकृति
यह योजना ऋणी किसानों सहित सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक प्रकृति की है।

अन्य उद्देश्य
बुवाई के पहले से लेकर कटाई के बाद तक फसल बीमा प्रदान करना।

लाभार्थी
सभी किसान (बटाईदार और काश्तकार सहित) इस योजना के पात्र हैं।

उद्देश्य

- प्राकृतिक कारकों से फसल को हुए नुकसान के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और **स्थायी आय सुनिश्चित करना।**
- **नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों एवं फसल विविधीकरण को अपनाना।**

प्रमुख विशेषताएं

सम्मिलित की गई फसल बीमा योजनाएं
- इसने **राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS)** और **संशोधित NAIS को प्रतिस्थापित** किया है।
- **पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा** योजना (Restructured Weather–Based Crop Insurance Scheme: RWBCIS) जारी रखी गई है।

किसानों द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम की दरें
- प्रीमियम का भुगतान **बीमित राशि के प्रतिशत के रूप में या बीमांकिक प्रीमियम दर** (Actuarial Premium Rate: APR), जो भी कम हो, के रूप में किया जाता है।
  - APR, बीमा कंपनियों द्वारा निर्धारित प्रीमियम दर है।
- **5%** वाणिज्यिक/बागवानी फसलें
- **2%** खरीफ फसल के लिए
- **1.5%** रबी फसल के लिए

© Vision IAS

केंद्र सरकार द्वारा भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम

90% पूर्वोत्तर राज्यों के लिए

50% अन्य राज्यों के लिए

APR के प्रतिशत के रूप में केंद्र के हिस्से की ऊपरी सीमा

APR का 30% वर्षा सिंचित क्षेत्रों एवं फसलों के लिए

APR का 25% सिंचित क्षेत्रों एवं फसलों के लिए

प्रीमियम का भुगतान **बीमित राशि के % या APR, जो भी कम हो,** के रूप में किया जाता है।
APR बीमा कंपनियों द्वारा निर्धारित प्रीमियम दर है।

फसल की कुल बीमित राशि

MSP वाली फसलें

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश या तो प्रति इकाई खेती वाले क्षेत्र में फसल उगाने के लिए निर्धारित **आवश्यक वित्त (स्केल ऑफ फाइनेंस)** या MSP पर परिकल्पित **औसत उपज के जिला स्तर मूल्य** का चयन कर सकते हैं।

बिना MSP वाली फसलें

इसे **फार्म गेट प्राइस** (किसानों को उनके फसलों के लिए उनके इलाके में मिलने वाले मूल्य) के आधार पर तय किया जाता है।

क्षेत्र दृष्टिकोण पर आधारित

क्षेत्र दृष्टिकोण अर्थात् 'बीमा इकाई (IU)' में सभी किसानों को समान जोखिम का सामना करना पड़ता है।

- **प्रमुख फसलों के लिए IU:** ग्राम/ ग्राम पंचायत
- **अन्य फसलों के लिए IU:** ग्राम/ ग्राम पंचायत के स्तर से ऊपर आकार की एक इकाई।

तकनीक

स्मार्ट फोन और रिमोट सेंसिंग का उपयोग।

जोखिम का कवरेज और अपवर्जन (अर्थात् जिन्हें जोखिम में शामिल नहीं किया गया है)

मूल कवरेज (अनिवार्य)

सूखा, शुष्क अवधि, बाढ़, जलप्लावन जैसे **गैर–रोकथाम योग्य जोखिमों** के कारण **उपज हानि** (बुवाई से कटाई तक) को कवर किया जाएगा।

ऐड–ऑन कवरेज (राज्यों का विवेकाधिकार)

बुवाई/ रोपाई/ अंकुरण से संबंधित जोखिम आदि से बचने के लिए कवरेज।

सामान्य अपवर्जन (General Exclusions)

युद्ध और परमाणु जोखिमों, दुर्भावनापूर्ण क्षति तथा रोकथाम योग्य अन्य जोखिमों से हुए नुकसान को कवर नहीं किया जाएगा।

अन्य प्रावधान

- **आधार का होना अनिवार्य है।**
- **राज्य अपनी बीमा कंपनियां स्थापित कर सकते हैं।**
- बीमा कंपनियों को 3 वर्ष के लिए व्यवसाय का आवंटन किया जाएगा।

1.1.2. प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पी.एम.-किसान) (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme: PM-KISAN)

केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना

NEWS सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने पी.एम.किसान योजना की 12वीं किस्त की राशि जारी की है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से पात्र किसानों को 16,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं।

© Vision IAS

प्रकार
यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।

अन्य उद्देश्य:
अलग-अलग कृषि आदानों (इनपुट्स) की खरीद के लिए सभी भूमि धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना।

स्मरणीय तथ्य

लाभार्थी
कुछ अपवादों को छोड़कर सभी भूमि-धारक किसान।

लाभ
इसके तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष, प्रत्येक चार महीने में 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाते हैं।

उद्देश्य

सभी पात्र भूमि धारक किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताएं

परिवार की परिभाषा
पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे।

किसान परिवार जिन्हें योजना से बाहर रखा गया है

- सभी संस्थागत भूमि धारक।
- संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक।
- शासन के तीनों स्तरों पर पूर्व और वर्तमान विधि निर्माता।
- पिछले आकलन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति।
- डॉक्टर, इंजीनियर जैसे पेशेवर।
- सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी।
- पेंशनभोगी, जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपये या उससे अधिक है।

(उपरोक्त अंतिम दो) मल्टी टास्किंग स्टाफ/ चतुर्थ श्रेणी/ ग्रुप-डी के कर्मचारियों को छोड़कर।

भूमि का अनिवार्य रिकॉर्ड
अपवादः वनवासी, पूर्वोत्तर राज्य और झारखंड जहां भूमि रिकॉर्ड के लिए अलग प्रावधान हैं।

सत्यापन

भौतिक सत्यापन मॉड्यूल: प्रत्येक वर्ष 5 प्रतिशत लाभार्थियों का सत्यापन	आधार का प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य	आयकर दाता डेटाबेस के साथ सत्यापन

अल्पकालिक ऋण
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से समय पर पुनर्भुगतान करने पर अधिकतम 4% ब्याज के साथ फसल और पशु/मछली पालन के लिए ऋण दिया जाता है।

© Vision IAS

स्व-पंजीकरण तंत्र	मोबाइल ऐप, पी.एम. किसान पोर्टल और कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs) के जरिये वॉक–इन के माध्यम से।
राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश की जिम्मेदारी	लाभार्थी किसान परिवारों की **पहचान करना**।

1.1.3. एकीकृत बाग़वानी विकास मिशन (Mission for Integrated Development of Horticulture: MIDH)

केंद्र प्रायोजित योजना

सुर्खियों में क्यों?

एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के तहत बागवानी फसलों के लिए तीन उत्कृष्टता केंद्रों (CoE) को मंजूरी दी गई है।

स्मरणीय तथ्य

प्रकार: यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

अन्य उद्देश्य: देश में बागवानी का समग्र विकास करना।

सहायता: प्रमुख हस्तक्षेपों/ उपायों के लिए राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

कवरेज: इसमें सभी राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश कवर किए गए हैं।

उद्देश्य

बागवानी उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, किसानों के समूहन (Aggregation) को प्रोत्साहित करना और उनके कौशल विकास का समर्थन करना।

प्रमुख विशेषताएं

कवर की गई फसलें

© Vision IAS

वित्त-पोषण साझेदारी

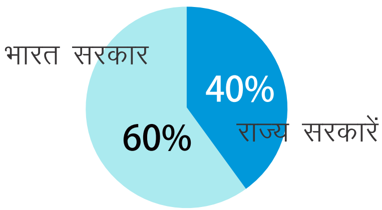

पूर्वोत्तर और हिमालयी क्षेत्र के राज्यों को छोड़कर सभी राज्य

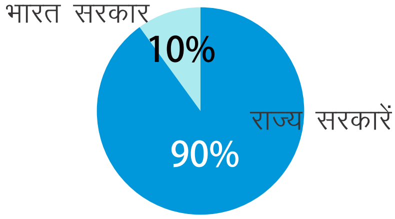

पूर्वोत्तर और हिमालयी क्षेत्र के राज्य

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB), नारियल विकास बोर्ड (CDB), केंद्रीय बागवानी संस्थान (CIH), नागालैंड और राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों (NLAs) के मामले में केंद्र 100% योगदान करेगा।

राज्यों को सहायता

- नर्सरी, टिश्यू कल्चर इकाइयों की स्थापना
- नए बागों और उद्यानों की स्थापना
- जैविक कृषि और प्रमाणन
- जल संभर प्रबंधन
- मधुमक्खी पालन
- अनुत्पादक बागों का कायाकल्प
- किसानों का प्रशिक्षण
- मार्केटिंग अवसंरचना

उप-योजनाएं

राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM):	पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB)	नारियल विकास बोर्ड {Coconut Development Board (CDB)}	केंद्रीय बागवानी संस्थान, नागालैंड
क्षेत्र आधारित व स्थानीय रूप से विभेदीकृत रणनीतियों के माध्यम से बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना।	यह एक तकनीकी मिशन है, जो गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री के उत्पादन, जैविक कृषि, कुशल जल प्रबंधन इत्यादि पर केंद्रित है।	बोर्ड द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं को लागू किया जा रहा है।	नारियल विकास बोर्ड द्वारा देश के सभी नारियल उत्पादक राज्यों में MIDH के तहत विभिन्न योजनाओं को लागू किया जा रहा है।	इसे 2006–07 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसानों और क्षेत्रीय अधिकारियों की क्षमता के निर्माण तथा प्रशिक्षण के माध्यम से तकनीकी सहयोग प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था।

तकनीकी सलाह और प्रशासनिक सहायता

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)/ सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन (NMSA) के तहत केसर मिशन और बागवानी से संबंधित अन्य गतिविधियों के लिए राज्य सरकारों/ राज्य बागवानी मिशनों (SHM) को सहायता।

© Vision IAS

MIDH के अधीन अन्य पहलें

चमन (CHAMAN) (जियोइंफॉर्मेटिक का उपयोग करके समन्वित बागवानी मूल्यांकन और प्रबंधन)

- प्रमुख राज्यों (12 राज्यों, 185 जिलों) के चयनित जिलों में **7 प्रमुख बागवानी फसलों** का क्षेत्र मूल्यांकन और उत्पादन पूर्वानुमान।
- **प्रमुख फसलें:**

आम | केला | चकोतरा | आलू | प्याज | मिच | टमाटर

- कार्य योजनाएं तैयार करने हेतु **भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) और रिमोट सेंसिंग डेटा** का उपयोग।

हॉर्टनेट (HORTNET)

- हॉर्टनेट परियोजना MIDH के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वेब सक्षम कार्य प्रवाह आधारित प्रणाली है।
- **इसे राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM) के अंतर्गत ई–गवर्नेंस के संपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संचालित** किया गया है। साथ ही, इसके अंतर्गत कार्यप्रवाह की सभी प्रक्रियाओं में पूर्ण पारदर्शिता की परिकल्पना की गई है, यथा– ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण, प्रमाणीकरण, प्रक्रम और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से लाभार्थी के

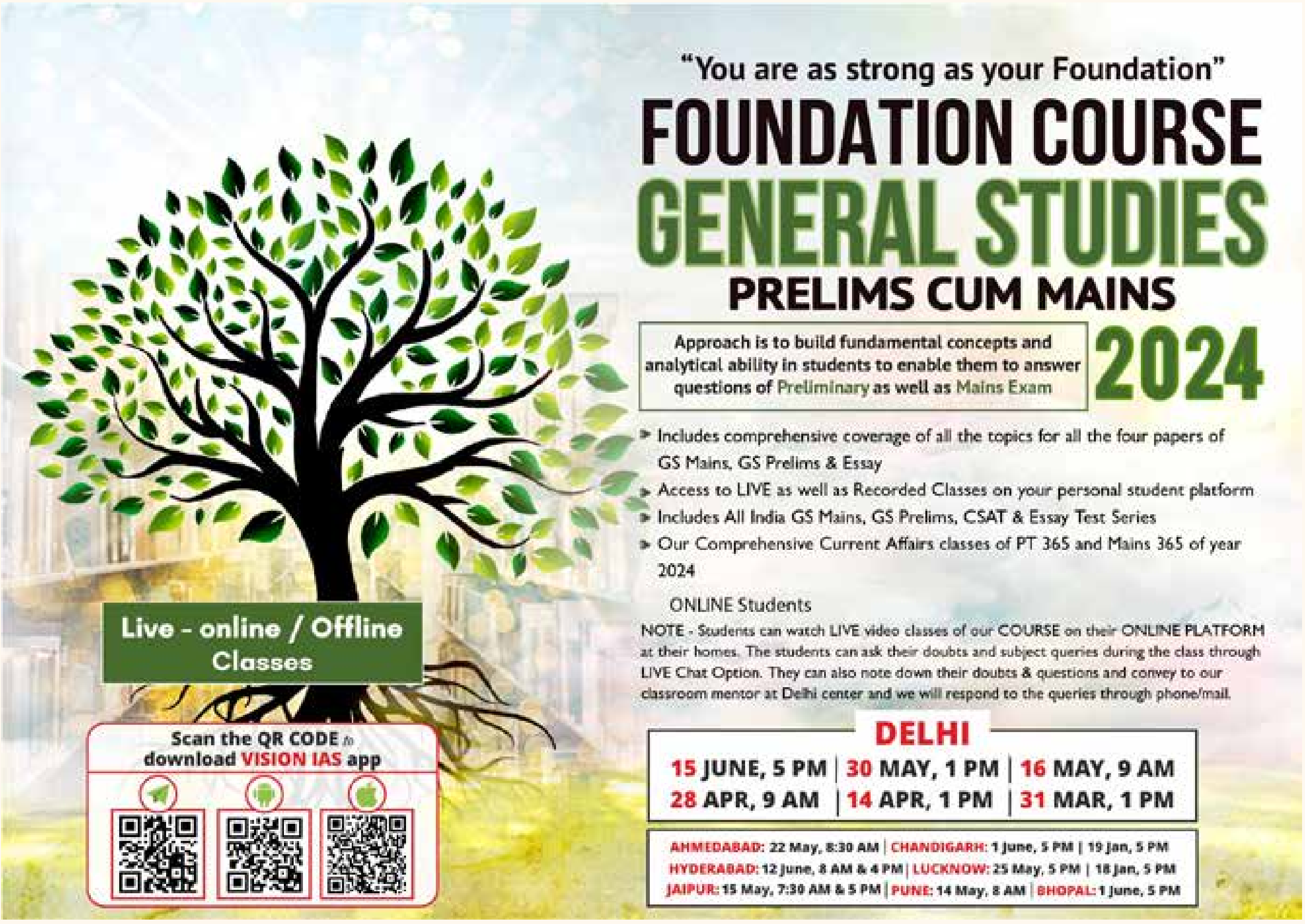

2. रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS)

2.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Scheme in News)

2.1.1. औषध उद्योग का सुदृढ़ीकरण योजना (Scheme Strengthening of Pharmaceutical Industry: SPI)

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

सुर्ख़ियों में क्यों?

औषध विभाग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से SPI योजना में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कहा है।

स्मरणीय तथ्य

अन्य उद्देश्य
भारत को फार्मा (औषध) क्षेत्रक में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाना।

लाभ
यह योजना मौजूदा फार्मा क्लस्टर्स और MSMEs को उनकी उत्पादकता, गुणवत्ता एवं संधारणीयता में सुधार के लिए सहायता करेगी।

योजनावधि
वित्त वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक।

परियोजनाओं की मंजूरी
औषध विभाग के सचिव की अध्यक्षता में योजना संचालन समिति (SSC) द्वारा मंजूरी दी जाएगी।

उद्देश्य

भारत को **फार्मा (औषध) क्षेत्रक में** वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने के लिए **मौजूदा बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना।**

प्रमुख विशेषताएं

सामान्य सुविधाएं: **सभी सुविधाओं का साझा उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया गया है,** उदाहरण के लिए– सामान्य परीक्षण केंद्र; प्रशिक्षण केंद्र; अनुसंधान एवं विकास केंद्र आदि।

© Vision IAS

3 घटक

- **सामान्य सुविधाओं के लिए औषध उद्योग को सहायता (API–CF)**
  - **अनुमोदित परियोजना लागत का** 70% (हिमालयी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 90%) या 20 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, तक की सहायता।
- **औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना** (PTUAS)
  - अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 10% की **पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी।**
  - **3 वर्ष की न्यूनतम पुनर्भुगतान अवधि या शेष राशि को कम करने पर** 5% (SC/ ST के स्वामित्व वाली इकाइयों के मामले में 6%) तक की ब्याज सहायता।
  - राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विनियामक मानकों (WHO–GMP या अनुसूची–M) को पूरा करने में SMEs तथा MSMEs की मदद करना।
- **औषध और चिकित्सा उपकरण संवर्धन तथा विकास योजना** (PMPDS)
  - **अध्ययन/सर्वेक्षण रिपोर्ट, जागरूकता कार्यक्रम, डेटाबेस के निर्माण और उद्योग को बढ़ावा देने** के माध्यम से विकास की सुविधा प्रदान करना।

3. संचार मंत्रालय (Ministry of Communications)

3.1. शुरू की गई नई योजनाएं (Newly Launched Scheme)

3.1.1. दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष योजना (Telecom Technology Development Fund Scheme)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, **सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि** (USOF) ने दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष योजना शुरू की है।

स्मरणीय तथ्य

किसके द्वारा शुरू की गई

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (USOF), यह दूरसंचार विभाग के अधीन कार्यरत है।

अन्य उद्देश्य

देश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में वहनीय दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करना।

पात्रता

केवल कुछ भारतीय संस्थाएं ही इस कोष से सहायता पाने के लिए पात्र हैं।

वित्त–पोषण

USOF से वार्षिक संग्रह का 5% या सरकार द्वारा तय की गई किसी भी राशि को इस उद्देश्य के लिए आवंटित किया जाएगा।

उद्देश्य

ग्रामीण और दूर–दराज के क्षेत्रों के लिए दूरसंचार प्रौद्योगिकियों का विकास करना, अनुसंधान के लिए कार्यप्रणाली को बढ़ावा देना, हितधारकों के बीच तालमेल और क्षमताओं का निर्माण करना तथा दूरसंचार उत्पादों का व्यवसायीकरण करना।

प्रमुख विशेषताएं

प्रौद्योगिकी डोमेन जिन्हें शामिल किया जाएगा

प्रौद्योगिकी डोमेन

- 'इंडिया 5G स्टैक' के तहत 5G का विकास
- 6G और उससे आगे की प्रौद्योगिकी विकास
- IoT और 'oneM2M' का विकास
- विभिन्न अनुसंधान कार्यक्रमों के तहत अन्य दूरसंचार प्रौद्योगिकियां
- उद्यमिता प्रकोष्ठ (शुरुआती चरण के स्टार्ट–अप्स के लिए)
- अनुसंधान छात्रवृत्ति कार्यक्रम

© Vision IAS

मानकीकरण	देशव्यापी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए **मानक** विकसित करना और अनुसंधान, डिजाइन आदि के लिए परिवेश का निर्माण करना।
परियोजना की अवधि	प्रोजेक्ट की समय–सीमा **आम तौर पर दो वर्षों** तक की होती है। हालांकि, इसे आवेदक के परामर्श से **परियोजना–वार तय** किया जा सकता है। **एक बार में छह माह तक का विस्तार** किया जा सकता है।
माइलस्टोन आधारित निधि जारी करना	निधि को एक समर्पित **नो–लिएन** (No lien) खाते में जारी किया जाएगा। **नो–लिएन खाता** एक ऐसा बैंक खाता होता है, जहां बैंक खाताधारक के पैसे को ब्लॉक नहीं कर सकता है।
परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU)	सभी प्रस्तावों को प्राप्त करने, आवेदनों की स्क्रीनिंग करने आदि के लिए USOF के तहत कार्य करना। संपूर्ण योजना की **वर्ष में दो बार समीक्षा के लिए शीर्ष समिति के साथ समन्वय करना।**
राष्ट्र हित की रक्षा करना	तकनीकी ज्ञान/ बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPRs)/ प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण या वाणिज्यीकरण का लाइसेंस देते समय अनुदानग्राही संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि **भारत और उसके नागरिकों के हितों की पूरी तरह से रक्षा की जाए।**
सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (USOF)	**उद्देश्यः** देश के ग्रामीण और दूर–दराज क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण एवं वहनीय मोबाइल व डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना। **अध्यक्षताः** USO निधि का प्रशासक, जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। **शासितः** इसे भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा शासित किया जाता है।

© Vision IAS

4. नागर विमानन मंत्रालय (MINISTRY OF CIVIL AVIATION)

4.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

4.1.1. उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान)/ क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS) {Ude Desh Ka Aam Naagrik (Udan)/ Regional Connectivity Scheme (RCS)}

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय वायु सेना ने RCS उड़ान के तहत असैन्य उड़ानों के संचालन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) को 7 स्थानों पर रक्षा भूमि सौंपी है। इन स्थानों में **बागडोगरा, दरभंगा, आदमपुर, उतरलाई, सरसावा, कानपुर और गोरखपुर** शामिल हैं।

स्मरणीय तथ्य

प्रकार
यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।

अन्य उद्देश्य
हवाई सेवा के माध्यम से छोटे और मध्यम शहरों को बड़े शहरों से जोड़ना।

एयरलाइंस को सहायता
यह सहायता रियायतों और व्यवहार्यता अंतराल वित्त–पोषण (VGF) के रूप में प्रदान की जाएगी।

कार्यान्वयन एजेंसी
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI)

उद्देश्य

टियर II और टियर III शहरों में उन्नत विमानन अवसंरचना और एयर कनेक्टिविटी के साथ आम नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा करना।

प्रमुख विशेषताएं

किराया निर्धारण

- फिक्स्ड–विंग एयरक्राफ्ट से एक घंटे की यात्रा **या हेलीकॉप्टर से 30 मिनट तक 500 कि.मी. की यात्रा के लिए 2,500 रुपये किराया निर्धारित किया गया है।**

सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएं

© Vision IAS

रियायती दरों पर सीटें

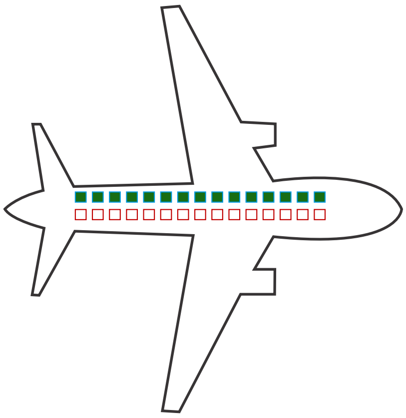

एयरलाइंस को 50% सीटें (न्यूनतम 9 और अधिकतम 40 सीटें) रियायती दरों पर उपलब्ध करानी होती हैं। शेष 50% सीटों का मूल्य बाजार दर पर निर्धारित किया जाता है।

मांग और बाजार आधारित मॉडल

- **यह केवल उन राज्यों और हवाईअड्डों/ एयरोड्रम/ हेलीपैड्स में** उपलब्ध है, जो योजना में **आवश्यक रियायतें प्रदान करके योजना हेतु प्रतिबद्ध** हैं और सहायता प्रदान करते हैं।

व्यवहार्यता अंतराल वित्त-पोषण (VGF)

- **VGF संचालन शुरू होने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा।**
- इसके तहत केंद्र, घरेलू एयरलाइंस की प्रत्येक डिपार्टिंग फ्लाइट (प्रस्थान करने वाली उड़ान) पर 8,500 रुपये तक का शुल्क (**levy**) लगाएगा। शुल्क से प्राप्त की गई राशि के ज़रिए **VGF** का 80% हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
- **VGF** का शेष 20% हिस्सा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किया जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों के अतिरिक्त, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह 10% है।

एयरलाइंस को अन्य रियायतें

- **राज्य सरकारों** द्वारा निःशुल्क सुरक्षा और अग्निशमन सेवा, रियायती दरों पर सुविधाएं, **RCS** विमानपत्तनों के लिए निःशुल्क भूमि आदि प्रदान किया जाना आवश्यक होगा।
- **विमानपत्तन/ एयरोड्रम/ हेलीपैड ऑपरेटर: RCS** के तहत उड़ान के लिए कोई लैंडिंग शुल्क, पार्किंग शुल्क और टर्मिनल नेवीगेशन लैंडिंग शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

संभावित लाभ

- व्यापार और पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि एवं रोजगार सृजन करना।

© Vision IAS

4.2. सुर्खियों में रही अन्य योजनाएं/ पहलें (Other Schemes/ Initiatives in News)

डिजी यात्रा ऐप

- हाल ही में, दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने डिजी यात्रा (DY) ऐप का बीटा संस्करण जारी किया है।
- **उद्देश्य:** इस परियोजना का मूल विचार यह है कि **कोई भी यात्री बिना किसी कागज के या पहचान की जांच किए बिना अलग–अलग चेक पॉइंट्स से गुजर सके।**
- इस परियोजना के तहत प्रत्येक यात्री को एक विशिष्ट **डिजी यात्रा आई.डी. प्रदान की जाएगी।**
- **डिजी यात्रा सेंट्रल इकोसिस्टम बनाने के लिए डिजी यात्रा फाउंडेशन (DYF) की स्थापना की गई है। DYF एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में कार्य करेगी।**

डिजी यात्रा के लाभ

- बोर्डिंग गेट तक पहुंचने में तेजी
- परेशानी मुक्त यात्रा
- अधिक सुरक्षा
- फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी
- डेडिकेटेड गेट
- संपर्क रहित प्रक्रिया

क्षेत्र के कुशल कारीगरों के लिए स्थान के रूप में हवाई अड्डा (अवसर/ AVSAR) योजना {Airport as Venue for Skilled Artisans Of The Region (AVSAR) scheme}

जारीकर्ता: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI)

उद्देश्य: AAI ने अपने हवाई अड्डों पर स्वयं–सहायता समूहों (SHGs) को अपने क्षेत्र के स्व–निर्मित उत्पादों की बिक्री एवं प्रदर्शन के लिए स्थान आवंटित करने की पहल की है।

- SHGs को एक–एक कर 15 दिनों की अवधि के लिए यह स्थान आवंटित किया जाएगा।

© Vision IAS

5. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution)

5.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

केंद्र प्रायोजित योजना

5.1.1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम {NATIONAL FOOD SECURITY ACT (NFSA), 2013}

सुर्ख़ियों में क्यों?

सभी पात्र परिवारों को 2023 तक निःशुल्क चावल, गेहूं और मोटे अनाज उपलब्ध कराने के लिए **प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना** (PM-GKAY) की शुरुआत की गई थी।

स्मरणीय तथ्य

प्रकार

केंद्र प्रायोजित योजना

अन्य उद्देश्य:

मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में **खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान** करना।

कवरेज

NFSA के तहत देश की 67 प्रतिशत आबादी को कवर किया गया है। इसमें 75 प्रतिशत ग्रामीण और 50 प्रतिशत शहरी आबादी शामिल है।

परिवार की पहचान करना

यह 2011–12 के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के घरेलू उपभोग सर्वेक्षण डेटा का उपयोग करके निर्धारित किया गया था।

उद्देश्य

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (**TPDS**) के तहत रियायती मूल्य (जिसे केंद्रीय निर्गम मूल्य/**CIPs** कहा जाता है) पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए **"पात्र परिवारों"** से संबंधित व्यक्तियों को **कानूनी अधिकार** प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताएं

जीवन-चक्र दृष्टिकोण

- **6 महीने से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे**: 6 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों के लिए उच्च पोषण मानदंड निर्धारित किए गए हैं।
- **स्तनपान कराने वाली माताएं**
- **गर्भवती महिलाएं**: आंशिक वेतन मुआवजे के लिए न्यूनतम 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ।

सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएं

© Vision IAS

लाभ

अंत्योदय अन्न योजना
35 कि.ग्रा. प्रति परिवार प्रति माह

प्राथमिकता प्राप्त परिवार
5 कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति प्रति माह

- चावल 3 रुपये प्रति कि.ग्रा.
- गेहूं 2 रुपये प्रति कि.ग्रा.
- मोटा अनाज 2 रुपये प्रति कि.ग्रा.

अन्य लाभ

खाद्य सुरक्षा भत्ता: पात्र होने के बावजूद खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति न होने की स्थिति में लाभार्थियों को

महिला सशक्तिकरण: राशन कार्ड घर की सबसे बड़ी महिला (18 वर्ष या उससे अधिक) को जारी किया जाता है

शिकायत निवारण तंत्र: जिला और राज्य स्तर पर

दंड: जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा संस्तुत राहत के अनुपालन में विफल रहने पर लोक सेवक/प्राधिकारी को

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY)

- यह योजना 1 जनवरी, 2023 से 31 दिसंबर, 2023 तक **सभी पात्र परिवारों को निःशुल्क चावल, गेहूं और मोटे अनाज उपलब्ध कराने** के लिए शुरू की गई है।
  - NFSA की धारा 3 के तहत
  - NFSA की अनुसूची–1 के अनुसार, **केंद्र सरकार एक कार्यकारी आदेश द्वारा इन अनाजों के रियायती मूल्यों में बदलाव** कर सकती है।
  - हालांकि, परिवर्तित मूल्य **गेहूं और मोटे अनाज के लिए MSP और चावल के लिए व्युत्पन्न MSP से अधिक नहीं होना चाहिए।**

क्रियान्वयन

संयुक्त जिम्मेदारी

- **केंद्र की जिम्मेदारी**: अपेक्षित खाद्यान्नों का आवंटन, खाद्यान्नों की ढुलाई, भारतीय खाद्य निगम (FCI) के निर्दिष्ट गोदामों से उचित मूल्य की दुकानों (FPSs) तक खाद्यान्नों की आपूर्ति के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता
- **राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की जिम्मेदारी**: पात्र परिवारों की पहचान करने, उन्हें राशन कार्ड जारी करने जैसे प्रभावी कार्यान्वयन।

सुर्खियों में रही सरकारी योजनाएं

© Vision IAS

6. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY)

6.1. सुर्खियों में रही अन्य योजनाएं/ पहलें (Other Schemes/ Initiatives in News)

स्टार्ट-अप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS)

कोष: 945 करोड़ रुपये

आरंभ: 2021 में

उद्देश्य: यह स्टार्ट–अप्स को एंजेल निवेशकों या उद्यम पूंजीपतियों से निवेश जुटाने या वाणिज्यिक बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने में सक्षम बनाता है।

- इसके तहत पात्र **इन्क्यूबेटरों के माध्यम से** उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा **मान्यता प्राप्त स्टार्ट–अप्स को वित्तीय सहायता प्रदान** की जाती है।

निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना
- प्रूफ ऑफ़ कांसेप्ट (Proof of concept)
- प्रोटोटाइप विकास
- उत्पाद परीक्षण
- बाजार में प्रवेश
- व्यवसायीकरण/वाणिज्यीकरण

एक जिला एक उत्पाद (ODOP)

उद्देश्य: इस पहल का उद्देश्य देश के **सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है।**

इसके तहत देश के प्रत्येक जिले से एक उत्पाद का चयन, प्रचार और ब्रांडिंग करके जिलों की मदद की जाती है।

नोट: ODOP को सबसे पहले **उत्तर प्रदेश के 75 जिलों** में उत्पाद–विशिष्ट पारंपरिक औद्योगिक केंद्र बनाने के लिए शुरू किया गया था।

अग्रिम प्राधिकरण योजना (Advance Authorization Scheme: AAS)

- हाल ही में, DGFT **ने इस योजना के तहत अधिक मदों को शामिल करने के लिए 'निर्यात दायित्व विस्तार हेतु संरचना शुल्क' की प्रक्रिया को और सरल** बना दिया है।

लक्ष्य: यह योजना उन **इनपुट्स के लिए कर मुक्त आयात की अनुमति** देती है, जिन्हें निर्यात उत्पाद में भौतिक रूप से शामिल किया जाता है।

क्रियान्वयन: विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा

- इसके अतिरिक्त, यह योजना उन **पैकेजिंग सामग्री, ईंधन, तेल, उत्प्रेरक** आदि की भी अनुमति देती है, जिनका निर्यात किए जाने वाले उत्पाद के उत्पादन में उपभोग/ उपयोग किया जाता है।

© Vision IAS

निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना (Export Promotion Capital Goods scheme: EPCGS)

- केंद्र सरकार ने कुछ क्षेत्रकों के लिए **औसत निर्यात दायित्व को बनाए रखने से एकमुश्त छूट देने और निर्यात दायित्व अवधि बढ़ाने के लिए एक विकल्प** की घोषणा की है।
  - इस योजना के अंतर्गत पात्र क्षेत्रकों में **होटल, स्वास्थ्य देखभाल और शैक्षिक** क्षेत्रक शामिल हैं।
- यह छूट कोविड–19 महामारी के कारण हुई आर्थिक मंदी के मद्देनज़र प्रदान की गई है।

लक्ष्य: पूंजीगत वस्तुओं पर आयात शुल्क में छूट प्रदान करके वस्तुओं के 'निर्यात हेतु उत्पादन' को प्रोत्साहित करना।

प्रशासित (Administered by): विदेश व्यापार महानिदेशालय (**DGFT**) द्वारा

शासित (Governed by): भारत की विदेश व्यापार नीति (**FTP**) द्वारा।

- यह योजना भारत में **निर्यात उत्पादन के उद्देश्य से पूंजीगत वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति** देती है।

निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट योजना {Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP)}

- हाल ही में, सरकार ने RoDTEP योजना के तहत निर्यात लाभ में साड़ी और लुंगी सहित वस्त्र क्षेत्रक की 18 वस्तुओं को शामिल किया है।

उद्देश्य: निर्यातकों द्वारा भुगतान किये गए करों और शुल्कों, जैसे– स्थानीय करों, कोयला उपकर, मंडी कर आदि की क्षतिपूर्ति करना, जिन्हें किसी अन्य मौजूदा योजना के तहत छूट या रिफ़ंड नहीं मिल रहा है।

यह निर्यात की शून्य रेटिंग (Zero rating of exports) सुनिश्चित करता है अर्थात् निर्यात पर कर और शुल्क नहीं लगाए जाने चाहिए।

- इस योजना ने पूर्ववर्ती 'भारत से वस्तु निर्यात योजना' (MEIS) और 'रिबेट ऑफ़ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स एंड लेवीज़' (RoSCTL) का स्थान ग्रहण किया है।
  - MEIS के तहत वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए निर्यात सब्सिडी दी जाती थी, जो विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों का उल्लंघन था।
  - अंतर्निहित राज्य और केंद्रीय शुल्कों और करों के लिए RoSCTL पेश किया जाता था, जो वस्तु एवं सेवा कर (GST) के माध्यम से वापस नहीं किए जाते हैं।

© Vision IAS

7. रक्षा मंत्रालय (MINISTRY OF DEFENCE)

7.1. शुरू की गई नई योजना (Newly Launched Scheme)

7.1.1. अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme)

स्मरणीय तथ्य

अन्य उद्देश्य
समाज को कुशल जनशक्ति प्रदान करते हुए युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देना और सेना में अधिक युवाओं को भर्ती करना।

अग्निवीरों की पात्रता
उम्मीदवारों की आयु **17.5 वर्ष से 21 वर्ष के बीच** होनी चाहिए। साथ ही, उन्हें अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करना चाहिए।

विधि
अल्पकालिक भर्ती मॉडल या 'टूर ऑफ ड्यूटी' **(ToD)**

लाभ
नागरिक समाज में युवाओं को सैन्य लोकाचार के साथ सशक्त, अनुशासित और निपुण बनाना।

उद्देश्य

इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
- सशस्त्र बलों में अधिक युवाओं की भर्ती करना,
- युवा प्रतिभा को आकर्षित करना, और
- यह सुनिश्चित करना कि युवा हमेशा राष्ट्र की अमूल्य धरोहर बने रहें।

प्रमुख विशेषताएं

अग्निवीर: योजना के तहत **थल सेना, वायु सेना और नौसेना में अधिकारी रैंक से नीचे के रैंक के कार्मिकों (PBOR) की चार वर्ष के लिए भर्ती की** जाती है। इस अवधि में **छह महीने का प्रशिक्षण** भी शामिल है।

वार्षिक भर्ती: **प्रति वर्ष 17.5 से 21 वर्ष की आयु के लगभग 45,000 से 50,000 सैनिकों की भर्ती** की जाएगी। हालांकि, चालू वर्ष की भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा को 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया गया है।

"सेवा निधि" पैकेज: अग्निवीरों को सेवा पूरी होने पर अंशदान और ब्याज समेत 11.71 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे।
इस राशि पर **आयकर से छूट** दी जाएगी।

स्थायी कमीशन: कुल भर्तियों में से केवल **25% को ही स्थायी कमीशन के तहत अगले 15 वर्षों तक सेवा को जारी रखने की अनुमति** दी जाएगी।

© Vision IAS

चार वर्ष की सेवा के बाद अग्निवीरों को समायोजित करने के लिए समर्थन उपाय

रक्षा मंत्रालय MINISTRY OF DEFENCE	गृह मंत्रालय MINISTRY OF HOME AFFAIRS	Ministry of Ports, Shipping and Waterways Government of India
रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल और रक्षा सिविल पदों तथा सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 10% आरक्षण को मंजूरी दी है।	गृह मंत्रालय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और असम राइफल्स में अग्निवीरों के लिए 10% रिक्तियों को कवर करने वाली नौकरियों को आरक्षित करेगा।	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने मर्चेंट नेवी की अलग–अलग भूमिकाओं में अग्निवीरों के सुचारू प्रवेश के लिए अवसरों की घोषणा की है।

7.2. सुर्खियों में रही अन्य योजनाएं/पहलें (Other Schemes/Initiatives in News)

प्रौद्योगिकी विकास निधि (TDF) योजना

- **उद्देश्यः** रक्षा उपयोग के लिए स्वदेशी अत्याधुनिक प्रणालियों का निर्माण करके आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने हेतु व्यवस्था बनाना।
- **कार्यान्वयनः इस योजना का क्रियान्वयन मेक इन इंडिया पहल के तहत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन** (DRDO) **कर रहा है।**
- यह योजना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) और स्टार्ट–अप्स द्वारा **घटकों, उत्पादों, प्रणालियों व प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी विकास का समर्थन** करती है।
- DRDO ने योजना के कार्यान्वयन में सहायता के लिए **सहायक एजेंसी** के रूप में **इन्वेस्ट इंडिया** के साथ भागीदारी की है।
- मंत्रालय ने **TDF योजना के तहत प्रत्येक परियोजना के लिए निधि को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये** करने की मंजूरी दी है।

डेफकनेक्ट 2.0 (DefConnect 2.0)

- डेफकनेक्ट का उद्देश्य **रक्षा क्षेत्रक में भारत के अग्रणी उद्योगों के नवोन्मेषकों और निवेशकों को आकर्षित** करना है।

इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस {Innovations for Defence Excellence (iDEX)}

- **उद्देश्यः** iDEX का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से **रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में नवाचार, उद्यमिता एवं प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा** देने के लिए एक तंत्र निर्मित करना है।
- iDEX **रक्षा नवोन्मेष संगठन** (DIO) का परिचालनात्मक ढांचा है। DIO, रक्षा मंत्रालय के तहत एक विशेष प्रयोजन साधन है।
- यह रक्षा क्षेत्रक में लगातार बढ़ते स्टार्टअप्स की मदद के लिए परियोजनाओं का समर्थन करता है। इन परियोजनाओं को **1.5 करोड़ रुपये से लेकर 10 करोड़ रुपये तक का वित्तीय समर्थन दिया** जाएगा।

© Vision IAS

छठा डिफेंस इंडिया स्टार्ट-अप चैलेंज
{Sixth Defence India Start-up Challenge (DISC 6)}

उद्देश्य: DISC का उद्देश्य राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में **प्रोटोटाइप बनाने और/ या उत्पादों/समाधानों का व्यवसायीकरण करने के लिए स्टार्टअप्स/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों** (MSMEs)/**नवोन्मेषकों का समर्थन** करना है।

DISC को **अटल नवाचार मिशन** के साथ साझेदारी में रक्षा मंत्रालय ने आरंभ किया है।

इनोवेट4डिफेंस इंटर्नशिप (i4D) का तीसरा संस्करण
{Third edition of Innovate4Defence internship (i4D)}

i4D भारत के उच्चतर शिक्षण संस्थानों (HEIs) के छात्रों के लिए **दो महीने का एक एक्सीलेरेशन कार्यक्रम** है।

© Vision IAS

8. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MINISTRY OF EARTH SCIENCES)

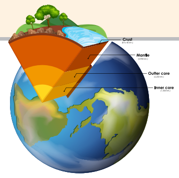

8.1. सुर्ख़ियों में रही अन्य पहलें/योजनाएं (Other schemes/initiatives in news)

अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण आउटरीच {Research, Education and Training Outreach (REACHOUT)}

उद्देश्य:
- अनुसंधान को बढ़ावा देना;
- भारत और पड़ोसी देशों के प्रतिभागियों को वायुमंडलीय विज्ञान तथा समुद्र विज्ञान पर प्रशिक्षण प्रदान करना, एवं
- छात्रों, शिक्षाविदों और जनता के बीच पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करना।

प्रमुख उप-योजनाएं

- **पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में अनुसंधान एवं विकास (RDESS)**
  - **लक्ष्य:** पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विश्वविद्यालयों, और शैक्षणिक और अनुसंधान संगठनों के प्रस्तावों का समर्थन करना।
- **आउटरीच और जागरूकता**
  - **लक्ष्य:** पृथ्वी विज्ञान का प्रचार करना और पृथ्वी, वायुमंडल एवं समुद्र विज्ञान के बारे में जागरूकता बढ़ाना
- **परिचालनीय समुद्र विज्ञान के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र (ITCOocean)**
  - **लक्ष्य:** राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर परिचानीयन समुद्र विज्ञान के लिए वैज्ञानिक आधार, प्रौद्योगिकी और सूचना प्रणाली के विकास और अनुकूलन को बढ़ावा देना।
- **बिम्सटेक मौसम और जलवायु केंद्र (BCWC)**
  - **लक्ष्य:** वैज्ञानिक और तकनीकी संसाधनों को मजबूत करना और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करना।
- **पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में कुशल कार्यबल के विकास के लिए कार्यक्रम (DESK)**
  - **लक्ष्य:** पृथ्वी प्रणाली और जलवायु अनु. संधान के लिए देश में प्रशिक्षित और समर्पित बहु–विषयक कार्यबल का एक बड़ा पूल निर्मित करना।

© Vision IAS

9. शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education: MOE)

9.1. सुर्खियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

केंद्र प्रायोजित योजना

9.1.1. समग्र शिक्षा- स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना (Samagra Shiksha-An Integrated Scheme for School Education)

सुर्खियों में क्यों?

समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत शिक्षकों ने पिछले दो वर्षों की तुलना में 2022 में स्कूल न जाने वाले अधिक छात्रों की पहचान की है।

स्मरणीय तथ्य

प्रकार
यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

उद्देश्य
प्री–स्कूल से कक्षा 12 तक निरंतरता बनाए रखने के लिए स्कूली शिक्षा में समग्र रूप से सुधार करना।

कार्यान्वयन एजेंसी
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर राज्य कार्यान्वयन सोसायटी (SIS)।

कार्यान्वयन अवधि
वर्ष 2021 से 2026 तक।

उद्देश्य

- **सार्वभौमिक पहुंच, समानता और गुणवत्ता** के साथ–साथ, **व्यावसायिक शिक्षा** को बढ़ावा देना और शिक्षक शिक्षण संस्थानों (Teacher Education Institutions: TEIs) को मजबूत करना।
- **निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009** के कार्यान्वयन में राज्यों की सहायता करना।

प्रमुख विशेषताएं

पृष्ठभूमि: समग्र शिक्षा, स्कूल शिक्षा क्षेत्रक (प्री–स्कूल से लेकर 12वीं कक्षा तक) के लिए व्यापक कार्यक्रम है।

© Vision IAS

यह तीन योजनाओं को सम्मिलित करती है

सर्व शिक्षा अभियान

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में उल्लिखित मानदंडों और मानकों के अनुसार स्कूल की अवसंरचना के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच को सार्वभौमिक बनाना।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA)

इसका उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। साथ ही, यह लैंगिक, सामाजिक–आर्थिक और दिव्यांगता संबंधी बाधाओं को दूर करते हुए सभी माध्यमिक विद्यालयों द्वारा निर्धारित मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

शिक्षक शिक्षा योजना

यह प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के सेवा–पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए एक ठोस संस्थागत अवसंरचना का निर्माण करना सुनिश्चित करती है। इसके अलावा, यह प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के लिए शैक्षणिक संसाधनों को उपलब्ध कराने हेतु सहायता का भी प्रावधान करती है।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) तथा स्मार्ट क्लास

इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया, डिजिटल पुस्तकों, वर्चुअल लैब आदि के माध्यम से बच्चों को **कंप्यूटर साक्षरता और कंप्यूटर–सक्षम शिक्षा प्रदान करना।**

शिक्षा शब्दकोश

स्कूली शिक्षा में अलग–अलग शब्दावलियों के लिए पारिभाषिक शब्दावली पर एक दस्तावेज तैयार करना।

समग्र शिक्षा फ्रेमवर्क

यह समग्र **शिक्षा के प्रत्येक घटक के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (KPIs) तथा प्रत्येक घटक के कार्यान्वयन का भौतिक और वित्तीय विवरण** प्रस्तुत करता है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में संशोधन

सामान्य विद्यालयों में **विशेष शिक्षकों के लिए छात्र–शिक्षक अनुपात हेतु संशोधन** किया गया है।

- **प्राथमिक स्तर पर:** प्रत्येक दस दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए एक 'विशेष शिक्षा शिक्षक' का प्रावधान किया गया है।
- **उच्च प्राथमिक स्तर पर:** नामांकित प्रत्येक पंद्रह दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए एक 'विशेष शिक्षा शिक्षक'।

© Vision IAS

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के साथ संरेखित करने के लिए पहलें

सार्थक/SARTHAQ (छात्रों और शिक्षकों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से समग्र उन्नति)	स्कूली शिक्षा के लिए NEP कार्यान्वयन योजना।
निपुण भारत (समझ और संख्यात्मक कौशल के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल)	**प्रत्येक बच्चे को 2026–27 तक कक्षा 3 में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल** में निपुण बनाना।
मूलभूत अधिगम (लर्निंग) अध्ययन (FLS)	इसे **राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT)** द्वारा आयोजित किया जाता है। इसके तहत मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान में कक्षा 3 के छात्रों के सीखने के स्तर का आकलन किया जाता है।
विद्या प्रवेश	**NCERT** ने **3 महीने के लिए खेल आधारित 'स्कूल तैयारी मॉड्यूल'** विकसित किया है।
विद्यांजलि 2.0	यह एक वेब पोर्टल है। इसके माध्यम से **समुदाय/स्वयंसेवी** अपनी पसंद के सरकारी स्कूलों और **सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों** से जुड़कर अपना **ज्ञान व कौशल साझा** कर सकते हैं। साथ ही, ये **परिसंपत्ति/ सामग्री/उपकरण** के रूप में योगदान कर सकते हैं।
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBVs)	**कक्षा–XII तक आवासीय एवं स्कूली शिक्षा की सुविधा प्रदान करना।** साथ ही, सभी बालिका छात्रावासों में इंसीनरेटर (भस्मित्र) और सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें उपलब्ध करवाना।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय	यह पहाड़ी इलाकों और छोटी व निम्न आबादी वाले क्षेत्रों में वयस्कों की सुरक्षा से वंचित बच्चों के लिए (जिन्हें आश्रय एवं देखभाल की आवश्यकता होती है) आवासीय विद्यालय की सुविधा उपलब्ध करवाता है।

© Vision IAS

निष्ठा 4.0 (ECCE)

यह प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा **(ECCE)** के लिए एक **ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम** है।

9.2. सुर्खियों में रही अन्य योजनाएं/पहलें (Other Schemes/ Initiatives in News)

प्रधान मंत्री ई–विद्या (PM –VIDYA)

उद्देश्यः यह **डिजिटल/ ऑनलाइन/ ऑन–एयर शिक्षा** से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है, ताकि बच्चों को प्रौद्योगिकी का उपयोग करके शिक्षा प्रदान करने के लिए मल्टी–मोड एक्सेस को सक्षम किया जा सके। इससे सीखने में हुए नुकसान को कम किया जा सकेगा।

"पी.एम. ई–विद्या" योजना को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए (विशेष रूप से कोविड–19 महामारी के दौरान) **यूनेस्को ने पुरस्कृत** किया है। इस योजना को यूनेस्को का **'राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा'** पुरस्कार प्रदान किया गया है।

पी.एम. श्री स्कूल (पी.एम. स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया)

केंद्र प्रायोजित योजना

प्रकारः यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने हेतु **अत्याधुनिक स्कूल** बनाए जाएंगे।

स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता के अलग–अलग आयामों की समझ को बढ़ावा देना तथा सूचित नीति–निर्माण, पद्धति अंगीकरण और कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करना।

पी.एम. श्री स्कूल **समय के साथ आदर्श स्कूलों के रूप में** उभरेंगे।

विद्या समीक्षा केंद्र (VSK)

मंत्रालय ने **गुजरात शिक्षा विभाग की विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) जैसी योजना को राष्ट्रव्यापी स्तर पर** लागू करने की योजना बनाई है।

VSK, शिक्षकों और छात्रों की दैनिक ऑनलाइन उपस्थिति तथा छात्रों के सीखने के परिणामों का समय–समय पर आकलन करने में मदद करेगा।

राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली को **NDEAR** (राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा संरचना/National Digital Education Architecture)-VSK के नाम से जाना जाएगा।

© Vision IAS

भारतीय ज्ञान प्रणाली (IKS) पहल

उद्देश्य: इसका उद्देश्य कला और साहित्य, कृषि, आधारभूत विज्ञान, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी, स्थापत्य कला, प्रबंधन, अर्थशास्त्र आदि के क्षेत्र में **समृद्ध विरासत तथा पारंपरिक ज्ञान का प्रसार करना है।**

IKS, शिक्षा मंत्रालय के तहत **'अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद' (AICTE) में स्थापित एक अभिनव प्रकोष्ठ** है।

इसे **IKS** के सभी पहलुओं पर अंतर्विषयक **अनुसंधान को बढ़ावा देने** तथा भविष्य के अनुसंधान और सामाजिक अनुप्रयोगो के लिए IKS को **संरक्षित एवं प्रसारित करने हेतु** स्थापित किया गया है।

'भारतीय ज्ञान प्रणाली' **(IKS)** पहल के तहत स्कूलों में **75 स्वदेशी खेलों को शुरू किया जाएगा।** इनमें राजा–मंत्री–चोर–सिपाही, पोशम पा, गिल्ली डंडा जैसे खेल शामिल हैं।

नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (New India Literacy Programme or NILP)

केंद्र प्रायोजित योजना

हाल ही में, प्रथम 'मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल आकलन परीक्षा (Foundational Literacy and Numeracy Assessment Test: FLNAT) आयोजित की गई।

प्रकार: यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है।

यह योजना **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है।**

यह योजना देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के सभी गैर–साक्षरों को लक्षित करती है। इनमें **महिलाओं और शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों पर अधिक ध्यान** दिया जाता है।

क्रियान्वयन: यह योजना स्कूलों, उच्चतर शिक्षा संस्थानों तथा शिक्षक शिक्षा संस्थानों के **स्वयंसेवी शिक्षकों और छात्रों के माध्यम से क्रियान्वित** की जाएगी।

लक्ष्य: योजना के तहत वित्त वर्ष 2022–27 के लिए **5 करोड़ शिक्षार्थियों (1.00 करोड़ प्रति वर्ष)** का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए **"ऑनलाइन टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम (OTLAS)"** का उपयोग किया जाएगा। इस अभियान में **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, NCERT और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NOIS)** का सहयोग लिया जाएगा।

© Vision IAS

इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस योजना {Institute of Eminence (IoE) scheme }

हाल ही में, **शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल पर संसदीय स्थायी समिति** ने IoE का दर्जा देने की प्रक्रिया में तेजी लाने का सुझाव दिया।

IoE 'मान्यता' प्रदान करने की एक योजना है। इसे **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग** (UGC) ने 2017 में शुरू किया था।

- इस योजना के तहत IoE दर्जे **के लिए 20 संस्थानों का चयन** किया जाएगा। इनमें **सार्वजनिक क्षेत्र के 10 और निजी क्षेत्र के भी 10 संस्थान** शामिल हैं।
- इनमें से अब तक, **सार्वजनिक क्षेत्र के 8 और निजी क्षेत्र के 4 संस्थानों** को IoE का दर्जा दिया जा चुका है।

उद्देश्यः HEI को **सशक्त बनाना और उन्हें विश्व स्तरीय शिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान बनने में मदद करना।**

IoE और अन्य विश्वविद्यालयों को लाभ

- IoEs को UGC **के उन अधिकतर विनियमों के अनुपालन से मुक्त** किया गया है, जिनका अनुपालन अन्य विश्वविद्यालयों के लिए बाध्यकारी है।
- ये संस्थान अपनी **कुल फैकल्टी संख्या के 25 प्रतिशत तक विदेशी फैकल्टी नियुक्त** कर सकते हैं। साथ ही, **योग्यता के आधार पर 30 प्रतिशत विदेशी छात्रों को प्रवेश** दे सकते हैं।
- इन्हें **पाठ्यक्रम की संरचना के संबंध में लचीलापन** प्रदान किया गया है। साथ ही, इन्हें UGC द्वारा अनिवार्य किए गए पाठ्यक्रम का अनुपालन करने की भी आवश्यकता नहीं है।
- ये भारत के अन्य संस्थानों के साथ **अकादमिक स्तर पर सहयोग करने के लिए स्वतंत्र** हैं।

प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (पी.एम. पोषण) {Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM POSHAN)}

- पहले मध्याह्न भोजन योजना के रूप में जाना जाता था

प्रकारः यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

अन्य उद्देश्यः यह योजना भारत के अधिकतर बच्चों के लिए भुखमरी और शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान करती है।

योजनावधिः 2021–22 से 2025–26

पात्रताः सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा I से VIII तक के सभी बच्चे और सरकारी प्राथमिक स्कूलों में बाल वाटिका (कक्षा I से ठीक पहले) में पढ़ने वाले बच्चे।

© Vision IAS

10. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change: MOEF&CC)

10.1. सुर्खियों में रही अन्य योजनाएं/ पहलें (Other Schemes/ Initiatives in News)

नगर वन योजना {Nagar Van Yojana (NVY)}

- **उद्देश्य:** वनों और हरित आवरण के बाहर वृक्ष आवरण में व्यापक वृद्धि करना, जैव विविधता और पारिस्थितिकी लाभों में बढ़ोतरी करना आदि।
- **वित–पोषण:** यह कैम्पा/CAMPA (प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, 2016) के तहत पूरी तरह से वित्त–पोषित योजना है।
- इस योजना को 2020 में **'विश्व पर्यावरण दिवस' (5 जून) के अवसर पर आरंभ** किया गया था।
- **2020–21 से 2024–25** की अवधि के दौरान देश में **400 नगर वन और 200 नगर वाटिकाओं** के विकास का प्रावधान किया गया है।
- ये वन या तो **मौजूदा वन भूमि पर या शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्तावित किसी अन्य खाली भूमि पर विकसित** किए जाएंगे।
- **राज्य सरकार ऐसे वन उद्यानों का रख–रखाव** करेगी।

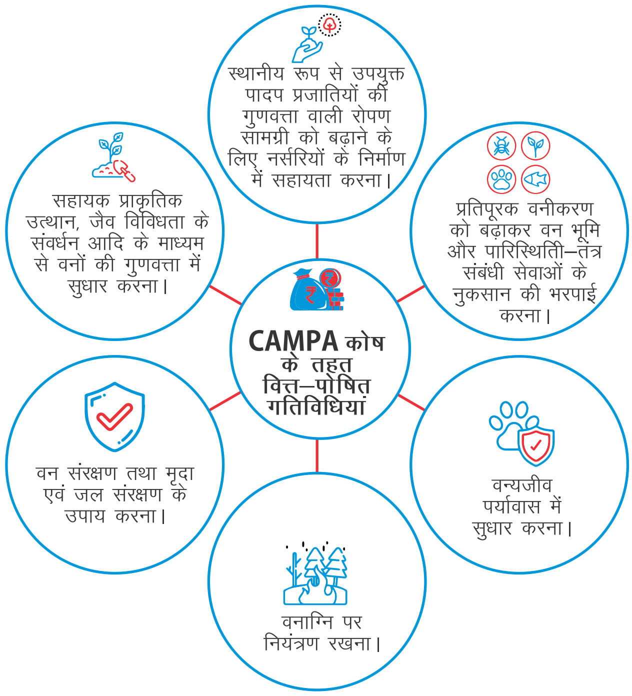

ग्रामीण कृषि मौसम सेवा परियोजना {Gramin Krishi Mausam Sewa project (GKMS)}

- **उद्देश्य:** GKMS योजना, **मौसम की जानकारी पर आधारित फसल/ पशुधन प्रबंधन रणनीतियों और परिचालन में योगदान** की दिशा में एक कदम है।
- **कार्यान्वयन एजेंसियां:** भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और अन्य संस्थान जिला/ ब्लॉक स्तर पर 'कृषि मौसम विज्ञान सलाहकार सेवाएं' (AAS) प्रदान कर रहे हैं।
- इस योजना के तहत, **जिला और प्रखंड स्तर पर मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान** तैयार किए जाते हैं। इसके **आधार पर कृषि मौसम संबंधी परामर्श तैयार और प्रसारित किए जाते हैं।**

© Vision IAS

11. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY)

11.1. सुर्खियों में रही योजनाएं (Schemes In News)

11.1.1. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम (Digital India Programme)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, डिजिटल इंडिया की वर्षगांठ मनाने के लिए डिजिटल इंडिया सप्ताह शुरू किया गया था।

स्मरणीय तथ्य

अन्य उद्देश्य

भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना।

प्रकृति

यह एक **अम्ब्रेला कार्यक्रम है, जो मंत्रालयों और विभागों की कई अलग-अलग ई-गवर्नेंस पहलों** को एक साथ जोड़ता है।

सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP)

ई-गवर्नेंस परियोजनाओं को लागू करने के लिए जहां भी संभव हो, PPP को प्राथमिकता दी जाती है।

कार्यान्वयन

सभी मंत्रालयों द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। इसमें समन्वय का कार्य MeiTY करेगा।

उद्देश्य

एक सुरक्षित और स्थिर डिजिटल अवसंरचना स्थापित करना, डिजिटल सेवाएं प्रदान करना तथा इंटरनेट तक प्रत्येक नागरिक की पहुंच सुनिश्चित करना।

प्रमुख विशेषताएं

डिजिटल इंडिया के तहत समग्र डिजिटल विकास के लिए नौ स्तंभों पर बल दिया गया है

डिजिटल इंडिया कैसे साकार होगा: डिजिटल इंडिया के स्तंभ

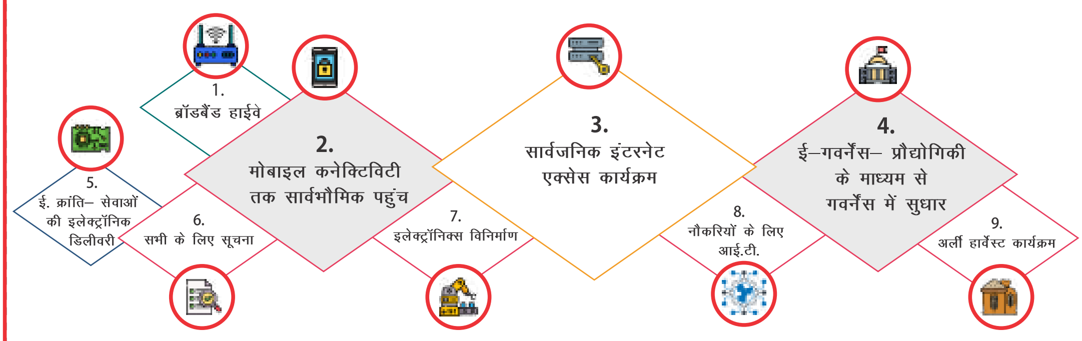

© Vision IAS

डिजिटल इंडिया पहल को सक्षम करने वाली कुछ प्रमुख एजेंसियां

- कंट्रोलर ऑफ़ सर्टिफाइंग अथॉरिटी (CCA)
- सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC)
- रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (CRIS)
- कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)
- लघु कृषक कृषि–व्यापार संघ (SFAC)

कार्यक्रम प्रबंधन संरचना

परियोजना प्रबंधन संरचना

निकाय	निगरानी समिति	डिजिटल इंडिया सलाहकार समूह	शीर्ष समिति
अध्यक्ष	प्रधान मंत्री	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री	कैबिनेट सचिव

कुछ प्रमुख पहलें

- आधार पहचान प्लेटफॉर्म
- भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL)
- IoT के लिए उत्कृष्टता केंद्र
- सर्ट–इन (CERT-In)
- डिजी सेवक
- डिजी लॉकर
- साइबर स्वच्छता केंद्र
- कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs)

11.2. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं/ पहलें (Other Schemes /Initiatives in News)

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल

- **उद्देश्य:** इसे **सरकारी खरीदारों के लिए एक खुला और पारदर्शी खरीद प्लेटफॉर्म बनाने हेतु** लॉन्च किया गया था।
- इसे **इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** की तकनीकी सहायता से आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय (**Directorate General of Supplies and Disposal**) ने विकसित किया है।
- **सरकारी खरीदारों** के लिए **GeM** के माध्यम से खरीदारी करना अनिवार्य है।
- निजी खरीदार इस **प्लेटफॉर्म पर खरीदारी नहीं कर सकते हैं।** हालांकि, वे पोर्टल के माध्यम से सरकारी निकायों को **अपने उत्पाद बेच** सकते हैं।
- **सहकारी समितियों** को खरीदार के रूप में इस प्लेटफॉर्म पर **खरीद की अनुमति** देने के लिए **GeM** के अधिदेश (मैंडेट/ कार्य) का विस्तार किया गया है।
- **GeM** के तहत **आपूर्तिकर्ता (विक्रेता)** सरकारी या निजी दोनों तरह के हो सकते हैं।

© Vision IAS

युवाओं के लिए जिम्मेदार AI 2022

उद्देश्यः हमारे देश के युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए तैयार करना।

किसके द्वारा शुरूः इसे MeitY के **राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस प्रभाग** और **इंटेल इंडिया** द्वारा शुरू किया गया है।

लाभार्थीः संपूर्ण भारत में कक्षा 8–12 में पढ़ने वाले सभी स्कूली छात्र।

अन्य उद्देश्यः AI–तकनीक की गहन समझ को बढ़ावा देना तथा युवाओं को कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा जैसे अलग–अलग विषयों पर **सार्थक AI–आधारित समाधान (जिनका उचित सामाजिक प्रभाव हो) विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना।**

इसी क्रम में **राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस प्रभाग** और **इंटेल इंडिया** ने **'AI के साथ उन्नति और विकास के लिए युवा'** कार्यक्रम को लॉन्च किया है।

डिजिटल इंडिया जेनेसिस (इनोवेटिव स्टार्ट-अप्स के लिए अगली पीढ़ी का समर्थन)

उद्देश्यः तकनीकी परिवेश को गतिशील रूप से **बढ़ाना और बनाए रखना।**

यह एक **राष्ट्रीय डीप–टेक स्टार्ट–अप प्लेटफॉर्म** है। इसे MeitY ने 750 करोड़ रुपये से अधिक के बजट से विकसित किया है।

आगामी पांच वर्षों के दौरान **विशेष रूप से टियर–II और टियर–III शहरों से 10,000+ तकनीकी स्टार्ट–अप्स को प्रभावित करने** तथा समेकित करने की परिकल्पना की गई है।

इसके अंतर्गत स्टार्ट–अप्स को **उचित संसाधनों** से सुसज्जित किया जाएगा। साथ ही, इन्हें **शुरू करने और आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल अवसंरचना** उपलब्ध कराया जाएगा।

इंडिया स्टैकः इंडियास्टैक डॉट ग्लोबल (Indiastack.global)

यह इंडिया स्टैक के तहत चल रही प्रमुख परियोजनाओं, जैसे– आधार, UPI, डिजीलॉकर आदि का **एक वैश्विक भंडार** है।

यह आबादी के स्तर पर **डिजिटल परिवर्तन परियोजनाओं के निर्माण में** भारत को अग्रणी के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा।

इंडिया स्टैकः यह **ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (APIs) और डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं के एक सेट** का उपनाम है। इसका उद्देश्य जनसंख्या के स्तर पर पहचान, डेटा और भुगतान संबंधी आर्थिक संभावनाओं का लाभ उठाना है।

© Vision IAS

अन्य पहलें

- **माई स्कीम:** यह एक वन–स्टॉप सर्च और डिस्कवरी पोर्टल है, जहां यूजर्स/ उपयोगकर्ता उन योजनाओं को खोज सकते हैं, जिनके लिए वे पात्र हैं। यह सरकारी योजनाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान करने के लिए एक सर्विस डिस्कवरी प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है।
- **मेरी पहचान–नेशनल सिंगल साइन ऑन फॉर वन सिटीजन लॉगिन (NSSO)** एक उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण सेवा है। इसमें निजी जानकारी का एक सेट कई ऑनलाइन एप्लिकेशंस या सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है।
- **चिप्स टू स्टार्ट–अप (C2S) कार्यक्रम** का उद्देश्य स्नातक, परास्नातक और अनुसंधान स्तरों पर सेमीकंडक्टर चिप्स के डिजाइन के क्षेत्र में विशेष श्रमबल को प्रशिक्षित करना है।

संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (EMC 2.0) योजना {Modified Electronics Manufacturing Clusters (EMC 2.0) Scheme}

- **उद्देश्य:** विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना, ताकि प्रमुख वैश्विक **इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माताओं को उनकी आपूर्ति श्रृंखला के साथ देश में उनकी इकाइयां स्थापित करने** हेतु **आकर्षित** किया जा सके।
- यह योजना **घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बीच संबंध को मजबूत** करेगी। यह लक्ष्य आपूर्ति श्रृंखला प्रतिक्रिया को मजबूत करके, आपूर्तिकर्ताओं के समेकन, बाजार तक पहुंच में लगने वाले समय में कमी, कम रसद लागत आदि के जरिए प्राप्त किया जाएगा।
- EMC 2.0 योजना के तहत **देश भर में EMC परियोजनाओं और कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स (CFCs) दोनों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान** की जाती है।

© Vision IAS

12. वित्त मंत्रालय (MINISTRY OF FINANCE)

12.1. शुरू की गई नई योजनाएं (Newly launched scheme)

महिला सम्मान बचत प्रमाण-पत्र {Mahila Samman Savings Certificates (MSSC)}

इस योजना की **घोषणा 2023 – 24 के केंद्रीय बजट में की गई थी।**

लक्ष्य: इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और लड़कियों सहित महिलाओं को सशक्त बनाना है।

योजना की प्रमुख विशेषताएं

खाता किसी एक लड़की या महिला के लिए खोला जा सकता है

जमा सुविधा दो वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होगी

7.5% इसके तहत **7.5 प्रतिशत की निश्चित तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज दर** प्रदान की जाएगी। यह ब्याज दर इसे महिलाओं के लिए एक आकर्षक निवेश विकल्प बना देती है।

एक वर्ष की समाप्ति के बाद **अधिकतम 40 प्रतिशत तक धन निकाला जा सकता है।**

- **न्यूनतम जमा धनराशि 1,000 रुपये**
- **अधिकतम जमा धनराशि 2 लाख रुपये**

*खाता खोलने के छह महीने बाद किसी भी समय अवधि पूर्ण होने से पहले खाता बंद करने की अनुमति होगी, लेकिन ब्याज दर में 2% की कमी की जाएगी।

12.2. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes In News)

12.2.1. स्टैंड-अप इंडिया योजना (Stand-up India Scheme)

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, इस योजना के 7 साल पूरे हो गए हैं।

स्मरणीय तथ्य

प्रकार
केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

अन्य उद्देश्य
प्रत्येक भारतीय को सशक्त बनाना और उन्हें **अपने पैरों पर खड़ा होने/आत्मनिर्भर बनने** में सक्षम बनाना।

कवर किए गए उद्यम
विनिर्माण, सेवा, कृषि से संबद्ध गतिविधियों या व्यापार क्षेत्रक के **ग्रीनफील्ड उद्यम।**

पुनर्वित्त एजेंसी
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)

उद्देश्य

ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए **प्रत्येक बैंक शाखा में कम–से–कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उधारकर्ता (ऋणी) और कम–से–कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच की बैंक ऋण** की सुविधा प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताएं

योजना के लिए पात्रता और जिन्हें शामिल नहीं किया गया है

1. SC,ST समुदाय और 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला
2. ऋण ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है
3. गैर–व्यक्तिगत उद्यम के मामले में कम–से–कम 51% हिस्सेदारी SC, ST या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए
4. उधारकर्ता किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।

जमानत/संपार्श्विक मुक्त कवरेज

- जमानत मुक्त कवरेज का विस्तार करने के लिए सरकार ने **'क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्टैंड–अप इंडिया'** (CGFSI) की स्थापना की है।
  - हालांकि, सरकार इस योजना के तहत **ऋण के लिए धन आवंटित नहीं करती है।**

ऋण देने वाली संस्थाएं

- व्यावसायिक मानदंडों के अनुरूप **अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की सभी शाखाएं।**

© Vision IAS

ऋण सुरक्षा

- **प्राथमिक सुरक्षा** के अलावा, बैंकों द्वारा तय किए गए CGFSI की संपार्श्विक सुरक्षा या गारंटी द्वारा ऋण सुरक्षित किया जा सकता है।

ब्याज दर (RoI)

- उस श्रेणी (रेटिंग श्रेणी) के लिए **बैंक द्वारा चार्ज की जाने वाली न्यूनतम ब्याज दर**, जो बैंक की आधार दर (MCLR) + 3% + अवधि प्रीमियम से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ऋण का भुगतान

- इस ऋण को **7 वर्षों में चुकाया** जा सकता है। हालांकि, इसके लिए **अधिकतम 18 माह की अधिस्थगन** अवधि का भी प्रावधान है।

स्टैंड–अप कनेक्ट सेंटर्स

- **संभावित उधारकर्ताओं को सहायता प्रदान** करने के लिए **SIDBI** और **NABARD** के कार्यालयों को स्टैंड–अप कनेक्ट सेंटर के रूप में नामित किया गया है।

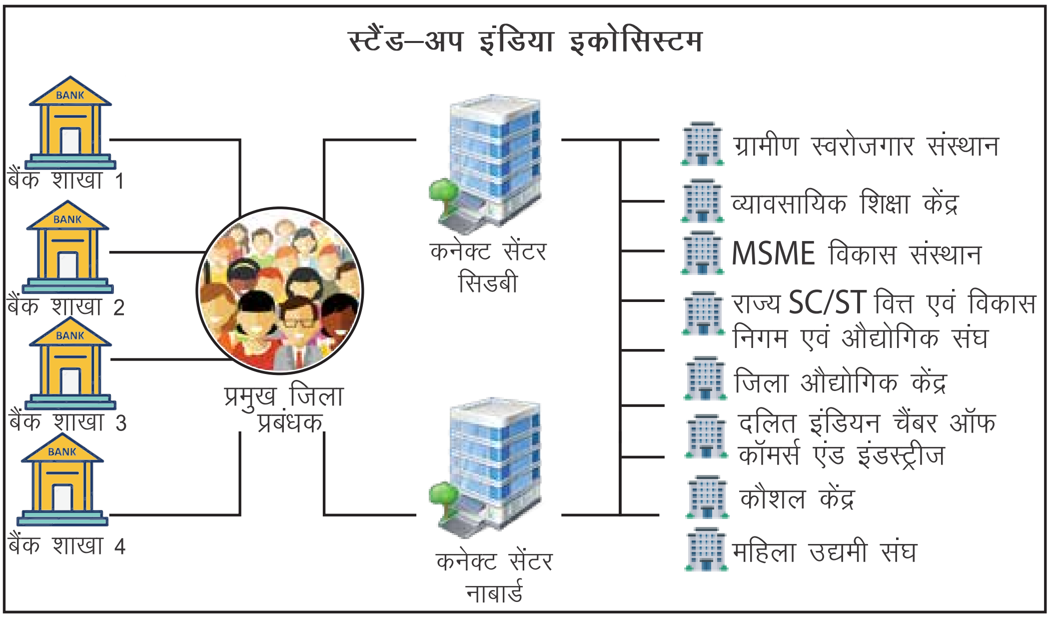

अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण

- यह योजना केंद्र/ राज्य सरकार की योजना के साथ अभिसरण (Convergence) का भी प्रावधान करती है।

© Vision IAS

12.3. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं/ पहलें (Other Schemes/Initiatives in News)

चुनावी बॉण्ड योजना (Electoral Bond scheme)

- चुनावी बॉण्ड वस्तुतः प्रॉमिसरी नोट की प्रकृति का बियरर इंस्ट्रूमेंट और ब्याज मुक्त बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है।
- इसमें प्राप्तकर्ता का नाम नहीं होता है।
- इसे केंद्रीय बजट 2017–18 में प्रस्तुत किया गया था।

जारी करने का तरीका और तिथि

- इन्हें भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखाओं से **1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 और 1,00,00,000 के गुणकों** में किसी भी मूल्य के लिए जारी किया/ खरीदा जाता है।
- **जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में 10 दिनों के लिए** विक्रय किया जाता है।

पात्रता

- **क्रेताः** भारत का कोई नागरिक या भारत में निगमित कोई निकाय बॉण्ड खरीदने के लिए पात्र है।
- **राजनीतिक दलः** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत और जिन्होंने लोक सभा या राज्य की विधान सभा के पिछले आम चुनाव में डाले गए मतों का कम–से–कम 1% हासिल किया हो।

प्राप्तकर्ता राजनीतिक दलों का दायित्व

- प्राधिकृत बैंक के साथ केवल एक बैंक खाते के माध्यम से नकदीकरण किया जाता है।
- चुनावी बॉण्ड के माध्यम से दिए गए **चंदे को 15 दिनों के भीतर भुनाया (रिडीम) जाएगा।**
- 15 दिनों में रिडीम नहीं गए बॉण्ड को प्राधिकृत बैंक द्वारा **प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष** (PMNRF) **में जमा** किया जाएगा।

© Vision IAS

पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme: OPS)

- कई राज्यों में सरकारी कर्मचारी OPS की बहाली की मांग कर रहे हैं।
- **OPS के तहत,** केंद्र और राज्यों में सरकारी कर्मचारियों को **अंतिम आहरित मूल वेतन का 50% पेंशन राशि के रूप में निर्धारित** किया गया था। साथ ही, **OPS में कर्मचारियों को अपनी पेंशन में योगदान करने की आवश्यकता नहीं थी।**
- **NPS, जिसे अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली** कहा जाता है, के तहत सरकार और कर्मचारी दोनों एक समान योगदान करते हैं।
- NPS 01.01.2004 को या उसके बाद सेवा में भर्ती हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) पर अनिवार्य रूप से लागू है।

अंतर	नई पेंशन योजना (NPS)	पुरानी पेंशन योजना (OPS)
प्रकृति	NPS एक परिभाषित अंशदान पेंशन है। इसमें कर्मचारी अपने रोजगार के वर्षों के दौरान NPS में योगदान करते हैं।	OPS सरकारी कर्मचारियों के लिए उनके अंतिम आहरित वेतन पर आधारित पेंशन है।
पात्रता	18 से 65 वर्ष के बीच के सभी भारतीय नागरिक।	केवल सरकारी कर्मचारी।
जोखिम	इसमें जोखिम शामिल होता है क्योंकि NPS की राशि बाजार से जुड़ी प्रतिभूतियों में निवेश की जाती है।	कोई जोखिम शामिल नहीं है।
सेवानिवृत्ति पर पेंशन राशि	रिडीम करने पर पेंशन फंड का 60% कर–मुक्त होता है, जबकि शेष राशि कर योग्य होती है और वार्षिकी (Annuity) में निवेशित रहती है।	इसके तहत एक निश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। यह अंतिम आहरित वेतन का 50% होती है।

© Vision IAS

पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना (Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment)

- योजना के लिए **1 लाख करोड़ रुपये की राशि आवंटित** की गई है।
- इस योजना के तहत **पूंजीगत निवेश परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता** प्रदान की जाती है।
- इस योजना के तहत प्रदान किया गया **ऋण** वर्ष 2022–23 के लिए राज्यों को दी जाने वाली **सामान्य ऋण सीमा के अतिरिक्त** है।
- इस आवंटन का उपयोग **पी.एम. गति शक्ति से संबंधित** और राज्यों के **अन्य उत्पादक पूंजीगत निवेश** हेतु किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित के लिए घटक शामिल हैं:
  - **प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना** के प्राथमिकता वाले खंडों के लिए पूरक वित्त–पोषण, जिसमें राज्यों के हिस्से हेतु सहायता शामिल है,
  - डिजिटल भुगतान और OFC नेटवर्क को पूरा करने के साथ–साथ **अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण**, और
  - भवन–निर्माण उपनियमों, नगर नियोजन योजनाओं, आवागमन–केंद्रित विकास और हस्तांतरणीय विकास अधिकारों से संबंधित सुधार।

बीमा योजनाएं

विनिर्देश	प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) (केंद्रीय क्षेत्रक की योजना)	प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) (केंद्रीय क्षेत्रक की योजना)
प्रकृति	**जीवन बीमा योजना** (जीवन के जोखिम का कवरेज **55 वर्ष की आयु तक प्राप्त** कर सकते हैं)।	**दुर्घटना की स्थिति में बीमा।**
पात्रता	**18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के नागरिक (NRI** सहित)।	**18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के नागरिक (NRI** सहित)।
जोखिम कवर	**नामांकन के प्रथम 45 दिनों** के बाद किसी भी कारण से मृत्यु के जोखिम को कवर किया जाता है।	**दुर्घटना में मृत्यु और निःशक्तता।**
कवरेज	**2 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस कवर किया जाएगा।** इसका **प्रति वर्ष नवीनीकरण कराना होगा।**	**दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु और पूर्ण स्थायी निःशक्तता के लिए 2 लाख रुपये दिए जाएंगे।** **आंशिक स्थायी निःशक्तता के लिए 1 लाख रुपये दिए जाएंगे।**
शर्तें	किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक खाता होना चाहिए और **खाते में से प्रीमियम के भुगतान के लिए ऑटो–डेबिट भुगतान की सहमति देनी होगी।**	
कार्यान्वयन एजेंसियां	LIC (**जीवन बीमा निगम**) **अन्य सभी जीवन बीमाकर्ता**	सार्वजनिक क्षेत्रक की **सामान्य बीमा कंपनियां (PSGIC)** **अन्य सामान्य बीमा कंपनियां**
प्रीमियम दर	**436 रुपये प्रति वर्ष**	**20 रुपये प्रति वर्ष**

© Vision IAS

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

अटल पेंशन योजना (APY)

उद्देश्य	कार्यान्वयन एजेंसियां	पात्रता	लाभ	स्वैच्छिक निकास
असंगठित क्षेत्रक के कामगारों को न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करना।	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत **पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण।**	APY **18 से 40 वर्ष** की आयु के सभी बैंक खाताधारकों के लिए उपलब्ध है।	60 वर्ष की आयु पर प्रतिमाह **1,000 या इसके गुणक में 5,000 रुपये** (अंशदान के आधार पर) तक न्यूनतम पेंशन की गारंटी।	सब्सक्राइबर **कुछ निश्चित शर्तों के अधीन** रहते हुए योजना से निकल सकता है।

सब्सक्राइबर की मृत्यु होने पर

- **असामयिक मृत्यु** (60 वर्ष की आयु से पहले)
  - पति या पत्नी APY खाते में अंशदान जारी रख सकता/ सकती है।
- असामयिक मृत्यु (60 वर्ष की आयु से पहले)
  - पेंशन राशि जीवनसाथी को दी जाती है।
  - यदि जीवनसाथी की भी मृत्यु हो जाती है, तो संचित पेंशन राशि नॉमिनी को दी जाती है।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY)

उद्देश्य	किनके लिए लागू	रोजगार संबंधी नियुक्ति को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन	कार्यान्वयन एजेंसी
अलग–अलग क्षेत्रकों के **उद्योगों के नियोक्ताओं के वित्तीय बोझ को कम करना। उन्हें अधिक कार्मिकों को काम पर रखने के लिए प्रोत्साहित करना।**	इस योजना के दायरे में **EPFO में पंजीकृत प्रत्येक प्रतिष्ठान और उनके नए कर्मचारी** (15,000 रुपये प्रतिमाह से कम वेतन प्राप्त करने वाले) शामिल हैं, यदि वे अक्टूबर 2020 से जून 2021 के बीच सम्मिलित होते हैं। यह योजना उन लोगों को भी कवर करती है जिन्होंने मार्च 2020 से सितंबर 2020 के बीच बीच नौकरी खो दी है।	**केंद्र सरकार** दो वर्ष की अवधि के लिए EPFO में पंजीकृत प्रतिष्ठानों की नियोजन क्षमता के आधार पर **कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों के हिस्से के देय अंशदान (प्रत्येक की मजदूरी का 12%)** या केवल कर्मचारियों के हिस्से का **भुगतान भविष्य निधि में कर रही है।**	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन **(EPFO)**

© Vision IAS

13. मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying)

13.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

13.1.1. राष्ट्रीय गोकुल मिशन {Rashtriya Gokul Mission (RGM)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, RGM के दिशा-निर्देशों को संशोधित किया गया है।

स्मरणीय तथ्य

अन्य उद्देश्य: इस मिशन का लक्ष्य स्वदेशी गोजातीय नस्लों का विकास और संरक्षण करना है।

उप-योजना: राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना।

प्रमुख लाभार्थी: लघु और सीमांत किसान, विशेष रूप से महिलाएं।

अवधि: इसकी समयावधि 2021-22 से 2025-26 तक होगी।

उद्देश्य

- एडवांस तकनीकों का उपयोग करके संधारणीय तरीके से **गोजातीय पशुओं की उत्पादकता** में वृद्धि करना।
- प्रजनन उद्देश्यों के लिए श्रेष्ठ आनुवंशिक गुणों वाले सांडों के उपयोग को बढ़ावा देना।
- किसानों के घर पर ही कृत्रिम गर्भाधान (Artificial insemination: AI) सेवाओं की डिलीवरी करके AI के कवरेज को बढ़ाना।
- स्वदेशी मवेशी एवं भैंस पालन तथा उनके संरक्षण को वैज्ञानिक और समग्र तरीके से बढ़ावा देना।

प्रमुख विशेषताएं

वित्त-पोषण प्रतिरूप

- **₹5,000** – भाग लेने वाले किसानों को प्रति IVF गर्भावस्था के लिए **5,000 रुपये** उपलब्ध कराए जाएंगे।
- **50%** – **सेक्स सॉर्टेड वीर्य को बढ़ावा देने और नस्ल गुणन फार्म की स्थापना** हेतु 50% तक अनुदान दिया जाएगा।
- **100%** – **अन्य घटकों के लिए 100%** अनुदान सहायता दी जाएगी।

© Vision IAS

मुख्य घटक

उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले जर्मप्लाज्म की उपलब्धता	AI कवरेज का विस्तार करना	स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण करना	कौशल विकास	किसानों को जागरूक करना	मवेशियों और भैंस के विकास से संबंधित अन्य गतिविधियां
बैल उत्पादन संबंधी कार्यक्रम	ग्रामीण भारत में बहुउद्देशीय AI तकनीशियनों की स्थापना (MAITRIS) करना	गौशालाओं, गौसदनों और पिंजरपोलों को सहायता प्रदान करना।	IVF तकनीक और अन्य उन्नत प्रजनन तकनीकों में पेशेवरों को प्रशिक्षित करना। इसके अलावा, AI तकनीशियनों/पेशेवरों आदि के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।	इस योजना के तहत किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रजनन शिविर आदि का आयोजन किया जाता है। साथ ही, किसानों, सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियनों, डेयरी सहकारी समितियों आदि को पुरस्कार प्रदान किया जाता है।	मवेशी और भैंस के विकास के लिए गोजातीय प्रजनन और अन्य संबंधित गतिविधियों में अनुसंधान विकास तथा नवाचार करना।
वीर्य स्टेशनों को समर्थन देना	राष्ट्रव्यापी AI कार्यक्रम (NAIP)	राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का संचालन करना।			
IVF प्रौद्योगिकी को लागू करना	सेक्स सॉर्टेड सीमेन का उपयोग करना				
नस्ल गुणन फार्म	राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन (लाइवस्टैक) का कार्यान्वयन करना				

कार्यान्वयन एजेंसियां (IAs)

राज्य स्तर पर
- पशुधन विकास बोर्ड
- दुग्ध संघ

केंद्रीय स्तर पर
- सेंट्रल फ्रोजन सिमेन प्रोडक्शन एंड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट
- मवेशी प्रजनन फार्म
- सेंट्रल हर्ड रजिस्ट्रेशन स्कीम
- राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड
- भारतीय कृषि विकास परिषद (ICAR) और इसके संस्थान
- केंद्रीय विश्वविद्यालय/ सरकारी पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय

धनराशि जारी करना

RGM फंड **सीधे कार्यान्वयन एजेंसी** को जारी किया जाएगा।

राज्यों की रैंकिंग

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच **अच्छे प्रदर्शन की प्रतिस्पर्धात्मक भावना** को बढ़ाना।

सहभागी निगरानी

निगरानी के लिए **पंचायती राज संस्थाओं** (PRI) को एकीकृत किया जाएगा।

© Vision IAS

13.1.2. प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) योजना {Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) Scheme}

सुर्खियों में क्यों?

सरकार मछुआरों की आवश्यकताओं के अनुरूप योजना के प्रावधानों में संशोधन कर सकती है।

स्मरणीय तथ्य

प्रकार
केंद्रीय क्षेत्रक की योजना, और केंद्र प्रायोजित योजना।

तकनीक का लाभ उठाना
जैसे– पुनर्चक्रण आधारित जलीय कृषि प्रणाली, बायोफ्लॉक, एक्वापोनिक्स, केज कल्टीवेशन आदि।

अन्य–उद्देश्य
भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के संधारणीय और जिम्मेदारीपूर्ण विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाना।

योजनावधि
वित्त वर्ष 2020–21 से वित्त वर्ष 2024–25 तक।

उद्देश्य

मत्स्य पालन क्षमता का दोहन, बुनियादी ढांचे और विनियमन में सुधार, किसानों की आय में वृद्धि और नीली क्रांति की उपलब्धियों का समेकन करना।

प्रमुख विशेषताएं

इच्छुक लाभार्थी: मछुआरे, मत्स्यन श्रमिक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ महिला/दिव्यांग व्यक्ति, मत्स्य सहकारी समितियां/संघ आदि।

क्लस्टर या क्षेत्र-आधारित दृष्टिकोण: आवश्यक फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज तथा एंड–टू–एंड समाधान।

क्षेत्र जिन पर ध्यान दिया जाएगा: जम्मू कश्मीर + लद्दाख + द्वीपसमूह + पूर्वोत्तर + आकांक्षी जिले

© Vision IAS

प्रमुख गतिविधियां

ठंडे जल में मत्स्यन विकास

+

खारे जल और लवणीय क्षेत्रों में जलीय कृषि का विस्तार

+

समुद्री कृषि, समुद्री शैवाल उत्पादन और सजावटी मत्स्यन जैसी गतिविधियां

मछुआरों का समग्र विकास

आवश्यक बुनियादी ढांचे से लैस **एकीकृत आधुनिक तटीय मत्स्यन गांवों का विकास कर तटीय मछुआरा समुदायों का विकास करना।**

मछुआरों को संगठित करना

मछुआरों और मत्स्यन कृषि में शामिल लोगों की सौदेबाजी–क्षमता बढ़ाने के लिए मत्स्य कृषक उत्पादक संगठनों (FFPOs) का गठन करना।

अन्य समर्थन

- मत्स्यन नौकाओं को बीमा कवर प्रदान करना
- कार्य समर्थन के लिए बेहतर सेवाएं
- फिशिंग हार्बर और लैंडिंग केंद्रों के निर्माण और आधुनिकीकरण में प्रमुख निवेश

निजी क्षेत्रक की भागीदारी

उद्यमशीलता का विकास, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्ट–अप, इनक्यूबेटर आदि सहित नवाचार गतिविधियां।

© Vision IAS

प्रमुख गतिविधियां

- ठंडे जल में मत्स्यन विकास
- \+ खारे जल और लवणीय क्षेत्रों में जलीय कृषि का विस्तार
- \+ समुद्री कृषि, समुद्री शैवाल उत्पादन और सजावटी मत्स्यन जैसी गतिविधियां

मछुआरों का समग्र विकास

आवश्यक बुनियादी ढांचे से लैस **एकीकृत आधुनिक तटीय मत्स्यन गांवों का विकास कर तटीय मछुआरा समुदायों का विकास करना।**

मछुआरों को संगठित करना

मछुआरों और मत्स्यन कृषि में शामिल लोगों की सौदेबाजी–क्षमता बढ़ाने के लिए मत्स्य कृषक उत्पादक संगठनों (FFPOs) का गठन करना।

अन्य समर्थन

- मत्स्यन नौकाओं को बीमा कवर प्रदान करना
- कार्य समर्थन के लिए बेहतर सेवाएं
- फिशिंग हार्बर और लैंडिंग केंद्रों के निर्माण और आधुनिकीकरण में प्रमुख निवेश

निजी क्षेत्रक की भागीदारी

उद्यमशीलता का विकास, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्ट–अप, इनक्यूबेटर आदि सहित नवाचार गतिविधियां।

© Vision IAS

14. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (Ministry of Food Processing Industries: MoFPI)

14.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

केंद्र प्रायोजित योजना

14.1.1. प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना (Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises: PMFME)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, इस योजना के दो वर्ष (जून 2022) पूरे हुए हैं।

स्मरणीय तथ्य

प्रकार: यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

कार्यावधि: इसकी अवधि 2020–21 से 2024–25 तक पांच वर्ष

इच्छित लाभार्थी: मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम, FPOs/ SHGs/ उत्पादक सहकारी समितियां

नोडल बैंक: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

उद्देश्य

विद्यमान सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताएं

लक्ष्य: मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों (MFPE) की 2,00,000 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को वित्तीय सहायता दी जाएगी।

समर्थन और फोकस के क्षेत्र:
- प्रत्येक SHG सदस्य को 40,000 रुपये की आरंभिक पूंजी सहायता दी जाएगी।
- पूंजीगत निवेश के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी 10 लाख रुपये की सीमा के साथ 35% तक दी जाएगी।
- कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए 35% तक क्रेडिट लिंक्ड अनुदान सहायता।
- राज्य या क्षेत्रीय स्तर पर 50% अनुदान के साथ मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए सहायता।

निधि साझाकरण:

केंद्र और राज्यों का हिस्सा

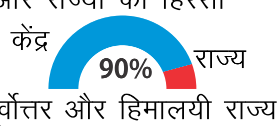

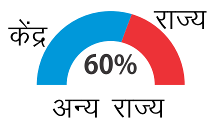

© Vision IAS

एक जिला एक उत्पाद (ODOP)

- राज्य मौजूदा क्लस्टरों और कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए एक जिले से एक खाद्य उत्पाद (जल्दी खराब होने वाले उत्पाद सहित) की पहचान करेंगे।
- ODOP संबंधी उत्पादों के लिए साझा अवसंरचना तथा ब्रांडिंग और विपणन के लिए समर्थन प्रदान किया जाएगा।

फोकस के क्षेत्र

वेस्ट टू वेल्थ उत्पाद | लघु वन उत्पाद | आकांक्षी जिले

क्षमता निर्माण और अनुसंधान

- सूक्ष्म इकाइयों के लिए इकाइयों का प्रशिक्षण, उत्पाद विकास, उपयुक्त पैकेजिंग और मशीनरी का निर्माण करना।
- राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थानों के साथ MoFPI के तहत NIFTEM तथा IIFPT द्वारा क्षमता निर्माण और अनुसंधान।

PMFME योजना आरंभिक पूंजी मॉड्यूल

उद्देश्य	किसके द्वारा लॉन्च किया गया	वित्तीय सहायता पोर्टल
भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक में कार्यरत शहरी स्वयं सहायता समूहों (SHG) **के सदस्यों को सीड कैपिटल सहायता** लेने को सुविधाजनक बनाना। **सीड कैपिटल:** एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक आरंभिक पूंजी।	दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY & NULM) MIS पोर्टल पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) के सहयोग से MoFPI द्वारा लॉन्च किया गया है।	PMFME योजना के तहत प्रति SHG सदस्य द्वारा **40,000 रुपये की आरंभिक पूंजी सहायता** प्राप्त करने के लिए सीड कैपिटल पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है।

14.1.2. प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना {Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana (PMKSY)}

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने संसद को सूचित किया है कि PMKSY के तहत सहायता के लिए 41 मेगा फूड पार्क (MFP) परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

स्मरणीय तथ्य

प्रकार: यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।

अन्य उद्देश्य: खेत से खुदरा बिक्री केंद्र तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करना।

अंब्रेला योजना: चल रही योजनाओं और मंत्रालय की नई योजनाओं को भी शामिल किया गया है।

अपेक्षित परिणाम: किसानों की आय दोगुनी करना, रोजगार पैदा करना, कृषि उपज की बर्बादी को कम करना आदि।

उद्देश्य

- खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करना,
- प्रभावी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज स्थापित करना, तथा
- जल्दी खराब होने वाले उत्पादों के लिए मजबूत आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना का निर्माण करना।

© Vision IAS

प्रमुख विशेषता,

योजनाओं के घटक

पहली 4 योजनाएं वर्तमान में कार्यान्वित हैं, जबकि अंतिम तीन योजनाएं PMKSY के तहत शुरू की गई नई योजनाएं हैं।

मेगा फूड पार्क

- सुस्थापित आपूर्ति श्रृंखला से लैस **आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना** करना।
- **इसे विशेष प्रयोजन साधन** (SPV) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

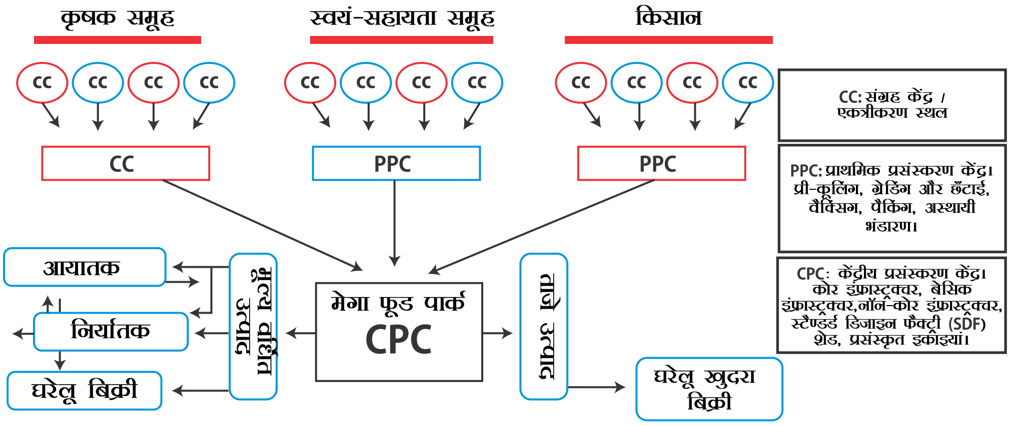

एकीकृत शीत श्रृंखला (Cold Chain), मूल्य संवर्धन और परिरक्षण अवसंरचना

- खेत से लेकर उपभोक्ता तक बाधा रहित **शीत भंडारण श्रृंखला की सुविधा उपलब्ध कराना।**
- इस अवसंरचना श्रृंखला परियोजना की स्थापना कंपनियों, **स्वयं–सहायता समूहों** (SHGs), **किसान उत्पादक संगठनों** (FPOs) **गैर–सरकारी संगठनों** (NGOs) आदि द्वारा की गई है।

खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमताओं का सृजन/ विस्तार (CEFPPC)

- इसका मुख्य उद्देश्य **प्रसंस्करण व मूल्यवर्धन के स्तर को बढ़ाने की दृष्टि से प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता** का सृजन करना है। साथ ही, मौजूदा प्रसंस्करण इकाइयों का आधुनिकीकरण/ विस्तार करना भी इसका उद्देश्य है।
- यह परियोजना कंपनियों, **स्वयं सहायता समूहों** (SHGs), **किसान उत्पादक संगठनों** (FPOs) **गैर–सरकारी संगठनों** आदि द्वारा स्थापित की गई है।

खाद्य संरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना

- **गुणवत्ता नियंत्रण/ खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं** की स्थापना/ उन्नयन करना,
- HACCP/ISO मानक/ खाद्य सुरक्षा/ गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली।
  - HACCP (Hazard analysis and critical control points/ संकट विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु प्रणाली)
  - ISO (इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन)

कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर्स के लिए अवसंरचना

- उद्यमियों के समूह को प्रोत्साहित करने हेतु **आधुनिक अवसंरचना और साझा सुविधाओं का विकास करना।**

© Vision IAS

बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के सृजन के लिए योजना

- इंसुलेटेड/ रेफ्रिजरेटेड (प्रशीतित) परिवहन के माध्यम से कनेक्टिविटी के साथ–साथ खेत के समीप प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों/ संग्रहण केंद्रों और अग्रवर्ती छोर पर **आधुनिक खुदरा बिक्री केंद्रों की स्थापना करना।**

मानव संसाधन एवं संस्थान

- **मांग संचालित अनुसंधान एवं विकास** (R&D), प्रचार गतिविधियों (सेमिनार, कार्यशालाओं, मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन) तथा क्षेत्रक विशिष्ट कौशल का विकास करना।

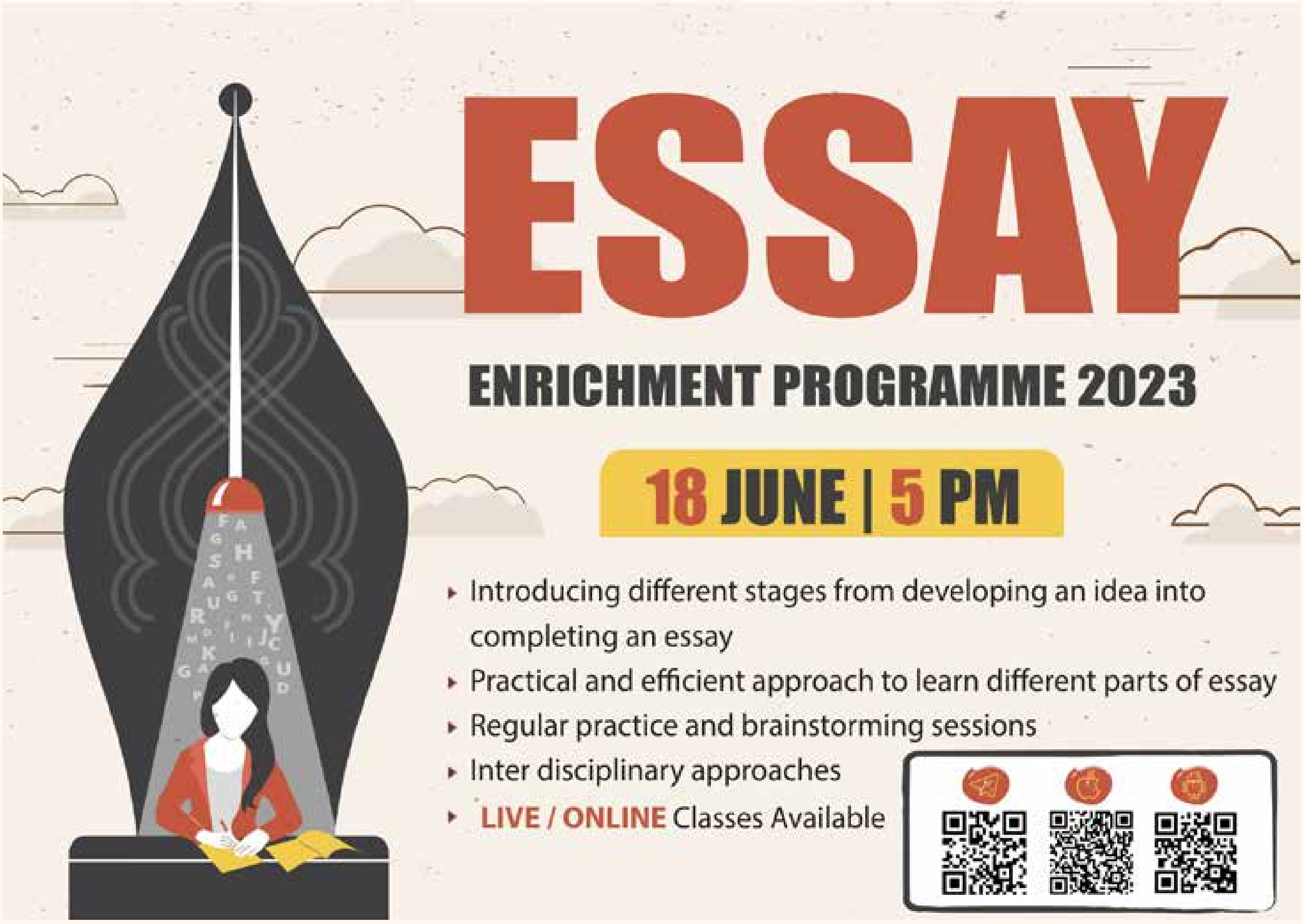

15. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare: MoHFW)

15.1. सुर्खियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

15.1.1. प्रधान मंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABIM)

सुर्खियों में क्यों?

विश्व बैंक ने महामारी से निपटने की तैयारी और बेहतर स्वास्थ्य सेवा वितरण के लिए भारत के स्वास्थ्य क्षेत्रक का समर्थन करने हेतु 1 बिलियन डॉलर के एक कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं।

स्मरणीय तथ्य

प्रकार: केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) लेकिन इसके कुछ घटक केंद्रीय क्षेत्रक की योजना वाले भी हैं

लक्ष्य: एक सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम रोग निगरानी प्रणाली निर्मित करना।

अन्य उद्देश्य: एक ऐसी स्वास्थ्य प्रणाली स्थापित करना जो भविष्य की महामारियों/ आपदाओं के लिए प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सके।

अवधि: वर्ष 2021 से वर्ष 2026 तक

उद्देश्य

जमीनी स्तर के सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत करना, **आई.टी. सक्षम निगरानी प्रणाली विकसित करना** और **संक्रामक** रोगों पर अनुसंधान का समर्थन करना।

प्रमुख विशेषताएं

मुख्य गतिविधियां

उपचार के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना। → रोगों के निदान के लिए एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना करना। → महामारियों का अध्ययन करने वाले मौजूदा अनुसंधान संस्थानों का विस्तार करना।

© Vision IAS

विश्व बैंक द्वारा समर्थन

महामारी तैयारी कार्यक्रम के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली (PHSPP)

भारत की निगरानी प्रणाली तैयार करने, रोगजनकों का पता लगाने की क्षमता बढ़ाने, प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों की संस्थागत क्षमता का निर्माण करने में भारत की मदद करना।

उन्नत स्वास्थ्य सेवा वितरण कार्यक्रम (EHSDP)

एक नए डिजाइन किए गए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल मॉडल के माध्यम से सेवा वितरण को मजबूत करना, देखभाल की गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों में राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाणन, स्वास्थ्य क्षेत्र के शासन और जवाबदेही को बदलना।

केंद्र प्रायोजित घटक

- देश भर के शहरी क्षेत्रों में आयुष्मान भारत – स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र (AB–HWCs)
- उच्च फोकस वाले 10 राज्यों (बिहार, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, यूपी और पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर और मेघालय) के ग्रामीण क्षेत्रों में AB-HWCs
- उच्च फोकस वाले 11 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों (असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड) में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स (BPHU)
- सभी जिलों में एकीकृत जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं।
- 5 लाख से अधिक आबादी वाले सभी जिलों में राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजा जिला अस्पतालों में क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक।

केंद्रीय क्षेत्रक के घटक

- 12 केंद्रीय संस्थानों में क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक की स्थापना करना
- आपदा और स्थानीय महामारी से निपटने से संबंधित तैयारी को मजबूत बनाना
- संक्रामक रोगों की निगरानी और उनसे निपटने की प्रक्रिया को मजबूत करना
- प्रवेश के बिंदुओं पर निगरानी क्षमता को मजबूत करना
- नेशनल इंस्टिट्यूशन फॉर वन हेल्थ (WHO) के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय अनुसंधान मंच), जैव सुरक्षा स्तर III की प्रयोगशालाओं की स्थापना, आदि।

© Vision IAS

15.2. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं/ पहलें (Other Schemes/Initiatives in News)

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM)

उद्देश्यः मौजूदा डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों में व्याप्त कमियों को दूर करने लिए देश की एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना को सहायता प्रदान करना।

कार्यान्वयन एजेंसीः राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण।

ABDM पारितंत्र

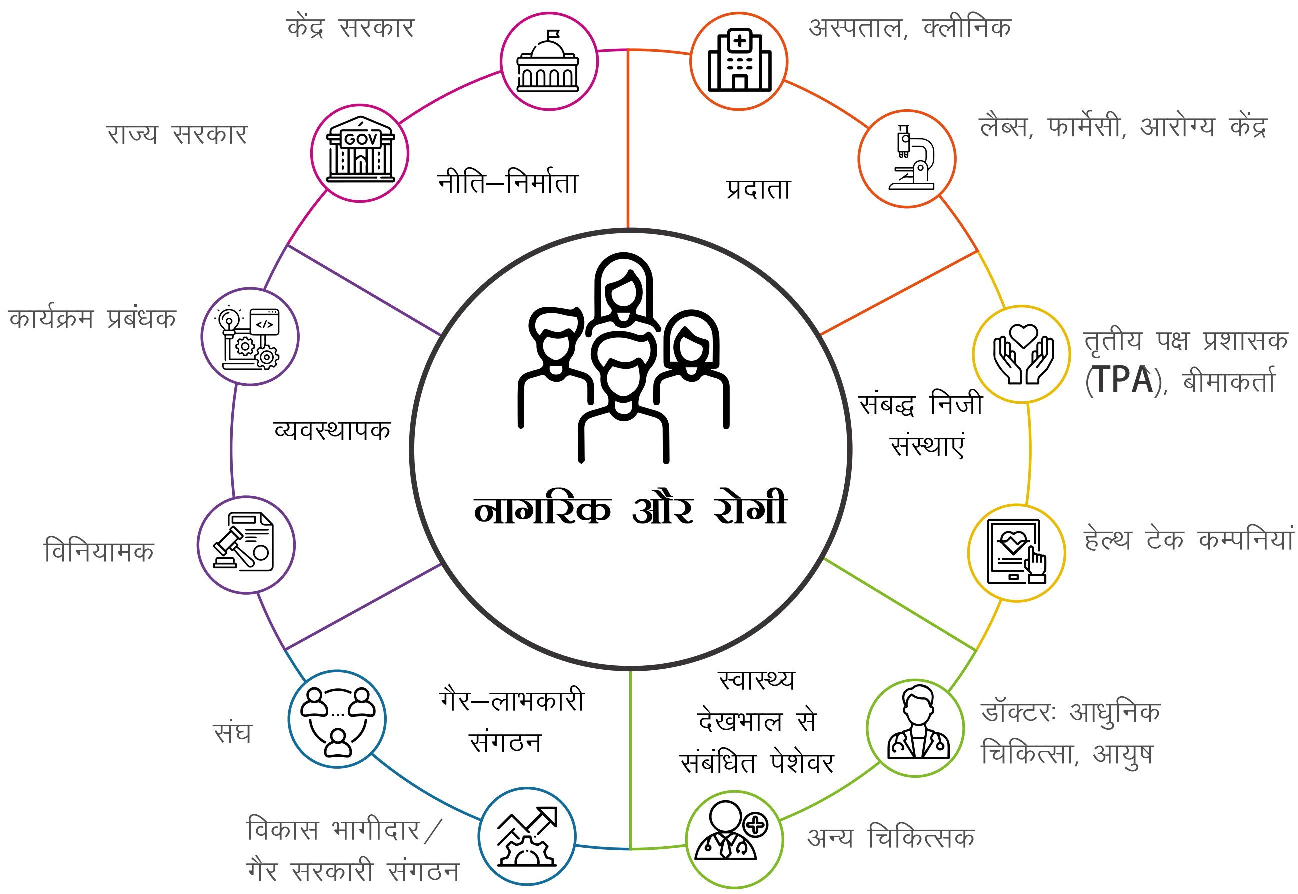

ABDM के मुख्य तत्त्व

आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) और ABHA ऐप
- आधार या मोबाइल नंबर का उपयोग करके तैयार की गई एक 14–अंकीय पहचान संख्या।
- अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक डिजिटल रूप से पहुंचने और उसे साझा करने का एक सुगम तरीका।

स्वास्थ्य सुविधा पंजीकरण
- स्वास्थ्य सुविधा पंजीकरण, चिकित्सा की अलग–अलग प्रणालियों के अंतर्गत सभी स्वास्थ्य सुविधाओं का एक व्यापक भंडार है।
- इसमें अस्पताल, क्लिनिक, डायग्नोस्टिक, फार्मेसी सहित सार्वजनिक तथा निजी दोनों स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हैं।

स्वास्थ्य देखभाल संबंधी पेशेवरों की रजिस्ट्री
- सभी स्वास्थ्य पेशेवरों का एक व्यापक भंडार है।
- चिकित्सा की आधुनिक और पारंपरिक दोनों प्रणालियों के लिए उपलब्ध है।

एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफ़ेस (UHI)
- अलग–अलग डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक ओपन प्रोटोकॉल के रूप में कल्पना की गई है।
- UHI अपॉइंटमेंट, टेली–परामर्श आदि सहित अलग–अलग सेवाओं को सक्षम बनाएगा।

© Vision IAS

ई-संजीवनी (eSanjeevani)

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने अपनी प्रमुख योजना आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के साथ ई-संजीवनी के सफल एकीकरण की घोषणा की है।
- यह एक राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा है। इसका उद्देश्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारंपरिक चिकित्सीय परामर्श (Physical Consultation) का विकल्प प्रदान करना है।
- इस एकीकरण से मौजूदा ई-संजीवनी उपयोगकर्ता आसानी से अपना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (ABHA) बना सकेंगे। साथ ही, उपयोगकर्ता इस खाते का अपने मौजूदा स्वास्थ्य रिकॉर्ड्स को लिंक करने व प्रबंधन करने के लिए उपयोग कर सकेंगे।

ई-संजीवनी के 2 कार्यक्षेत्र

ई-संजीवनी AB-HWC	ई-संजीवनी OPD
यह 'हब-एंड-स्पोक' मॉडल में क्षेत्रीय स्तर पर स्पेशलिटी/सुपर-स्पेशलिटी डॉक्टरों के साथ 'आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र' (HWCs) को जोड़ता है।	किसी भी स्थान पर रहने वाले रोगी के लिए अपने निवास स्थल से ही डॉक्टर के परामर्श को सुलभ बनाना।

राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति (NPRD), 2021 {National policy for Rare Diseases (NPRD), 2021}

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कुछ दुर्लभ बीमारियों को [NPRD] 2021 में शामिल किया है। ये बीमारियां हैं- लारोन सिंड्रोम, विल्सन रोग और हाइपोफॉस्फेटिक रिकेट्स।
- NPRD का उद्देश्य व्यापक निवारक रणनीति के माध्यम से दुर्लभ रोगों के नए मामलों और आबादी में इसके प्रसार को कम करना है।
- रोगों के उपचार के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय आरोग्य निधि की अंब्रेला योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

राष्ट्रीय आरोग्य निधि {Rashtriya Arogya Nidhi (RAN)}

- यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत है।
- RAN के अंतर्गत केंद्र सरकार के 13 अस्पतालों/ संस्थाओं में परिक्रामी निधियां (Revolving Fund) स्थापित की गई हैं।
- इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे रह रहे और जानलेवा बीमारियों से पीड़ित रोगियों को इलाज के लिए 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- इसके अलावा, रिवॉल्विंग फंड से रहित सरकारी अस्पतालों/ संस्थानों द्वारा रेफर किए गए व्यक्तिगत मामलों के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही, रिवॉल्विंग फंड वाले चुनिंदा 13 सरकारी अस्पतालों/ संस्थानों द्वारा रेफर किए गए ऐसे मामलों में भी वित्तीय सहायता दी जाती है, जहां इलाज के लिए 2 लाख रुपये से अधिक की जरूरत है।

© Vision IAS

16. भारी उद्योग मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries)

16.1. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं/ पहलें (Other schemes/initiatives in news)

हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (फेम/ FAME) योजना {Faster Adoption & Manufacturing of Electric (& Hybrid)Vehicles (FAME) Scheme}

संसद की एक स्थायी समिति की रिपोर्ट में पाया गया कि इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए फेम–2 (FAME-II) **सब्सिडी लक्ष्य का केवल 52%** थी।

FAME-II सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण पर केंद्रित है।

इसे 2019 में लॉन्च किया गया था और यह 2024 तक जारी रहेगा।

पृष्ठभूमि:
- **नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान** (NEMMP) के तहत 2015 में FAME योजना की शुरुआत की गई थी।
- **लक्ष्य:** इसका उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करके इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करना है।
- **अवधि: 2019 तक**

नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (NEMMP) के बारे में

NEMMP की शुरुआत 2013 में की गई थी।

2020 तक 6–7 मिलियन ई–वाहनों को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया था।

सरकार 2030 तक 30% ई–मोबिलिटी हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2026 में ऑटो क्षेत्रक में 65 मिलियन अतिरिक्त नौकरियों के सृजन का अनुमान है।

FAME II के तहत मुख्य फोकस क्षेत्र
- तकनीकी विकास
- मांग सृजन
- पायलट प्रोजेक्ट
- चार्जिंग अवसंरचना घटक

सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएं

© Vision IAS

17. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs: MoHUA)

17.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाए (Schemes In News)

17.1.1. प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (Pradhan Mantri Awas Yojana-urban: PMAY-U)

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना | केंद्र प्रायोजित योजना

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार ने बी.एल.सी., ए.एच.पी. और आई.एस.एस.आर. वर्टिकल के तहत पहले से स्वीकृत घरों को पूरा करने के लिए PMAY–U योजना को 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी है।

स्मरणीय तथ्य

प्रकार: यह एक केंद्र प्रायोजित योजना और केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है।

अवधि: वर्ष 2015 से वर्ष 2024 तक।

अन्य उद्देश्य: सभी पात्र परिवारों/ लाभार्थियों को पक्के घर उपलब्ध कराना।

अयोग्यता: लाभार्थी परिवार के पास कहीं पर भी कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए।

उद्देश्य

वर्ष 2024 तक सभी पात्र परिवारों/ लाभार्थियों को सभी मौसम में रहने योग्य पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय सहायता प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताए

लाभार्थी

लाभार्थी	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	निम्न आय समूह (LIGs)	मध्यम आय समूह (MIGs)
घरेलू आय (रुपये/ प्रतिवर्ष)	3 लाख रुपये तक	3–6 लाख रुपये	6–18 लाख रुपये

एक लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित पुत्र और/या अविवाहित पुत्रियां शामिल होंगी।

चार वर्टिकल्स अर्थात् चार घटक/ स्तंभ

चार वर्टिकल्स/ घटक: केवल एक घटक के अंतर्गत ही लाभ प्राप्त किया जा सकता है

ISSR– स्व–स्थाने मलिन बस्ती पुनर्विकास	CLSS क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम	AHP भागीदारी के तहत किफायती आवास (Affordable Housing In Partnership)	BLC लाभार्थी के नेतृत्व में विनिर्माण (Beneficiary-Led Construction)
भारत सरकार प्रत्येक मकान के लिए 1 लाख रुपये अनुदान देती है।	3%–6% की ब्याज सब्सिडी के माध्यम से 2.67 लाख रुपये तक का लाभ प्राप्त होता है।	प्रत्येक घर के लिए 1.5 लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है।	प्रत्येक घर के लिए 1.5 लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है।

- EWS श्रेणी के लाभार्थी इस योजना के चारों घटकों के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे।
- LIG तथा MIG श्रेणी के लाभार्थी केवल क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) घटक के लिए ही पात्र होंगे।
- केवल CLSS घटक ही केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है। अन्य तीनों घटकों का कार्यान्वयन केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में किया जाएगा।

© Vision IAS

किफायती किराया वाले आवासीय परिसर (Affordable Rental Housing Complexes: ARHCs)	**वर्तमान में सरकार के वित्त से निर्मित रिक्त आवासीय परिसरों को** सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से या सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा ARHCs में परिवर्तित किया जाएगा। सार्वजनिक/ निजी संस्थाओं द्वारा अपनी रिक्त भूमि पर ARHCs **का विनिर्माण, संचालन और रख-रखाव** किया जाएगा।
CLSS घटक को अग्रलिखित के माध्यम से लागू किया जाएगा	राष्ट्रीय आवासन बैंक (NHB) हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (हुडको/HUDCO)
महिला सशक्तीकरण	**परिवार में किसी वयस्क महिला सदस्य के न होने की स्थिति में ही पुरुष सदस्य के नाम पर घर हो सकता है।**
ग्रामीण योजनाओं के तहत लाभ	**प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की स्थायी प्रतीक्षा सूची** के लाभार्थियों को PMAY(G) या PMAY(U) के तहत घर चुनने की छूट होगी। किसी लाभार्थी को **सभी मौजूदा और भविष्य की ग्रामीण योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा।**
आधारभूत संरचना का दर्जा	किफायती आवास क्षेत्रक को 'आधारभूत संरचना का दर्जा' देने से PMAY को बढ़ावा मिलेगा।

17.1.2. दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन {Deen Dayal Antyodaya Yojana- Urban (National Urban Livelihoods Mission: DAY-NULM)}

केंद्र प्रायोजित योजना

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, DAY-NULM के तहत **"निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय पहल (निपुण/ NIPUN)" की शुरुआत की गई है।**

स्मरणीय तथ्य

प्रकार: यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

उद्देश्य: स्थायी आधार पर शहरी गरीब परिवारों की गरीबी और सुभेद्यता को कम करना।

लाभार्थी: शहरी गरीबी की परिभाषा में आने वाले व्यक्ति/ समूह/स्वयं सहायता समूह (SHGs) आदि।

शामिल किए गए क्षेत्र: सभी जिला मुख्यालय शहर और अन्य सभी शहर जिनकी आबादी 1,00,000 या उससे अधिक (2011 की जनगणना के अनुसार) है।

उद्देश्य

गरीबों के लिए जमीनी स्तर पर मजबूत संस्थानों का निर्माण करना। इसके माध्यम से शहरी गरीबों को **लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार** के अवसरों तक पहुंचने में सक्षम बनाया जा सकेगा।

© Vision IAS

प्रमुख विशेषताएं

सामाजिक लामबंदी

प्रत्येक शहरी गरीब परिवार से कम–से–कम एक सदस्य (महिला को प्राथमिकता) को समयबद्ध तरीके से **स्वयं सहायता समूह** (SHG) नेटवर्क के अंतर्गत लाया जाएगा।

स्वयं सहायता समूह (SHGs)

- वित्तीय सहायता प्राप्त करने के योग्य होने के लिए **कम–से–कम 70% सदस्य शहरी गरीब होने चाहिए।**
- SHG में **10–20 सदस्य** हो सकते हैं। **पहाड़ी क्षेत्रों/जनजातीय बहुल क्षेत्रों में 10 से कम सदस्यों** के छोटे समूह भी बनाए जा सकते हैं।
- **दिव्यांग व्यक्तियों** के लिए **न्यूनतम 5 सदस्यों** के साथ भी SHG का गठन किया जा सकता है।

क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण

इसका उद्देश्य **मंत्रालय और संबंधित राज्य एजेंसियों को ऐसा प्रदाता बनाना** है, जो **उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी सहायता** प्रदान करें।

कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार (EST&P)

- **कौशल विकास**: शहरी गरीबों के कौशल के **विकास/ उन्नयन के लिए सहायता।**
- **कौशल प्रमाण–पत्र**: कौशल प्रशिक्षण को आधिकारिक मान्यता और प्रमाणन देने से जोड़ा गया है।
- **PPP**: कौशल प्रमाणन के लिए **सार्वजनिक–निजी–भागीदारी (PPP) मोड को प्राथमिकता दी जाती है।**

स्व-रोजगार कार्यक्रम (SEP)

- व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह के **सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना का समर्थन** किया जाता है।
- **उद्यम विकास के लिए क्रेडिट कार्ड:** कार्यशील पूंजी एवं अन्य उद्देश्यों के लिए लाभार्थियों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाना।

वित्तीय सहायता के लिए पात्रता

- **समूह के नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यम**
  - न्यूनतम 2 सदस्य होने चाहिए (शहरी गरीबों से कम–से–कम 70%)
  - अधिकतम ऋण के लिए पात्रता: प्रत्येक सदस्य को 2 लाख रुपये या 10 लाख रुपये, जो भी कम हो, की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- **व्यक्तिगत नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यम**
  - परियोजना लागत की सीमा 2 लाख रुपये है।

© Vision IAS

SHG - बैंक लिंकेज

- बैंक ऋण प्राप्त करने वाले सभी SHGs के लिए 7% से अधिक ब्याज दर पर ब्याज सब्सिडी लागू है।
- सभी शहरों में समय पर अपना ऋण चुकाने वाले सभी महिला स्वयं सहायता समूहों को अतिरिक्त 3% ब्याज सब्सिडी/ सहायता प्रदान की जाती है।

शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को सहायता

- कौशल विकास
- सूक्ष्म उद्यमों का विकास
- ऋण सक्षमता
- प्रो–वेंडिंग शहरी नियोजन
- सुभेद्य लोगों (महिलाएं, SCs/ STs आदि) के लिए सामाजिक सुरक्षा के विकल्प

शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना (SUH)

- शहरी बेघरों के लिए **सभी मौसमों में स्थायी 24x7 आश्रय स्थल उपलब्ध करवाना।**

नवीन तथा विशेष परियोजनाओं को बढ़ावा देना

- ये परियोजनाएं केंद्र द्वारा प्रशासित हैं। **इनके लिए राज्य के हिस्से के प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।**

उद्देश्य
- **सार्वजनिक–निजी–सामुदायिक भागीदारी** (P-P-C-P) के माध्यम से शहरी आजीविका के लिए संधारणीय दृष्टिकोण को उत्प्रेरित करना।
- एक आशाजनक पद्धति का प्रदर्शन करना या बढ़ावा देने योग्य पहलों के माध्यम से शहरी गरीबी की स्थिति पर विशेष प्रभाव डालना।

निपुण (NIPUN) परियोजना के बारे में

- **उद्देश्य: निर्माण क्षेत्र में कार्यरत 1 लाख से अधिक श्रमिकों को प्रशिक्षित करना** और उन्हें विदेशों में भी काम करने के अवसर प्रदान करना।
- **क्रियान्वयन एजेंसी:** राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC)
- उद्योगों/ बिल्डरों/ ठेकेदारों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय प्लेसमेंट करना।

कौशल से युक्त करने के 2 तरीके
- निर्माण स्थलों पर **रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग** (RPL) **के माध्यम से प्रशिक्षण देना।**
- प्लंबिंग और अवसंरचना क्षेत्रक में स्किल काउंसिल (SSC) द्वारा **नए कौशल के माध्यम से प्रशिक्षण।**

यह कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की **प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना** (PMKVY) **का एक घटक है।**

17.1.3. स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 (SMG 2.0)

केंद्र प्रायोजित योजना

सुर्ख़ियों में क्यों?

अवशिष्ट मुक्त शहर' के लक्ष्य को साकार करने के लिए महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को प्रेरित करने हेतु स्वच्छोत्सव 2023 मनाया गया।

© Vision IAS

स्मरणीय तथ्य

प्रकार: यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

अन्य उद्देश्य: अवशिष्ट मुक्त शहर' बनाना।

कवरेज: सभी वैधानिक शहर।

अवधि: 2026 तक।

उद्देश्य

सार्वजनिक स्थानों पर **सफाई और स्वच्छता** सुनिश्चित करना, **वायु प्रदूषण को कम करना, समग्र स्वच्छता** प्राप्त करना, उपयोग किए गए जल को बहाए जाने से पहले उपचार करना, **क्षमता निर्माण, जागरूकता** और **जन आंदोलन पर ध्यान देना।**

प्रमुख विशेषताएं

पृष्ठभूमि

- SBM-U को 2 अक्टूबर, 2014 को पांच साल (2014–2019) के लिए शुरू किया गया था। इसे भारत को खुले में शौच से मुक्त (अर्थात् ODF) बनाने के लिए शुरू किया गया था ।
- **ODF भारत** की परिकल्पना साकार हो रही है। इसलिए, **'स्वच्छ' व्यवहार को संस्थागत बनाने और इसे टिकाऊ बनाने** के लिए इस मिशन को आगे जारी रखा गया है।

अपेक्षित परिणाम

वैधानिक शहरों के लिए स्टार रेटिंग	**सभी वैधानिक शहर कम–से–कम ODF+ हो गए हैं।**	**1 लाख से कम आबादी वाले सभी वैधानिक शहर कम–से–कम ODF++ हो गए हैं।**	**1 लाख से कम आबादी वाले सभी वैधानिक शहरों में से कम– से– कम 50% वाटर/ जल+ बन गए हैं।**
सभी वैधानिक शहर कम–से–कम 3–स्टार अवशिष्ट मुक्त, या उच्चतर रेटिंग से प्रमाणित हैं।	जल, रख–रखाव और स्वच्छता वाले शौचालय।	कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन से लैस शौचालय।	यह सुनिश्चित करना कि कोई अनुपचारित अपशिष्ट (उपयोग किया गया) जल खुले वातावरण या जल निकायों में नहीं छोड़ा जा रहा है।

GFC- स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल

- इसे **शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के बीच प्रतिस्पर्धी, मिशन–मोड भावना** को प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च किया गया था।
- **सरकारी निधियों** को सशर्त जारी किया जाता है, बशर्ते **ULBs कम–से–कम 1–स्टार प्रमाणन** प्राप्त करें।

स्टार रेटिंग की प्रक्रिया

शहर द्वारा घोषणा
↓
1 स्टार → 3 स्टार → 5 स्टार → 7 स्टार
↓
राज्य द्वारा घोषणा/प्रमाणन
↓
तीसरे पक्ष द्वारा आकलन
↓
MoHUA द्वारा प्रमाणन

© Vision IAS

कचरा/अपशिष्ट मुक्त शहर (GFCs)

GFC के लिए मुख्य गतिविधियां
- स्रोत पर ही पूर्ण पृथक्करण
- सभी अपशिष्ट का पूर्ण प्रसंस्करण
- एकल उपयोग वाले प्लास्टिक (SUP) में चरणबद्ध तरीके से
- सभी डंप साइट्स का सुधार

डिजिटल सक्षमता
- संस्थागत और व्यक्तिगत क्षमताओं के निर्माण के लिए ई–लर्निंग तथा अन्य प्रमाणित प्लेटफॉर्म्स को मजबूत बनाना। → स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रक में कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना। → परिसंपत्तियों की रियल टाइम निगरानी को सक्षम करने और मिशन को डिजिटल तथा कागज रहित बनाने के लिए ICT सक्षम मजबूत शासन।

उद्यमशीलता को बढ़ावा देना
- छोटे पैमाने वाले निजी उद्यमियों द्वारा स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में स्थानीय रूप से **नवीन, लागत प्रभावी समाधान** तथा व्यवसाय मॉडल को अपनाना।

शहरी-ग्रामीण अभिसरण/जुड़ाव
- पड़ोसी शहरी स्थानीय निकायों और ग्रामीण क्षेत्रों के समूहों के लिए क्लस्टर आधार पर बुनियादी ढांचे का विकास करना, ताकि साझा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा सके।

चैलेंज फंड
- 15 वें वित्त आयोग के तहत, **10 लाख और उससे अधिक आबादी** वाले शहरों को **5 साल की अवधि** में 13,029 करोड़ रुपये का चैलेंज फंड प्रदान किया गया है।
- यह फंड **स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर सेवा स्तर के मानकों** को पूरा करने की सुविधा प्रदान करेगा।

स्वच्छ सर्वेक्षण
- यह पूरे भारत में **शहरों और कस्बों में सफाई, स्वच्छता तथा सैनिटेशन का एक वार्षिक सर्वेक्षण** है।
- यह **दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण है।**
- **कार्यान्वयन भागीदारः** भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI)

17.1.4. स्मार्ट सिटी मिशन (Smart Cities Mission)

केंद्र प्रायोजित योजना

सुर्खियों में क्यों?

SCM के कुछ शहरों ने परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है।

स्मरणीय तथ्य

प्रकार: यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

अन्य उद्देश्य: 100 स्मार्ट शहरों को विकसित करना और उन्हें नागरिकों के अनुकूल बनाना।

कार्यान्वयन एजेंसी विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) द्वारा।

अवधि: 2023 तक।

उद्देश्य

मुख्य अवसंरचना वाले शहरों को बढ़ावा देना और 'स्मार्ट' समाधानों का उपयोग कर अपने नागरिकों को बेहतर जीवन गुणवत्ता, एक स्वच्छ और संधारणीय परिवेश प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताए

स्मार्ट शहर

परिभाषा

- स्मार्ट सिटी की कोई मानक परिभाषा नहीं है।
- इसमें देश की एक–तिहाई से अधिक आबादी निवास करती है।

चयन

- न्यायसंगत मानदंडों के आधार पर इनका चयन किया जाता है। इसके तहत शहरी आबादी और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र में वैधानिक शहरों की संख्या को समान महत्व दिया जाता है।

मौलिक सिद्धांत

स्मार्ट सिटी की अवधारणा 6 मौलिक सिद्धांतों पर आधारित है।

सिद्धांत	विवरण
समुदाय को केंद्र में रखना	योजना बनाने और उसके कार्यान्वयन के दौरान
मोर फ्रॉम लेस	कम संसाधनों के उपयोग से अधिक परिणाम पैदा करने की क्षमता
सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद	शहरों का चयन प्रतिस्पर्धा के माध्यम से करना; परियोजनाओं को लागू करने में लचीला दृष्टिकोण अपनाना
एकीकरण, नवाचार, संधारणीयता	एकीकृत संधारणीय समाधान
प्रौद्योगिकी को साधन के रूप में देखना न कि लक्ष्य के रूप में	प्रौद्योगिकी का सावधानीपूर्वक चयन, जो शहरों के संदर्भ में प्रासंगिक हो
समन्वय	अलग–अलग क्षेत्रकों और वित्तीय मामलों में समन्वय

स्मार्ट समाधान

मुख्य स्मार्ट समाधान

ई–गवर्नेंस और नागरिक सेवाएं	ई गवर्नेंस और नागरिक सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक सेवा वितरण, वीडियो द्वारा अपराध निगरानी, आदि।
अपशिष्ट प्रबंधन	अपशिष्ट का उपयोग कर ऊर्जा और ईंधन की प्राप्ति, अपशिष्ट से खाद बनाना, कंस्ट्रक्शन और डिमोलेशन अपशिष्ट को कम करना और पुनर्चक्रण।
जल प्रबंधन	स्मार्ट मीटर और प्रबंधन, रिसाव की पहचान, पूर्वावलोकन आदि।
ऊर्जा प्रबंधन	अक्षय ऊर्जा, स्मार्ट मीटर और प्रबंधन, हरित भवन और ऊर्जा दक्षता
शहरी गतिशीलता	स्मार्ट पार्किंग, बुद्धिमत्ता पूर्ण यातायात प्रबंधन, एकीकृत मल्टी–मोडल परिवहन।
अन्य	टेली मेडिसिन और टेली एजुकेशन, इनक्यूबेशन और व्यापार सुविधा केंद्र, कौशल विकास केंद्र।

© Vision IAS

विशेष प्रयोजन साधन (Special Purpose Vehicle: SPV)

SPV शहरी स्तर पर कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित एक लिमिटेड कंपनी है। → इसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और ULBS के 50:50 इक्विटी शेयरधारिता वाले प्रमोटर शामिल होंगे। → भारत सरकार द्वारा प्रदत्त निधियां, सशर्त अनुदान के रूप में होंगी और इन्हें एक पृथक अनुदान कोष में रखा जाएगा।

20:20 मॉडल/अवधारणा

एक "100–डेज चैलेंज" जिसमें शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 20 स्मार्ट शहरों को अंतिम 20 स्मार्ट शहरों के साथ सिस्टर सिटी के रूप में संबद्ध किया जाएगा। → ये तकनीकी ज्ञान ग्रहण कर और वित्तीय अध्ययनों के माध्यम से ख़राब प्रदर्शन करने वाले शहरों की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में सहायता करेंगे।

एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र (Integrated Control and Command Centres: ICCC)

- **यह यातायात प्रबंधन, स्वास्थ्य, जल आदि** के क्षेत्रों में नागरिकों को कई ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करता है।
- **अपराध की रोकथाम, बेहतर निगरानी और महिलाओं** के खिलाफ अपराध में कमी लाने में मदद करता है।

SCM के तहत अन्य प्रमुख पहलें

"ईज़ ऑफ़ लिविंग" सूचकांक

यह शहरों को वैश्विक और राष्ट्रीय मानकों की तुलना में उनकी रहने की सुगमता का आकलन करने में मदद करता है। साथ ही, यह शहरों को शहरी नियोजन और प्रबंधन के लिए 'परिणाम–आधारित' दृष्टिकोण को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करता है।

भारत शहरी वेधशाला

यह एक वेबसाइट है जो शहरी परिवेश में डेटा संस्कृति को स्थापित करने के उद्देश्य से अंतर्दृष्टि, दृश्य संसाधनों और उपयोग के मामलों के भंडार के रूप में कार्य करती है।

वर्चुअल हब

यह उभरती प्रौद्योगिकियों और नवाचार का लाभ उठाने हेतु विश्व आर्थिक मंच के साथ साझेदारी में 'शहरी परिवर्तन पर सहयोग के लिए वर्चुअल हब' है।

अन्य

शहरी परिणाम रूपरेखा 2022
शहरों के लिए AI प्लेबुक
AMPLIFI (रहने योग्य, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार शहरी भारत हेतु आकलन तथा निगरानी मंच) पोर्टल।

17.2. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं/पहलें (Other Schemes/Initiatives in News)

स्वच्छ तीर्थ

- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) ने **उत्तराखंड, जम्मू एवं कश्मीर तथा ओडिशा** को यह सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाने के लिए कहा है कि केदारनाथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा और रथ यात्रा (क्रमशः) **उच्च स्तर की स्वच्छता के साथ आयोजित की जाएं।**

प्रस्तावित कदम

- इन राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे तीर्थस्थलों तक पहुंचने वाली सड़कों पर **पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए पर्याप्त संख्या में स्वच्छ सार्वजनिक शौचालय** उपलब्ध कराएं।
- इसके अलावा, **सभी भोजनालयों को कचरा संग्रहण, खाद्य अपशिष्ट के स्व–स्थाने प्रसंस्करण** आदि के बारे में जागरूक किया जाए।
- **इन तीर्थ स्थलों की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी अपेक्षित है।**

'स्वनिधि से समृद्धि' कार्यक्रम (SVANidhi se Samriddhi programme)

- हाल ही में, **126 अतिरिक्त शहरों** को कवर करने के लिए इस योजना का विस्तार किया गया है।
- **उद्देश्यः** यह कार्यक्रम स्ट्रीट वेंडर्स (पथ विक्रेताओं) के **समग्र विकास और सामाजिक–आर्थिक उत्थान के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ** प्रदान करता है।
- यह **पी.एम. स्वनिधि /SVANidhi (प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि) की एक अतिरिक्त योजना है।** इसे जनवरी 2021 को 125 शहरों (चरण–1) में शुरू किया गया था।
- **भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन भागीदार है।**

पी.एम. स्वनिधि योजना की सहायता से स्ट्रीट वेंडर्स का सशक्तीकरण

प्रमुख विशेषताएं

- इसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिसे एक वर्ष की अवधि में मासिक किश्तों में चुकाया जा सकता है।
- यदि ऋण का समय पर या तिमाही भुगतान किया जाता है तो लाभार्थी को 7% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सब्सिडी दी जाती है।
- डिजिटल लेन–देन पर हर माह अधिकतम 100 रुपये तक का कैश–बैक देकर प्रोत्साहन।
- पहले ऋण के समय पर या समय से पूर्व भुगतान के मामले में अगले ऋण की पात्रता (अर्थात् लोन अमाउंट) बढ़ा दी जाती है।
- देश भर के सभी ULBs इसके दायरे में शामिल हैं।

18. जल शक्ति मंत्रालय (Ministry of Jal Shakti)

18.1. सुर्खियों में रही योजनाएं (Schemes In News)

18.1.1. जल जीवन मिशन: हर घर जल {Jal Jeevan Mission (JJM): Har Ghar Jal}

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

सुर्खियों में क्यों?

भारत ने **जल जीवन मिशन के तहत 50 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को नल का पानी उपलब्ध** कराने की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है।

स्मरणीय तथ्य

प्रकार
यह **केंद्रीय क्षेत्रक की योजना** है।

उद्देश्य
प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना।

बच्चों पर ध्यान देना
स्कूलों, **आंगनवाड़ी केंद्रों और आश्रमशालाओं में** नल कनेक्शन के माध्यम से जलापूर्ति उपलब्ध कराना।

कार्यक्षमता आंकलन
कार्यक्षमता आंकलन इसका आंकलन प्रतिवर्ष प्रत्येक जिले में एक थर्ड पार्टी एजेंसी द्वारा किया जाता है।

उद्देश्य

JJM का उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार (हर घर नल से जल) को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन **(Functional Household Tap Connection: FHTC)** उपलब्ध कराना है।

प्रमुख विशेषताएं

कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (Functional Household Tap Connection: FHTC)
- FHTC का तात्पर्य **घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से जलापूर्ति** उपलब्ध कराना है।
  - **पर्याप्त मात्रा में:** कम-से-कम 55 lpcd (लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन)
  - **निर्धारित गुणवत्ता:** (BIS: 10500 मानक)
  - **निरंतर रूप से:** दीर्घकालिक रूप से जलापूर्ति

ग्रामीण-शहरी अंतर को समाप्त करना
- 90 करोड़ से अधिक ग्रामीण लोगों तक सीधे लाभ पहुंचाना।

विकेंद्रीकृत
- मांग-संचालित और समुदाय-प्रबंधित जलापूर्ति कार्यक्रम।

© Vision IAS

'सेवा वितरण' पर ध्यान देना

- केवल जलापूर्ति संबंधी अवसंरचनाओं के निर्माण की बजाय हर घर में **पीने योग्य जल की सुनिश्चित आपूर्ति** पर ध्यान देना।

ग्रामीण कार्य योजना (VAP)

- **दीर्घकालिक पेयजल सुरक्षा के लिए ग्रामीण कार्य योजना** (VAP)
- ग्राम स्तर पर अलग-अलग कार्यक्रमों के सभी उपलब्ध संसाधनों में सामंजस्य स्थापित करना।

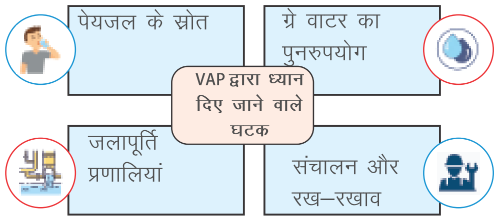

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र

- उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देना, जहां **भू-जल में भू-जनित संदूषक** (मिट्टी में उत्पन्न होने वाले संदूषक) पाए जाते हैं। भू-जनित संदूषकों में शामिल हैं: आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन, लवणता, भारी धातु आदि।

जल शक्ति अभियान

- यह एक जल संरक्षण अभियान है जिसे मिशन-मोड में कार्यान्वित किया जा रहा है।

पानी समिति

- **प्रत्येक गांव में** ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति/पानी समिति का गठन करना।
- कम-से-कम 50% सदस्य **महिलाएं** होनी चाहिए। साथ ही, **समाज के कमजोर वर्गों का समानुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए।**

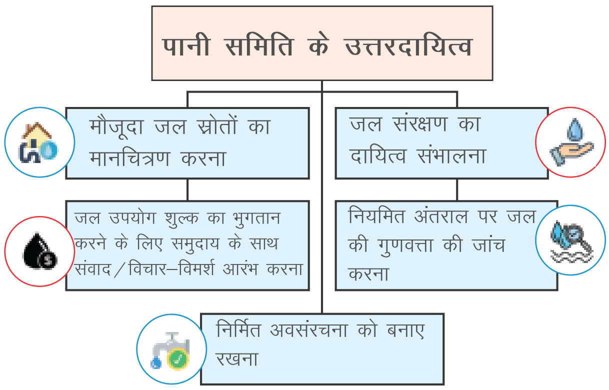

महिलाओं को सशक्त बनाना

- उन क्षेत्रकों में महिलाओं की क्षमता का निर्माण करना, जिन्हें परंपरागत रूप से केवल पुरुषों के लिए ही माना जाता है जैसे कि राजमिस्त्री, मेकैनिक, प्लंबर आदि।

सामुदायिक निगरानी

- ग्राम स्तर पर जल की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए प्रत्येक गांव में **कम से कम पांच व्यक्तियों को फील्ड टेस्ट किट (FTKs)** के उपयोग में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसमें **महिलाओं को प्राथमिकता** दी जाएगी।
- आम जनता के लिए पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं खोली गई हैं, **जहां वे जल के नमूनों की जांच करा सकते हैं।**

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रोत्साहन

- **कार्यात्मक आंकलन सर्वेक्षण** के आधार पर राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को **प्रदर्शन अनुदान** दिया जाता है।

© Vision IAS

भागीदारीपूर्ण कार्यान्वयन

- SHGs, NGOs, स्वैच्छिक संगठन आदि **जागरूकता बढ़ाने में और भागीदारी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।**

पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के लिए तकनीकी हस्तक्षेप

- **JJM-जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (JM-WQMIS);** यह रियल टाइम में JJM के तहत होने वाली भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी करेगी।
- **सेंसर आधारित इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (IoT) समाधानः** यह रियल टाइम आधार पर जलापूर्ति की माप और निगरानी करेगा।
- **सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS):** सभी लेन–देन इसी के माध्यम से किए जाएंगे।

निगरानी में वृद्धि

- JJM के तहत सृजित प्रत्येक संपत्ति की **जियो–टैगिंग** करना।
- **नल कनेक्शन** को घर के मुखिया के **आधार नंबर के साथ जोड़ना।**
- सभी हितधारकों के लिए उनके कार्य करने की सुगमता हेतु **मोबाइल ऐप।**

वितरण में वृद्धि

18.1.2. नमामि गंगे योजना (Namami Gange Yojana)

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

सुर्खियों में क्यों?

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) के तहत गंगा को साफ करने हेतु छह राज्यों में 1,300 किलोमीटर लंबी सीवेज पाइपलाइन बिछाई गई है। ये छह राज्य हैं: **दिल्ली, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।**

स्मरणीय तथ्य

प्रकार
यह एक केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है।

अन्य उद्देश्य
गंगा नदी का कायाकल्प अर्थात् **अविरल धारा (सतत प्रवाह), निर्मल धारा** (प्रदूषण रहित प्रवाह), भूगर्भिक और पर्यावरणीय अखंडता सुनिश्चित करना।

कार्यान्वयन एजेंसी
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG)

बाह्य सहायता
विश्व बैंक परियोजनाओं का वित्त–पोषण कर रहा है। इसके लिए उसने 2026 तक पांच वर्षों की अवधि हेतु ऋण अनुमोदित किया है।

उद्देश्य

राष्ट्रीय नदी गंगा में प्रदूषण का प्रभावी उन्मूलन, नदी का संरक्षण और कायाकल्प करना।

प्रमुख विशेषताएं

पृष्ठभूमि

1985
GAP - I (गंगा कार्य योजना)
- गंगा नदी की मुख्यधारा पर ध्यान देना।
- इसमें 25 कस्बों को शामिल किया गया है।
- 260 योजनाएं।

1993
GAP-II (गंगा कार्य योजन)
- वर्ष 1993 में GAP-1 से इसका विस्तार किया गया था।
- 1996 में NRCP के साथ विलय किया गया था।
- इसमें शामिल नदियां हैं– यमुना, गोमती, दामोदर और महानंदा।

1995
NRCP (राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना)
- देश की 41 प्रमुख नदियां को शामिल किया गया था।
- 8 गंगा बेसिन नदियां जैसे– गंगा, यमुना, गोमती, दामोदर महानंदा, बेतवा, मंदाकिनी और रामगंगा

2009
NGRBA (राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण)
- वर्ष 2009 में गंगा के लिए अलग प्राधिकरण का निर्माण किया गया था।
- इसके अध्यक्ष भारत के प्रधान मंत्री हैं।
- वर्ष 2011 में विश्व बैंक ने गंगा बेसिन परियोजना, NMCG व राज्य मिशनों की सहायता की थी।
- NMCG (राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन) केंद्र में स्थापित एक कार्यान्वयन निकाय है।

2015
नमामि गंगे मिशन।
- एकीकृत संरक्षण मिशन।
- बेसिन आधारित दृष्टिकोण।
- इसमें सभी सहायक नदियां शामिल हैं।

गंगा नदी का कायाकल्प

निर्मल गंगा
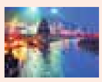

- ग्रामीण स्वच्छता
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
- औद्योगिक प्रदूषण
- प्रदूषित जल का पुनरुपयोग और पुनर्चक्रण
- सीवेज आधारभूत ढांचा

ज्ञान गंगा
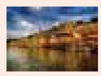

- शहरी नदी प्रबंधन योजना
- जलभृत मानचित्रण और जल स्रोतों का कायाकल्प
- सूक्ष्म जीव विविधता
- जल की गुणवत्ता की निगरानी
- गंगा लिडार (LiDAR) का उच्च रिज़ॉल्यूशन मानचित्रण
- सांस्कृतिक मानचित्रण और जलवायु परिदृश्य मानचित्रण

जन गंगा
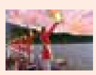

- रिवर फ्रंट, घाट और शवदाह गृह
- गंगा आमंत्रण (राफ्टिंग अभियान)
- गंगा के जल प्रवाह की गति
- गंगा अनुसंधान (ऑनलाइन क्विज)
- सामुदायिक संलग्नता
- गंगा उत्सव (राष्ट्रीय नदी का उत्सव मनाना)

अविरल गंगा
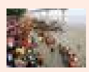

- वनीकरण और जैव–विविधता का संरक्षण
- छोटी नदियों का कायाकल्प
- संधारणीय कृषि
- बाढ़कृत मैदान का संरक्षण
- आर्द्रभूमियों का मानचित्रण और संरक्षण
- अविरल धारा (ई–प्रवाह)

© Vision IAS

प्रमुख स्तंभ

8 प्रमुख स्तंभ

सीवरेज उपचार अवसंरचना	रिवर फ्रंट का विकास	नदी की सतह की सफाई	जैव – विविधता
वनीकरण	जन जागरूकता	औद्योगिक प्रवाह की निगरानी	गंगा ग्राम

प्रमुख रणनीति

रणनीति

- व्यापक एकीकृत कार्यक्रम
- गैर–व्यपगत कोष
- हाइब्रिड एन्युटी आधारित सार्वजनिक–निजी भागीदारी (PPP) मॉडल
- 5 वर्षीय समर्पित बजट आवंटन
- 15 वर्षों के लिए संचालन और रखरखाव (O&M) की लागत शामिल है

राष्ट्रीय गंगा मिशन (NMCG)

- यह **सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860** के तहत 2011 में एक सोसायटी के रूप में **पंजीकृत** हुआ था।
- यह **राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण** (NGRBA) **की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य** करता है। इसका गठन **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम** (EPA),**1986** के प्रावधानों के तहत किया गया है।

संधारणीय और ईको-कृषि

- **घाटी क्षेत्र में संधारणीय कृषि भू–खंडों** का विकास करना और **जल उपयोग दक्षता में सुधार** करना।
- **गंगा ग्रामों** में जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना।
- **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ भागीदारी** में किया गया है।

गंगा ग्राम योजना

- **उद्देश्य:** गंगा नदी की मुख्यधारा के तट पर स्थित ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक और/या पर्यटक महत्त्व के गांवों को विकसित करना।
- गंगा ग्राम से संबंधित कार्यों में **व्यापक ग्रामीण स्वच्छता, जल निकायों और नदी घाटों का विकास करना, शवदाह गृह का निर्माण/आधुनिकीकरण करना आदि शामिल हैं।**

जन गंगा

- जन जागरूकता को बढ़ाने के लिए लोगों को नदी से जोड़ना। साथ ही, बड़े पैमाने पर भागीदारी तथा **समुदाय और आम जनता की सहभागिता को बढ़ावा देना।**

गंगा उत्सव

- यह **गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने का उत्सव मनाने के लिए** एक बहु–गतिविधि कार्यक्रम है।
- यह उत्सव नदी सिनेमा, प्रश्नोत्तरी/क्विज, कहानी सुनाने आदि के माध्यम से **छात्रों और युवाओं** को जोड़ता है।

रिवर फ्रंट का विकास

- गंगा नदी के तट पर **घाटों और शवदाह गृहों** का निर्माण करना।

स्वच्छ गंगा कोष (Clean Ganga Fund: CGF)

कानूनी स्थिति

यह भारतीय न्यास अधिनियम के तहत पंजीकृत है। **केंद्रीय वित्त मंत्री** इसकी अध्यक्षता करते हैं।

CSR का हिस्सा

इसमें योगदान भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक अधिसूचित **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व** (CSR) गतिविधि के तहत किया जाता है।

सहयोग देने के लिए प्रोत्साहन

- विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) से छूट प्राप्त है।
- आयकर की धारा 80G के तहत 100% कर कटौती के लिए पात्र है।

© Vision IAS

गंगा नदी घाटी प्रबंधन एवं अध्ययन केंद्र (cGanga)

cGanga, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) के साथ व्यापक थिंक टैंक की क्षमता में कार्य करता है।

इसे 2016 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर (IITK) में स्थापित किया गया था।	यह गंगा नदी बेसिन के सतत विकास हेतु डेटा संग्रह तथा ज्ञान एवं सूचना के सृजन और प्रसार के लिए कार्य करता है।	cGanga के उद्देश्य के भाग के रूप में, हर साल 3 दिवसीय भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है।

भौगोलिक मानचित्रण

- **भारतीय सर्वेक्षण विभाग** LiDAR (लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग) और GIS तकनीक का उपयोग करके **गंगा कायाकल्प कार्य** को सुगम बनाता है।
- इसका उद्देश्य **5 प्रमुख राज्यों को कवर** करते हुए लगभग 45,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का मानचित्रण करना है। ये 5 प्रमुख राज्य हैं: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम

सांस्कृतिक मानचित्रण

- INTACH के साथ भागीदारी में गंगा नदी के किनारे मूर्त, अमूर्त और निर्मित विरासत का डॉक्यूमेंटेशन करना।

सूक्ष्मजीव मानचित्रण

- पारितंत्र सेवाओं के लिए **संपूर्ण गंगा में सूक्ष्मजीव विविधता** का GIS-आधारित मानचित्रण करना।

शहरी नदी प्रबंधन योजना (URMP)

- इसे **शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान** (NIUA) और NMCG द्वारा विकसित किया गया है।
- इसका उद्देश्य गंगा नदी बेसिन में **शहरी नदियों की संपूर्णता को बनाए** रखना है।

ग्रामीण स्वच्छता

- गंगा नदी तट के सभी 4,465 गांवों को **खुले में शौच मुक्त** (ODF) **घोषित किया गया है।**
- गंगा नदी तट पर स्थित गांवों में **तरल अपशिष्ट प्रबंधन की आवश्यकता है।**

अर्थ गंगा

- **लक्ष्य: संधारणीय विकास को बढ़ावा देकर** गंगा संरक्षण के लिए लोगों की भागीदारी को बढ़ाना।
- **नदी के साथ लोगों को जोड़ने के लिए अर्थशास्त्र का उपयोग** करना।
- **यह गंगा बेसिन से सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3%** का योगदान सुनिश्चित करेगा।

अर्थ गंगा के 6 घटक

शून्य बजट प्राकृतिक कृषि, नदी के दोनों ओर 10 कि.मी. तक रसायन–मुक्त कृषि तथा गोबरधन योजना को लागू करना।	गाद और अपशिष्ट जल का मुद्रीकरण और पुनरुपयोग करना तथा सिंचाई और औद्योगिक कार्यों में उपचारित जल को फिर से उपयोग में लाकर नगरीय स्थानीय निकायों (ULBs) के लिए राजस्व बढ़ाना।	हाटों का निर्माण करके, जिसमें लोग स्थानीय उत्पादों, औषधीय पौधों तथा आयुर्वेद से जुड़ी वस्तुओं को बेचकर आजीविका सृजन के अवसर तलाश सकते हैं।	पक्षकारों के मध्य सहयोग बढ़ाकर और उन्हें नदियों से जोड़कर जन–भागीदारी को बढ़ावा देना	पर्यटन, साहसिक खेल और योग संबंधी गतिविधियों का संचालन करके सांस्कृतिक धरोहरों तथा पर्यटन को बढ़ावा देना।	जल प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाकर संस्थागत निर्माण को बढ़ावा देना।

© Vision IAS

19. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT)

19.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

19.1.1. राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (National Child Labour Project: NCLP)

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, श्रम पर संसद की स्थायी समिति को सूचित किया गया था कि केंद्र के पास बाल श्रम पर कोई नया डेटा उपलब्ध नहीं है।

स्मरणीय तथ्य

प्रकार
यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।**

लक्षित समूह
14 वर्ष से कम आयु के बच्चे और 18 वर्ष से कम आयु के किशोर।

उद्देश्य
बाल श्रमिकों का पुनर्वास करना।

कार्यान्वयन
जिला परियोजना समितियों (DPS) के माध्यम से।

उद्देश्य

बाल श्रम के सभी रूपों को खत्म करना, बाल श्रम को लेकर लोगों के मध्य जागरूकता बढ़ाना तथा बाल श्रम निगरानी, ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम का निर्माण करना।

प्रमुख विशेषताएं

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2021 में NCLP योजना का समग्र शिक्षा अभियान (SSA) में विलय कर दिया गया था। **नोट:** SSA योजना की विस्तृत जानकारी के लिए शिक्षा मंत्रालय का संदर्भ ले सकते हैं।

पुनर्वास

- बच्चों को छात्रवृत्ति का भुगतान मॉड्यूलर आधार पर किया जाता है। यह भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से कम से कम तीन महीने के लिए किया जाता है।

पुनर्वास के दो तरीके

- **5 से 8 वर्ष के मध्य की आयु तक के बच्चे** (5 to 8): बाल श्रम से मुक्ति दिलाना और औपचारिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ना
- **9 से 14 वर्ष के मध्य की आयु तक के बच्चे** (9 to 14): बाल श्रम से मुक्ति दिलाना और शिक्षा से जोड़ने के लिए NCLP के विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में भेजना, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना आदि। इसके बाद उन्हें औपचारिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ना।

© Vision IAS

जिला योजना समितियां (DPS)

- कलेक्टर/जिलाधिकारी के अधीन स्थापित।
- जोखिमपूर्ण व्यवसायों और प्रक्रियाओं में काम करने वाले बच्चों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करना।
- साथ ही, परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करना।

बाल श्रम निषेध के प्रभावी प्रवर्तन के लिए मंच (पेंसिल/PENCiL)

- **योजना की बेहतर निगरानी के लिए एक समर्पित पोर्टल का गठन करना।**

विशेषताएं

- नई शिकायतें दर्ज/पंजीकृत करना
- बच्चों की रिपोर्टिंग करना
- शिकायतों की प्रगति की निगरानी करना
- दिशा–निर्देशों और प्रमुख आदेशों की जांच करना
- बाल श्रम नीति/NCLP योजना से संबंधित सूचनाएं प्रदान करना

संबंधित सूचना

भारत द्वारा अभिपुष्ट अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय

- बाल श्रम के सबसे खराब रूपों से संबंधित ILO अभिसमय 182
- नियोजन की न्यूनतम आयु से संबंधित ILO अभिसमय 138

बाल श्रम (निषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 बालकों के नियोजन को प्रतिबंधित करता है:

- 14 वर्ष से कम आयु के बालक के किसी भी व्यवसाय में नियोजन या उन्हें काम पर रखने को निषिद्ध करता है।
- 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों के खतरनाक व्यवसायों में नियोजन को प्रतिबंधित करता है।

© Vision IAS

20. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises)

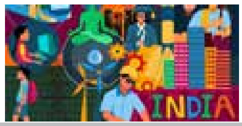

20.1. शुरू की नई योजनाएं (Newly Launched Schemes)

MSME प्रतिस्पर्द्धी (LEAN) योजना {MSME Competitive (LEAN) Scheme}

उद्देश्य: LEAN विनिर्माण प्रथाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना और उन्हें लीन स्तर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना।

- **LEAN** विनिर्माण के तहत, उत्पादकता को अधिकतम करते हुए अपशिष्ट को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत सभी **MSMEs** इस योजना के तहत भाग लेने के लिए पात्र होंगे।

यह योजना स्फूर्ति **(SFURTI)** और क्लस्टर विकास कार्यक्रम योजनाओं के लिए भी खुली है।

LEAN मैन्युफैक्चरिंग (LM) तकनीकों प्रयोग

- अपशिष्ट को कम करना
- उत्पादकता में वृद्धि करना
- समग्र प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए नवीन कार्यप्रणालियों की शुरुआत करना
- अच्छी प्रबंधन प्रणाली विकसित करना
- निरंतर सुधार की संस्कृति को आत्मसात करना

20.2. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Scheme in News)

20.2.1 सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (Micro & Small Enterprises Cluster Development Programme: MSE-CDP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने MSE-CDP योजना को संशोधित किया है।

स्मरणीय तथ्य

लक्ष्य
सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) की प्रतिस्पर्धात्मकता एवं उत्पादकता को बढ़ाना।

लाभार्थी
स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) के रूप में मौजूदा उद्यमी।

वित्त–पोषण
केंद्र और राज्य के बीच साझा आधार पर सरकारी वित्त–पोषण प्रदान किया जाता है।

अवधि
वित्त वर्ष 2021–22 से वित्त वर्ष 2025–26 तक।

© Vision IAS

उद्देश्य

- MSEs की संधारणीयता, संवृद्धि और क्षमता निर्माण को समर्थन प्रदान करना।
- टेस्टिंग (परीक्षण), प्रशिक्षण, कच्चे माल के डिपो, बहिस्राव उपचार, उत्पादन प्रक्रियाओं के पूरक आदि के लिए **कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स** की स्थापना करना।

प्रमुख विशेषताएं

क्लस्टर की विशेषताएं

- एक पहचान योग्य और निकटवर्ती क्षेत्र (काफी हद तक) या एक मूल्य श्रृंखला के भीतर स्थित उद्यमों का एक समूह।
- कमोबेश एक भौगोलिक क्षेत्र में समान/समान उत्पादों/पूरक उत्पादो/सेवाओं का उत्पादन करना, जिन्हें सामान्य भौतिक अवसंरचना सुविधाओं द्वारा एक साथ जोड़ा जा सके।
- उनकी साझा चुनौतियों का समाधान करना।

दो घटक

2 घटक

- **कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स (CFCs)**: **औद्योगिक एस्टेट में CFCs के रूप में मूर्त "परिसंपत्तियों" का निर्माण करना।**
- **अवसंरचना विकास (ID)**: **नए/मौजूदा अधिसूचित औद्योगिक एस्टेट में बुनियादी ढांचे का विकास करना।**

हालिया संशोधन

- अलग-अलग लागत वाली परियोजनाओं पर **कोई सीमा आरोपित नहीं** की गई है। हालांकि, **केंद्र सरकार की सहायता केवल ऊपरी सीमा तक ही सीमित होगी।**

परियोजना	सामान्य सुविधा केंद्र (CFCs)		अवसंरचना विकास	
सीमा	5–10 करोड़ रुपये	10–30 करोड़ रुपये	नई परियोजनाओं के लिए 5–15 करोड़ रुपये	उन्नयन के लिए 5–15 करोड़ रुपये
केंद्र सरकार का योगदान	परियोजना लागत का 70%	परियोजना लागत का 60%	परियोजना लागत का 60%	परियोजना लागत का 60%

- **पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों, द्वीपीय क्षेत्रों व आकांक्षी जिलों** के लिए प्रत्येक श्रेणी के तहत **अतिरिक्त 10% की सहायता दी जाएगी।**
- LWE से प्रभावित ऐसे जिलों और क्लस्टर्स को शामिल किया गया है, जिनमें 50% से अधिक माइक्रो विलेज हों या महिलाओं के स्वामित्व या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाली इकाइयां हों।

© Vision IAS

20.2.2. प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PM Employment Generation Programme: PMEGP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, इस योजना को **वित्त वर्ष 2026 तक बढ़ा** दिया गया है, जिसमें **13,554 करोड़ रुपये** खर्च किए जाएंगे। इस योजना का लक्ष्य 40 लाख रोजगार सृजित करना है।

स्मरणीय तथ्य

प्रकार
यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।

अन्य उद्देश्य
बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

नोडल कार्यान्वयन एजेंसी
खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC)और कॉयर इकाइयों (Coir Units) के लिए कॉयर बोर्ड कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेंगे।

अवधि
वर्ष 2025–26 तक।

उद्देश्य

देश के **ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सतत व स्थायी रोज़गार के अवसर पैदा करना। व्यापक रूप से अन्य स्थानों पर कार्यरत पारंपरिक कारीगरों को एक मंच** प्रदान करना तथा **ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को उनके स्थान पर** स्वरोजगार के यथासंभव अवसर प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताएं

सम्मिलित की गई योजनाए
- प्रधान मंत्री रोजगार योजना (PMRY)
- ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (REGP)

पात्रता

पात्रता मानदंड

18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति।	विशेष श्रेणी के लाभार्थी।	अन्य लाभार्थी।
विनिर्माण के लिए 10.00 लाख रुपये या सेवा क्षेत्र के लिए 5.00 लाख रुपये से अधिक की परियोजना हेतु **आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।**	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ भूतपूर्व सैनिक/ महिला/ दिव्यांग/ अल्पसंख्यक/ ट्रांसजेंडर/ पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER)	सोसाइटी, SHGs, चैरिटेबल ट्रस्ट और उत्पादन सहकारी समितियों के तहत पंजीकृत संस्थाए ं।

सब्सिडी पात्रता और बैंक वित्त

	बैंक वित्त	KVIC द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी		प्रमोटर का योगदान
		शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	
सामान्य श्रेणी लाभार्थी/ संस्था	90%	15%	25%	10%
विशेष श्रेणी लाभार्थी/ संस्था	95%	25%	35%	5%

© Vision IAS

सहायता की प्रकृति

किस पर लागू	अधिकतम स्वीकृत परियोजना लागत	कवर किए गए परिवार के सदस्य
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में **सभी नए व्यवहार्य (तकनीकी और आर्थिक रूप से)** सूक्ष्म उद्यमों पर लागू होगा।	**विनिर्माण क्षेत्रक में 50 लाख रुपये** और **सेवा क्षेत्रक में 20 लाख रुपये।** कुल परियोजना लागत की शेष **राशि बैंकों द्वारा सावधि ऋण के रूप में प्रदान** की जाएगी।	**एक परिवार से केवल एक व्यक्ति वित्तीय** सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है।

डिजिटाइजेशन

- **आवेदनों की ऑनलाइन** प्रोसेसिंग और मार्जिन मनी का आवंटन वित्त–पोषण शाखाओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा।

20.3. संशोधित/पुनर्गठित योजनाएं (Modified/Restructured schemes)

NEWS संशोधित क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE) योजना

- **पृष्ठभूमि:** CGTMSE को 2005 में लॉन्च किया गया था।
- **उद्देश्य: MSMEs को जमानत–मुक्त ऋण उपलब्ध कराना और पहली पीढ़ी के उद्यमियों** को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना।
- **लाभ:** यह योजना ऋण देने वाली संस्थाओं के माध्यम से MSEs (मौजूदा और नए उद्यम दोनों) को **जमानत–मुक्त ऋण** उपलब्ध कराती है।
- **ऋण देने वाली संस्थाएं:** वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक, गैर–अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक, आदि।
- **कार्यान्वयन प्राधिकरण: क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट** द्वारा, जिसे MSME मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) द्वारा स्थापित किया गया है।

NEWS संशोधित 'शून्य दोष शून्य प्रभाव (ZED) प्रमाणन योजना'

- **पृष्ठभूमि:** विनिर्माताओं को पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूक बनाने के लिए 2016 में ZED प्रमाणन योजना शुरू की गई थी।
- **लक्ष्य:** भारतीय कंपनियों को **वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना और उन्हें पूंजी तक आसान पहुंच प्राप्त करने में मदद करना।**

© Vision IAS

सब्सिडी की मुख्य विशेषताएं

ZED प्रमाणीकरण सब्सिडी

- **80%** अति लघु उद्यम
- **60%** छोटे उद्यम
- **50%** मध्यम उद्यम

10%
ZED प्रमाणीकरण पर अतिरिक्त सब्सिडी
महिला/SC/ST उद्यमियों के स्वामित्व वाले MSMEs या पूर्वोत्तर/हिमालयन/LWE/ द्वीप क्षेत्रों/आकांक्षी जिलों के MSMEs

5%
उन MSMEs के लिए अतिरिक्त **सब्सिडी, जो स्फूर्ति (SFURTI) या सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (MSE-CDP)** का भी एक हिस्सा हैं।

ZED प्रमाणन के तहत MSMEs के लिए **हैंडहोल्डिंग और परामर्श सहायता हेतु 5 लाख रुपये (प्रति MSMEs) उपलब्ध कराए जाएंगे।**

ZED Joining Reward Rs.10,000

ZED के साथ अभी रजिस्टर करें और इनाम पाएं

20.4. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं/ पहल (Other Schemes/ Initiatives in News))

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के प्रदर्शन को बेहतर और तीव्र (RAMP) करने हेतु योजना {Raising and Accelerating MSME Performance (RAMP) scheme}

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

- **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **अवधि:** वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक।
- **वित्त-पोषण:** विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा।
- **उद्देश्य: राष्ट्रीय स्तर पर MSME मंत्रालय की क्षमता को बेहतर** करना। साथ ही, **गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान एवं तमिलनाडु राज्यों में कार्यान्वयन क्षमता और फर्म कवरेज को बढ़ाना।**
- मंत्रालय के अलग-अलग कार्यक्रमों के अंतर्गत आने वाले लास्ट माइल एंटरप्राइज द्वारा पर्यावरण और सामाजिक मानकों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए **पर्यावरण एवं सामाजिक मूल्यांकन** (ESSA) **को अनिवार्य किया गया है।**
- नवाचार को बढ़ावा देने, विचारों को प्रोत्साहित करने आदि के द्वारा **आत्मनिर्भर भारत अभियान को समर्थन प्रदान** करना।

© Vision IAS

"पहली बार निर्यात करने वाले MSME निर्यातकों की क्षमता निर्माण" (CBFTE) योजना {Capacity Building of First Time MSE Exporters (CBFTE) scheme}

उद्देश्य: MSMEs **को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के उत्पादों और सेवाओं** को उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित करना।

कार्यान्वयन एजेंसी: भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ECGC).

पात्रता: विनिर्माण क्षेत्रक में संलग्न सूक्ष्म और लघु उद्यम (MSE) **निर्यातक तथा इनके साथ:**

- वैध **उद्यम पंजीकरण;**
- **आयात निर्यात कोड संख्या 3 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए; तथा**
- **प्रीमियम भुगतान** का प्रमाण।

पूर्वोत्तर क्षेत्र {NER} और सिक्किम में MSMEs को बढ़ावा देना {Promotion of MSMEs in North Eastern Region (NER) and Sikkim}

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

प्रकार: यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।**

अवधि: वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक।

उद्देश्य: पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में MSMEs की **उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने तथा क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय सहायता** प्रदान करना।

घटक

- नए लघु प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना और मौजूदा लघु प्रौद्योगिकी केंद्रों का आधुनिकीकरण।
  - परियोजना की जियो टैगिंग अनिवार्य है।
- नए और मौजूदा औद्योगिक एस्टेट का विकास।
- पर्यटन क्षेत्रक का विकास।
  - होम स्टे के क्लस्टर में किचन, बेकरी, लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग आदि जैसी कॉमन सेवाओं के निर्माण पर विचार किया जा सकता है।

21. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (Ministry of Minority Affairs)

21.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Scheme in News)

21.1.1. प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram: PMJVK)

केंद्र प्रायोजित योजना

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत चल रहे शिक्षा कार्यक्रम तेलंगाना बहुत अधिक लाभान्वित हुआ है।

स्मरणीय तथ्य

प्रकार: यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

उद्देश्य: विकास की कमी वाले चिन्हित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (जिन्हें सामुदायिक परिसंपत्ति का दर्जा दिया जाता है) को विकसित करना।

लाभार्थी: अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात **मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन और पारसी।**

अवधि: वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक।

उद्देश्य

चिन्हित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विकास की कमी को दूर करना तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताएं

कवरेज: **वे सभी जिले** जहां के कैचमेंट एरिया (15 कि.मी. के दायरे) में अल्पसंख्यक आबादी की सघनता 25% से अधिक है।

वित्तीय सहायता:

- केवल सामुदायिक परिसंपत्तियों के (विशेष रूप से प्राथमिकता वाले क्षेत्रकों में) **अवसंरचनात्मक विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।**
- राज्य सरकार/ केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन/ केंद्र सरकार के संगठनों द्वारा **निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई** जाएगी।
- **संबंधित संगठन द्वारा आवर्ती/ रख-रखाव व्यय का वहन** किया जाएगा।

© Vision IAS

प्राथमिकता वाला क्षेत्र

इस कार्यक्रम के तहत लगभग 80% संसाधनों का उपयोग **प्राथमिकता वाले क्षेत्रकों** से संबंधित परियोजनाओं के लिए किया जाएगा।

अवसंरचना विकास के लिए प्रमुख क्षेत्रक

- स्वास्थ्य
- कौशल विकास
- महिला केंद्रित परियोजनाएं (आवासीय विद्यालय, लड़कियों के कॉलेज, छात्रावास आदि)
- राष्ट्रीय महत्त्व के उभरते क्षेत्रक, जैसे– खेल, स्वच्छता, सौर ऊर्जा आदि
- विश्वकर्मा गांवों में कला, शिल्प व कौशल, विरासत
- शिक्षा

महिला सशक्तीकरण

महिलाओं/बालिकाओं के लिए परिसंपत्तियां/ सुविधाएं तैयार करने हेतु कम–से–कम 33–40 प्रतिशत निधियों का उपयोग करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

21.1.2 प्रधान मंत्री विरासत का संवर्धन (PM VIKAS) योजना {PRADHAN MANTRI VIRASAT KA SAMVARDHAN (PM VIKAS) SCHEME}

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दी है।

स्मरणीय तथ्य

प्रकार

यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।**

अन्य उद्देश्य:

अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से कारीगर समुदायों की **आजीविका में सुधार** करना।

लाभार्थी:

अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात् **मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन और पारसी।**

अवधि:

वर्ष 2025–26 तक।

सुर्खियों में रही सरकारी योजनाएं

© Vision IAS

उद्देश्य

आजीविका के अवसर, क्षमता निर्माण, अल्पसंख्यकों समूहों के अंतर्गत शामिल महिलाओं का सशक्तीकरण और सांस्कृतिक विरासत को बढावा देना।

प्रमुख विशेषताएं

अल्पसंख्यक

- इस योजना में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत अधिसूचित अल्पसंख्यक – **मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन और पारसी**– शामिल हैं।

अम्ब्रेला योजना

पूर्ववर्ती योजनाओं का अभिसरण

- सीखो और कमाओ
- उस्ताद
- हमारी धरोहर
- नई रोशनी
- नई मंजिल

कौशल और प्रशिक्षण

पारंपरिक प्रशिक्षण उप–घटक

- इसमें तत्कालीन **उस्ताद और हमारी धरोहर योजना** को शामिल किया गया है।
- इसके तहत **पारंपरिक कला और शिल्प में संलग्न** अल्पसंख्यक कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

गैर–पारंपरिक कौशल

- इसमें पूर्ववर्ती **सीखो और कमाओ योजना** को शामिल किया गया है।
- कला और शिल्प के साथ संबंध रखने वाले क्षेत्रकों में राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) के अनुरूप रोजगार की भूमिकाएं प्रदान करना।

नेतृत्व और उद्यमिता

- इसमें पूर्ववर्ती **नई रोशनी योजना** को शामिल किया गया है।
- मुख्य रूप से युवाओं के बीच नेतृत्व विकास और बुनियादी उद्यमिता को बढ़ावा देता है।
- योजना में कुल लक्ष्य का कम–से–कम 33: हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित है।
- प्रशिक्षित लोगों में से इच्छुक महिला उद्यमियों का चयन करना, बिजनेस मेंटर ('बिज सखियों') बनने तथा इस उद्देश्य हेतु यक्तिगत या समूह उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा देना।

© Vision IAS

शिक्षा सेतु कार्यक्रम

- इसमें पूर्ववर्ती **'नई मंजिल'** को शामिल किया गया है।
- यह योजना **स्कूल छोड़ने वाले बच्चों** को शिक्षा ब्रिज कार्यक्रम की सुविधा प्रदान करती है, ताकि ये बच्चे कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं में ओपन स्कूलिंग से जुड़ सकें।

अवसंरचना विकास

'हब एंड स्पोक' मॉडल में अवसंरचना को विकसित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों की अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण।

- **विश्वकर्मा गांवों'** (जिन्हें 'हब' भी कहा जाता है) के रूप में ज्ञात कला और शिल्प गांवों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- **विश्वकर्मा गांव** स्थानीय कलात्मक उत्साह और अंदाज को मूर्त रूप देने, प्रदर्शित करने और बढ़ावा देने वाले **मॉडल गांव** हैं।
- वे कारीगरों को एक **अनूठी और प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पहचान** प्रदान करते हैं।

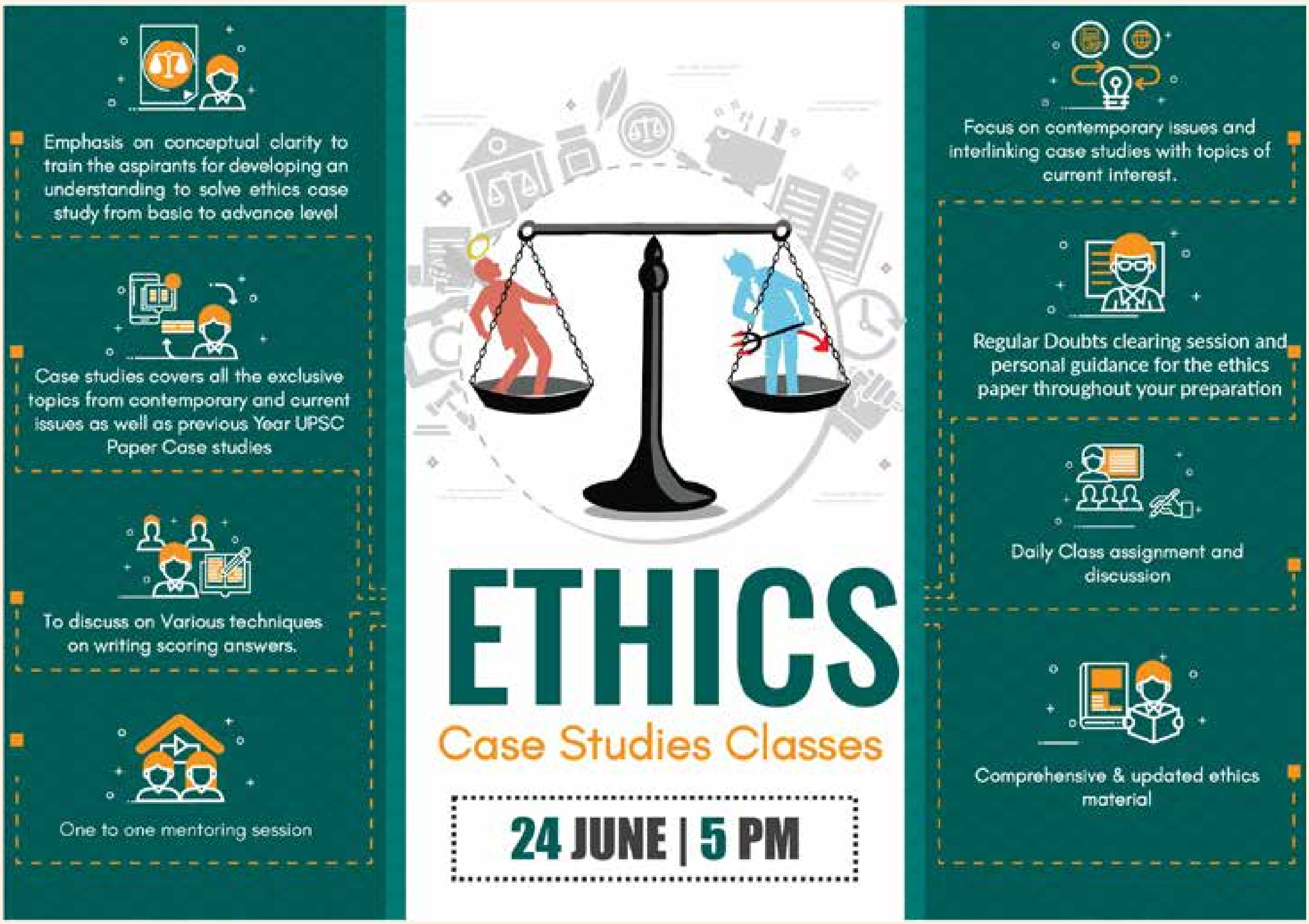

© Vision IAS

22. पंचायती राज मंत्रालय (Ministry of Panchayati Raj)

22.1. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं/पहलें (Other schemes/ initiatives in news)

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan: RGSA)

केंद्र प्रायोजित योजना

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान** (RGSA) **को वर्ष 2026 तक जारी रखने** की मंजूरी दी है।

प्रकार: यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

उद्देश्य: पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की **गवर्नेंस क्षमताओं को विकसित** करना।

कवरेज: इस योजना को देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत भारतीय संविधान के भाग IX से बाहर के ऐसे क्षेत्रों की ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाएं भी शामिल हैं, जहां पंचायतें मौजूद नहीं हैं।

स्थानीय स्तर पर 9 SDGs की प्राप्ति हेतु **राष्ट्रीय महत्व के विषयों को प्राथमिकता दी गई है।**

यह पंचायतों की क्षमता और प्रभावकारिता को बढ़ाकर तथा शक्तियों एवं जिम्मेदारियों का हस्तांतरण करके पंचायतों की सफलता को बाधित करने वाली **छोटी–छोटी कमियों को दूर करने** का प्रयास करता है।

9 थीम

- गांवों में बेहतर आजीविका और गरीबी से मुक्ति
- स्वस्थ गांव
- चाइल्ड फ्रेंडली गांव
- पर्याप्त जल वाले गांव
- स्वच्छ और हरित गांव
- गांव में आत्मनिर्भर इंफ्रास्ट्रक्चर
- सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव
- सुशासन वाला गांव
- गांव में जन विकास

नोट: यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्राम स्वराज अभियान (विस्तारित) से अलग है। ग्राम स्वराज अभियान का उद्देश्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की आपूर्ति के तरीकों में बदलाव लाना है।

© Vision IAS

23. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (Ministry of Ports, Shipping and Waterways)

23.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

23.1.1. सागरमाला (SAGARMALA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सागरमाला कार्यक्रम के तहत सागरमाला यंग प्रोफेशनल (SYP) स्कीम शुरू की गई है।

स्मरणीय तथ्य

अन्य उद्देश्य: न्यूनतम बुनियादी ढांचे के निवेश के साथ आयात–निर्यात **और घरेलू व्यापार** के लिए लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना।

वित्त–पोषण: स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) के माध्यम से इक्विटी सपोर्ट और बजट समर्थन प्रदान करना।

परियोजनाओं का कार्यान्वयन: परियोजनाओं को **निजी या PPP मोड** के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा।

राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति: पोत परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में गठित यह समिति, योजना के संबंध में नीतिगत निर्देश प्रदान करती है। साथ ही, यह योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है।

उद्देश्य

भारत की लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा और लगभग 14,500 किलोमीटर वाले संभावित नौगम्य जलमार्गों की क्षमता का दोहन करके **आर्थिक विकास** की गति को तेज करना।

प्रमुख विशेषताएं

पृष्ठभूमि

- सागरमाला कार्यक्रम को **राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना** (NPP) के अनुरूप विकसित किया गया है इसे 2016 में शुरू किया गया था। NPP भारतीय तटरेखा के समग्र विकास पर केंद्रित है।

पत्तन आधारित विकास

इस योजना के तहत परियोजनाओं को पांच स्तंभों में वर्गीकृत किया गया है।

बंदरगाह आधुनिकीकरण और नए बंदरगाहों का विकास	पोर्ट कनेक्टिविटी का विस्तार	बंदरगाह केंद्रित औद्योगीकरण	तटीय सामुदायिक विकास	तटीय पोत परिवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन

बंदरगाह आधुनिकीकरण और नए बंदरगाह का विकास

- वर्ष 2025 तक भारतीय बंदरगाह क्षमता को **3300+ मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष** (MMTPA) तक बढ़ाने हेतु एक रोडमैप तैयार किया गया है। यह कदम बढ़ते यातायात से निपटने के लिए उठाया गया है।

© Vision IAS

पोर्ट कनेक्टिविटी का विस्तार

- **बंदरगाहों और घरेलू उत्पादन/उपभोग केंद्रों** (मुख्य रूप से भीतरी इलाकों में स्थित) **के बीच बेहतर संपर्क प्रदान** करना।

बंदरगाह केंद्रित औद्योगीकरण

- तटीय आर्थिक क्षेत्र (CEZ)
- तटीय आर्थिक इकाइयाँ (CEUs)
- बंदरगाह से जुड़े औद्योगिक और समुद्री क्लस्टर
- स्मार्ट औद्योगिक बंदरगाह शहर

तटीय सामुदायिक विकास

- **समुद्री क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों** (जैसे– मत्स्य पालन, समुद्री पर्यटन आदि) और **तदनुरूप कौशल विकास** के माध्यम से।

तटीय पोत परिवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन

- तटीय आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए रेल/ सड़क और जलमार्गों का उपयोग करके बंदरगाहों पर अवसंरचना और समर्थनकारी अवसंरचना का निर्माण करना।

सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड

- **इसे राज्य स्तरीय/ जोन स्तरीय विशेष प्रयोजन वाहनों (SPVs) की सहायता** के लिए **कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत** स्थापित किया गया है।

प्रमुख बंदरगाहों (महापत्तनों) का आधुनिक गवर्नेंस

- निर्णय लेने में **अधिक स्वायत्तता प्रदान करना।**
- विकास के **'लैंडलॉर्ड मॉडल' को अपनाना।**
- **विश्व स्तरीय बंदरगाह अवसंरचना तैयार करना।**

अब तक की प्रमुख उपलब्धियां

बेहतर सुरक्षा

बायोमेट्रिक नाविक पहचान दस्तावेज़ (BSID), जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से पहचान–पत्र के भीतर बायोमेट्रिक चिप लगायी गयी है।

बेहतर कनेक्टिविटी

राष्ट्रीय जलमार्ग (NW)–1 पर, वाराणसी और साहिबगंज में दो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट (MMTs) का निर्माण किया गया है।

हल्दिया में एक और MMT का कार्य पूरा होने वाला है।

बेहतर क्षमता

नए प्रमुख बंदरगाहः महाराष्ट्र के दहानू स्थित वधावन में एक प्रमुख बंदरगाह के निर्माण के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी प्रदान की गई है। इसे 'लैंडलॉर्ड मॉडल' पर विकसित किया जाएगा।

कार्गो हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाकर 2500 MMTPA किया गया है।

© Vision IAS

सागरमाला युवा पेशेवर (SYP) योजना

- **उद्देश्य: मंत्रालय के अलग–अलग विभागों में प्रतिभाशाली, प्रगतिशील विचार रखने वाले और गतिशील युवा पेशेवरों को शामिल** करना।
- इस नवीनतम योजना के तहत शुरू में लगभग **25 युवा पेशेवरों को 2 वर्ष (2 अन्य वर्षों तक विस्तारित) के लिए नियोजित किया जाएगा।** ये बुनियादी ढांचे, डेटा विश्लेषण, परियोजना प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले इनपुट प्रदान करेंगे।

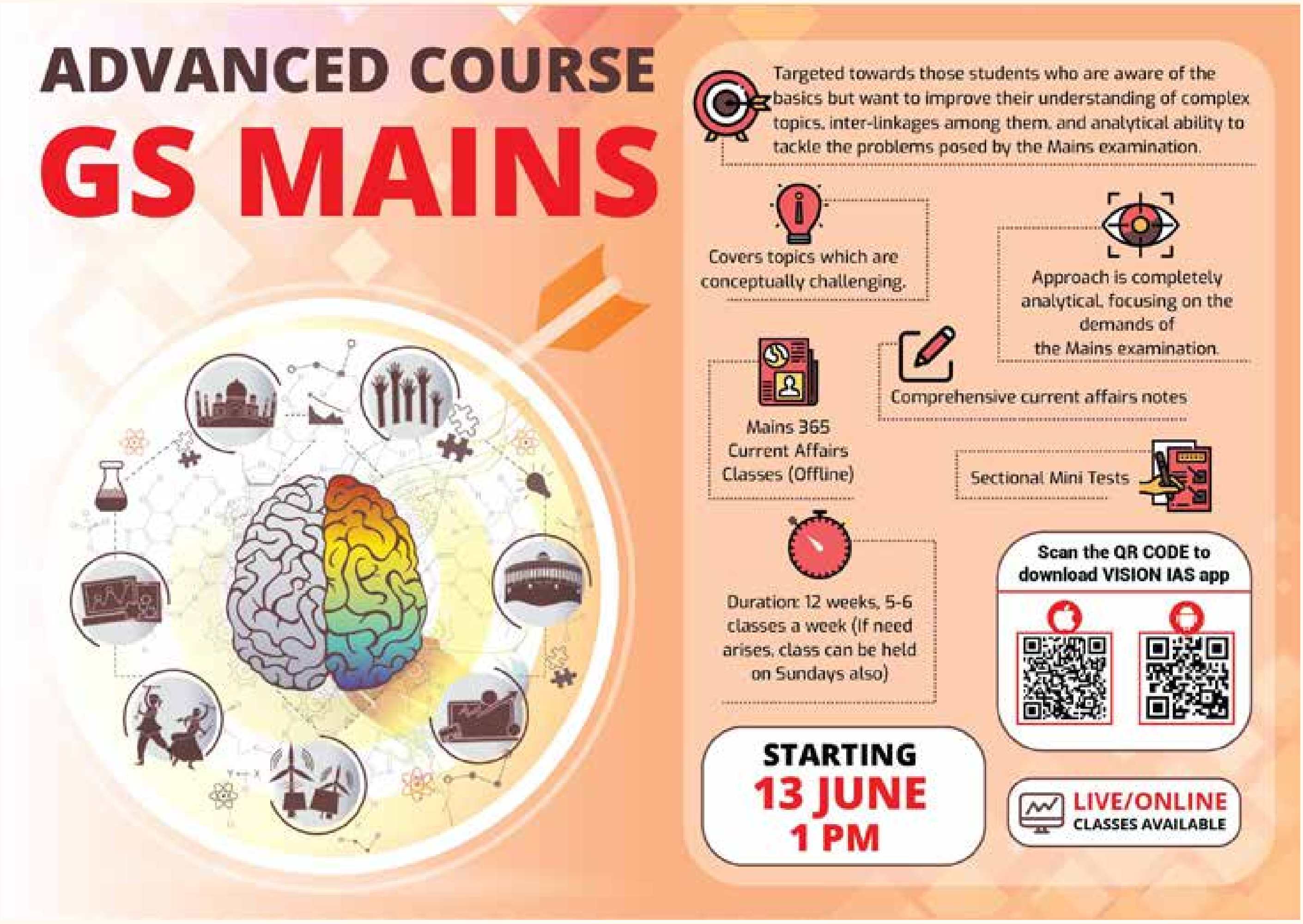

© Vision IAS

24. विद्युत मंत्रालय (Ministry of Power)

24.1. सुर्खियों में रही योजनाएं (Scheme in News)

24.1.1. संशोधित वितरण क्षेत्रक योजना {Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS)}

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, इस योजना के तहत 38 विद्युत वितरण कंपनियां (डिस्कॉम्स/ DISCOMs) वित्तीय सहायता के लिए पात्र हुई हैं।

स्मरणीय तथ्य

अन्य उद्देश्य: **डिस्कॉम्स की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार** करना।

लाभार्थी: **राज्य के स्वामित्व वाली सभी डिस्कॉम्स** RDSS के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं।

अवधि: पांच वर्ष – वित्त वर्ष 2021–22 से वित्त वर्ष 2025–26 तक।

नोडल कार्यान्वयन एजेंसी: ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC) लिमिटेड और विद्युत वित्त निगम (PFC) लिमिटेड।

उद्देश्य

उद्देश्यः अंतिम उपभोक्ताओं तक आपूर्ति की विश्वसनीयता को सुधारने तथा गुणवत्ता में सुधार लाने के लक्ष्य के साथ वितरण बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और मजबूती के लिए **डिस्कॉम्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना।**

प्रमुख विशेषताएं

डिस्कॉम्स को परिणाम संबद्ध वित्तीय सहायता

- यह वित्तीय सहायता **डिस्कॉम द्वारा पूर्व–अर्हता मानदंडों तथा बुनियादी न्यूनतम मानदंडों को पूर्ण करने** पर प्रदान की जाएगी।

वित्तीय समावेशन

- यह योजना निर्धनों के बीच वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहित करेगी। साथ ही, यह स्वयं सहायता समूहों (SHG) और उनके संघों को उत्प्रेरक पूंजी उपलब्ध कराएगी।

© Vision IAS

दो घटक

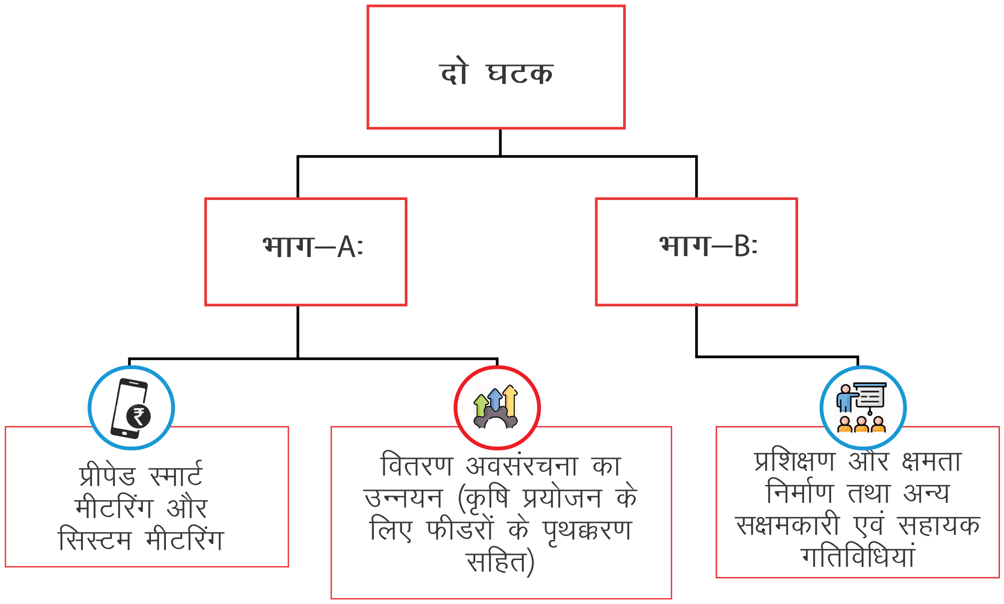

प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग के लिए अनुदान

- **प्रति उपभोक्ता मीटर 900 रुपये या लागत का 15 प्रतिशत** (इनमें से जो भी कम हो) वह अनुदान के रूप में दिया जाएगा।
- **विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए प्रति उपभोक्ता 1350 रुपये या लागत का 22.5 प्रतिशत** (इनमें से जो भी कम हो) वह अनुदान के रूप में दिया जाएगा।

नोट: पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष श्रेणी के राज्यों का दर्जा दिया गया है।

उपभोक्ता सशक्तीकरण

- यह सशक्तीकरण **प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग** के माध्यम से किया जाएगा। इस **मीटरिंग व्यवस्था को सार्वजनिक–निजी भागीदारी (PPP) मोड** में लागू किया जाएगा।

कृषि फीडरों का सौरीकरण

- किसानों हेतु विद्युत आपूर्ति में सुधार करने के लिए **कृषि फीडरों का सौरकरण या सोल. राइजेशन** (सौर ऊर्जा का उपयोग कर संचालन योग्य बनाना) किया जाएगा। इससे उन्हें दिन के समय विद्युत उपलब्ध कराई जा सकेगी।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ उठाना

- सिस्टम मीटर व प्रीपेड स्मार्ट मीटर सहित IT/ OT **उपकरणों के माध्यम से उत्पन्न डेटा का विश्लेषण करना।**
- घाटे को कम करने तथा मांग के पूर्वानुमान के लिए तथ्य आधारित निर्णय लेने हेतु डिस्कॉम्स को सक्षम बनाना।

© Vision IAS

24.2. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं/ पहलें (Other Schemes/ Initiatives in News)

'विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के लिए विनिर्माण क्षेत्र स्थापित करने की योजना' {Scheme for Setting up Manufacturing Zone for Power and Renewable Energy (RE) Equipment}

- इस योजना को विद्युत मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया है।

- **लक्ष्य:** इस योजना के तहत **वर्ष 2026–27** तक विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के लिए **3 विनिर्माण क्षेत्र (2 ब्राउनफील्ड और तटीय क्षेत्र में 1 ग्रीनफील्ड) स्थापित** किए जाएंगे।
- इसके लिए विनिर्माण क्षेत्र स्थापित करने हेतु **निजी कंपनियों को आमंत्रित किया जाएगा।**
- निजी कंपनियों के साथ **संयुक्त उद्यम में राज्य सरकार की हिस्सेदारी अनिवार्य रूप से 26%** होनी चाहिए।
- **सामान्य अवसंरचना सुविधा (CIF)/ या सामान्य परीक्षण सुविधा (CTF)** के निर्माण के लिए **सहायता अनुदान** प्रदान किया जाएगा।
- विनिर्माणक क्षेत्र के लिए चिन्हित स्थान संरक्षित क्षेत्रों के **इको–सेंसिटिव क्षेत्र से दूर होगा।**
- **निगरानी: योजना संचालन समिति (SSC) और एक परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA)।**

25. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways)

25.1. सुर्खियों में रही योजनाएं (Scheme in News)

25.1.1. भारतमाला परियोजना कार्यक्रम (Bharatmala Pariyojana programme)

सुर्खियों में क्यों?

रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार, यह परियोजना छह वर्ष की देरी के साथ वित्त वर्ष 2028 में पूरी हो सकती है।

स्मरणीय तथ्य

अन्य उद्देश्य

देश भर में माल ढुलाई और यात्री आवाजाही क्षमता का अनुकूलतम उपयोग करना।

कार्यान्वयन एजेंसियां

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (NHIDCL), राज्य लोक निर्माण विभाग (PWDs) तथा राज्य सड़क विकास निगम।

PPP को बढ़ावा देना

इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (EPC) रूट के जरिए निर्मित सभी सड़कों के मुद्रीकरण के लिए टोल–ऑपरेट–ट्रांसफर (ToT) मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा।

निगरानी

लागत और समय को कम करने के लिए PIB छह महीने में एक बार इस कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करेगा।

उद्देश्य

समग्र राजमार्ग विकास/ सुधार पहल के लिए इष्टतम संसाधन आवंटन सुनिश्चित करना।

प्रमुख विशेषताएं

अम्ब्रेला कार्यक्रम

- यह **राजमार्ग क्षेत्रक के लिए एक अम्ब्रेला कार्यक्रम** है। यह **महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के अंतराल को समाप्त करके** देश भर में माल ढुलाई और यात्रियों की आवाजाही क्षमता का अनुकूलतम उपयोग करने पर केंद्रित है।

कार्यक्रम का फोकस

- पहले से निर्मित बुनियादी ढांचे की प्रभावशीलता को बढ़ाना।
- मल्टी–मॉडल एकीकरण।
- निर्बाध आवाजाही के लिए बुनियादी ढांचागत अंतराल को समाप्त करना।
- राष्ट्रीय और आर्थिक गलियारों का एकीकरण करना।

घटक

प्रमुख घटक

- आर्थिक गलियारे
- राष्ट्रीय और आर्थिक गलियारों के लिए इंटर कॉरिडोर और फीडर सड़कें
- राष्ट्रीय गलियारों की दक्षता में सुधार
- सीमा और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी वाली सड़कें
- तटीय और बंदरगाह को जोड़ने वाली सड़कें
- ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस–वे

© Vision IAS

परियोजना की अवधि

परियोजना को स्वीकृति की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

वित्त-पोषण के स्रोत

स्रोत

- पेट्रोल और डीजल से एकत्रित उपकर
- टोल से एकत्रित राशि
- अतिरिक्त बजटीय समर्थन
- टोल ऑपरेट ट्रांसफर (TOT) के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों का अपेक्षित मुद्रीकरण
- आंतरिक एवं बजटेत्तर संसाधन (IEBR)

ग्रैंड चैलेंज तंत्र

- **10% धनराशि 'ग्रैंड चैलेंज' तंत्र के तहत परियोजनाओं के संचालन के लिए निर्धारित की जाएगी।**
- यह तंत्र **त्वरित आधार पर परियोजनाओं को शुरू** करने की सुविधा प्रदान करेगा। इसके अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा पर्याप्त और उचित समय पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
- **एक विशेष वित्तीय वर्ष में किसी एक राज्य से अधिकतम 100 किलोमीटर लंबाई वाली सड़कों (अधिकतम दो लेन) की अनुमति** दी जाएगी।

ऐसी सड़कों का निर्माण जो भारतमाला परियोजना चरण-I का भाग नहीं हैं

- ऐसी परियोजनाओं पर तभी विचार किया जा सकता है, जब **राज्य एजेंसी भूमि अधिग्रहण की कम-से-कम 50% लागत वहन करने के लिए तैयार हो।**

निगरानी और प्रक्रिया स्वचालन के लिए ऑनलाइन सिस्टम

सभी परियोजनाओं की स्थिति पर नज़र रखने, रिपोर्ट तैयार करने आदि के लिए **परियोजना निगरानी सूचना प्रणाली (PM IS)**

भूमि अधिग्रहण से संबंधित अधिसूचनाएं तैयार करने और सौंपने के लिए **भूमि राशि प्रणाली।**

तकनीकी जानकारी के रख-रखाव के लिए सभी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा **बोलीदाता सूचना प्रबंधन प्रणाली (BIMS)** का उपयोग किया जाएगा।

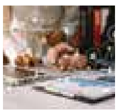

सभी तकनीकी अधिकारियों के लिए निर्माण और अवार्ड लक्ष्य निर्धारित करने के लिए NHAI द्वारा **प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली 'लक्ष्य'** का उपयोग किया जाएगा।

सभी एकल प्रणालियों/ उपकरणों को एकीकृत करने के लिए MoRTH, NHAI और NHIDCL में एक **व्यापक एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ERP) सिस्टम** स्थापित किया जाएगा।

© Vision IAS

26. ग्रामीण विकास मंत्रालय (MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT)

26.1. सुर्खियों में रही योजनाएं (Scheme in News)

26.1.1. दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (Deendayal Antyodaya Yojana & National Rural Livelihoods Mission: DAY-NRLM)

केंद्र प्रायोजित योजना

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, फ्लैगशिप योजना DAY-NRLM के तहत 10 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को स्वयं–सहायता समूहों से जोड़ने के लिए 'संगठन से समृद्धि – ग्रामीण महिलाओं को पीछे नहीं छोड़ना' अभियान चलाया गया।

स्मरणीय तथ्य

प्रकार: यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

लाभार्थी: BPL की बजाय 'भागीदारी के आधार पर निर्धनों की पहचान' (Participatory Identification of Poor: PIP) के माध्यम से गरीबों की पहचान की जाती है।

अन्य उद्देश्य: ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से संगठित कर गरीबी उन्मूलन हेतु प्रयास करना।

कार्यान्वयन: स्पेशल पर्पस व्हीकल (स्वायत्त राज्य सोसाइटियों) द्वारा।

उद्देश्य

- **गरीबों के लिए संधारणीय आजीविका को बढ़ावा** देना, ताकि वे गरीबी से बाहर आ सकें।
- **औपचारिक ऋण, अधिकारों और सार्वजनिक सेवाओं** तक उनकी पहुंच को सुगम बनाना। साथ ही, **आजीविका के विविधीकरण और सुदृढ़ीकरण का समर्थन करना।**

प्रमुख विशेषताएं

सामाजिक लामबंदी
- निर्धन ग्रामीण परिवार में से कम–से–कम एक महिला सदस्य को समयबद्ध रूप से स्वयं सहायता समूह नेटवर्क के अंतर्गत लाया जाएगा।
- महिला SHG समूहों को बैंक लिंकेज व्यवस्था से जोड़ा जाएगा।

वित्तीय समावेशन
- यह गरीबों के बीच **वित्तीय साक्षरता** को बढ़ावा देता है। साथ ही, यह स्वयं सहायता समूहों और उनके संघों को **उत्प्रेरक पूंजी** प्रदान करता है।

सुर्खियों में रही सरकारी योजनाएं

© Vision IAS

सतत संसाधन के रूप में सामुदायिक निधि

- निर्धनों के लिए कार्य करने वाले संस्थानों को रिवॉल्विंग फंड (RF) और सामुदायिक निवेश कोष (CIF) सतत संसाधन प्रदान करते हैं।
- इससे उनकी संस्थागत और वित्तीय प्रबंधन क्षमता मजबूत होती है। साथ ही, मुख्यधारा के बैंक वित्त को आकर्षित करने के लिए उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बनाते है।

कौशल विकास

25%

यह आजीविका कौशल विकास कार्यक्रम (ASDP) को क्रियान्वित करता है। इस उद्देश्य के लिए NRLM कोष का 25% भाग निर्धारित है।

दिल्ली में प्रशिक्षण संस्थान

- NRLM, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को **ग्रामीण विकास स्व–रोजगार संस्थान** (RUDSETI) मॉडल के आधार पर देश के सभी जिलों में ग्रामीण स्व–रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETIs) स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।

महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (MKSP)

- MKSP मुख्यतः कृषि और संबद्ध गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी और उत्पादकता को बढ़ावा देने वाली **सफल व छोटे पैमाने की परियोजनाओं को बढ़ावा देती है।**

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना (NRLP)

- NRLP **को 'प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट'** निर्मित करने तथा केंद्र और राज्यों की क्षमताओं का सृजन करने के लिए **NRLM की एक उप–योजना के रूप में परिकल्पित** किया गया है। इसे देश के **13 अत्यधिक निर्धनता वाले राज्यों में कार्यान्वित** किया जा रहा है। इन राज्यों में देश के **90 प्रतिशत ग्रामीण गरीब निवास करते हैं।**

NRLM के तहत शुरू की गई अन्य पहलें

राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना (NRETP)

- **उद्देश्यः डिजिटल वित्त और आजीविका हस्तक्षेपों पर शुरू की गई पहलों को आगे बढ़ाना।**
- अंतर्राष्ट्रीय वित्त–पोषणः विश्व बैंक द्वारा।

सक्षम केंद्र

- **उद्देश्यः** इस केंद्र का उद्देश्य स्वयं सहायता समूह (SHG) के सदस्यों और ग्रामीण गरीबों को **वित्तीय साक्षरता प्रदान** करना है। साथ ही, **वित्तीय सेवाओं** (बचत, ऋण, बीमा, पेंशन आदि) के वितरण की सुविधा उपलब्ध करवाना है।

आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (AGEY)

- **उद्देश्यः** AGEY का उद्देश्य SHG **के सदस्यों द्वारा संचालित वाहनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान** करना है।
- SHG सदस्यों को वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर पहचाने गए मार्गों पर वाहनों **के संचालन के लिए समुदाय आधारित संगठनों (CBOs) द्वारा ब्याज मुक्त ऋण प्रदान** किया जाता है।
- DAY–NRLM के तहत समुदाय आधारित संगठनों (CBOs) के परामर्श से राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (State Rural Livelihoods Missions: SRLMs) उन मार्गों की पहचान करते हैं, जहां प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत सड़कों का निर्माण किया जा चुका है, परन्तु परिवहन सेवाएं निम्नस्तरीय हैं।

© Vision IAS

26.1.2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (या अधिनियम, 2005) {(Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee (MGNREG) Scheme (or Act, 2005)}

केंद्र प्रायोजित योजना

सुर्ख़ियों में क्यों?

इस वर्ष मनरेगा योजना के तहत लाभान्वित होने वाले **श्रमिकों में 57.8% महिलाएं** थीं। वर्ष 2012–13 के बाद से यह पहली बार है, जब महिलाओं की भागीदारी का स्तर उच्चतम रहा है।

स्मरणीय तथ्य

प्रकार
यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है।

उद्देश्य
ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल शारीरिक श्रम के माध्यम से **पूरक आजीविका को कानूनी अधिकार बनाना।**

लाभार्थी
ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले **किसी भी परिवार का 18 वर्ष से अधिक आयु का सदस्य।**

निगरानी
ग्राम सभा सामाजिक लेखापरीक्षा करती है।

उद्देश्य

यह योजना **एक वित्तीय वर्ष में उस ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के मजदूरी आधारित रोजगार की गारंटी** देती है, जिसका वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करने का इच्छुक होता है।

प्रमुख विशेषताएं

घटक

लक्ष्य
- रोजगार सृजन
- गुणवत्तापूर्ण परिसंपत्ति का निर्माण
- सामाजिक समावेशन
- पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करना
- पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रभावी बनाना

मांग संचालित एवं जन केंद्रित

गारंटीकृत रोजगार: इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम-से-कम सौ दिनों का अकुशल शारीरिक श्रम रोजगार कार्य उपलब्ध करवाया जाता है। यह कार्य मांग के अनुसार दिया जाता है।

बेरोजगारी भत्ता: इसके तहत मांग के 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान नहीं किए जाने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

अतिरिक्त रोजगार: इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सूखे/ प्राकृतिक आपदा की स्थिति में एक वित्तीय वर्ष में 50 दिनों का अतिरिक्त अकुशल मजदूरी रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है।

राज्यों के विवेकाधिकार: राज्य सरकारें अपने स्वयं के कोष से अधिनियम के तहत गारंटीकृत अवधि से अधिक अतिरिक्त रोजगार दिवस प्रदान करने के लिए प्रावधान कर सकती हैं।

© Vision IAS

दुर्घटना संबंधी मुआवजा

- यह कार्य स्थल पर दुर्घटना की स्थिति में दुर्घटना मुआवजे के दावे का प्रावधान करता है।
- इसके तहत कार्यस्थल पर दुर्घटना के परिणामस्वरूप स्थायी दिव्यांगता या मृत्यु की स्थिति में पूर्व अनुग्रह राशि के भुगतान का प्रावधान किया गया है।

महिला सशक्तीकरण

- कम–से–कम एक तिहाई लाभार्थी महिलाएं होंगी।

अपरिवर्तनीय (गैर–परक्राम्य) प्रावधान (Non-negotiable provisions)

- ग्राम पंचायत स्तर पर **श्रम–सामग्री अनुपात 60:40 रहेगा।**
- बिना किसी ठेकेदार या मशीनरी (अनुमति के अलावा) **के केवल शारीरिक श्रम द्वारा कार्य** निष्पादन।
- किए गए कार्य की मात्रा के आधार पर सभी को समान वेतन।

कवरेज

- सौ प्रतिशत नगरीय जनसंख्या वाले जिलों को छोड़कर संपूर्ण देश शामिल है।

वित्त–पोषण साझाकरण

केंद्र और राज्यों का हिस्सा

मजदूरी का भुगतान

- बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए **मजदूरी करने वाले व्यक्ति के खाते में ही उसकी मजदूरी का भुगतान किया जाता है।**
- कार्य पूरा होने के 15 दिन के भीतर मजदूरी का भुगतान कर दिया जाता है।

ग्रामीण परिवारों के लिए जॉब कार्ड

- अकुशल शारीरिक श्रम करने का इच्छुक कोई भी ग्रामीण परिवार, ग्राम पंचायत में अपने परिवार को पंजीकृत करा सकता है और जॉब कार्ड प्राप्त कर सकता है।

मजदूरी करने वाले के अधिकार

प्रमुख अधिकार

- पीने योग्य स्वच्छ जल
- आराम करने की सुविधा
- फर्स्ट एड बॉक्स एवं दवा की उपलब्धता
- 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों वाली कामकाजी महिलाओं के लिए बच्चों की देखभाल की सुविधा*

*चाइल्ड केयर की सुविधा का लाभ उठाने के लिए सामूहिक रूप से कम–से–कम 5 बच्चों की उपस्थिति आवश्यक है।

© Vision IAS

सृजित परिसंपत्तियों की जियोटैगिंग	GeoMGNREGA मनरेगा के तहत निर्मित परिसंपत्तियों की जियोटैगिंग करता है। इसे राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC), इसरो और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) ने विकसित किया है।
शिकायत निवारण	अधिनियम में सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ये प्रावधान कार्यों की प्रभावी पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करते हैं।

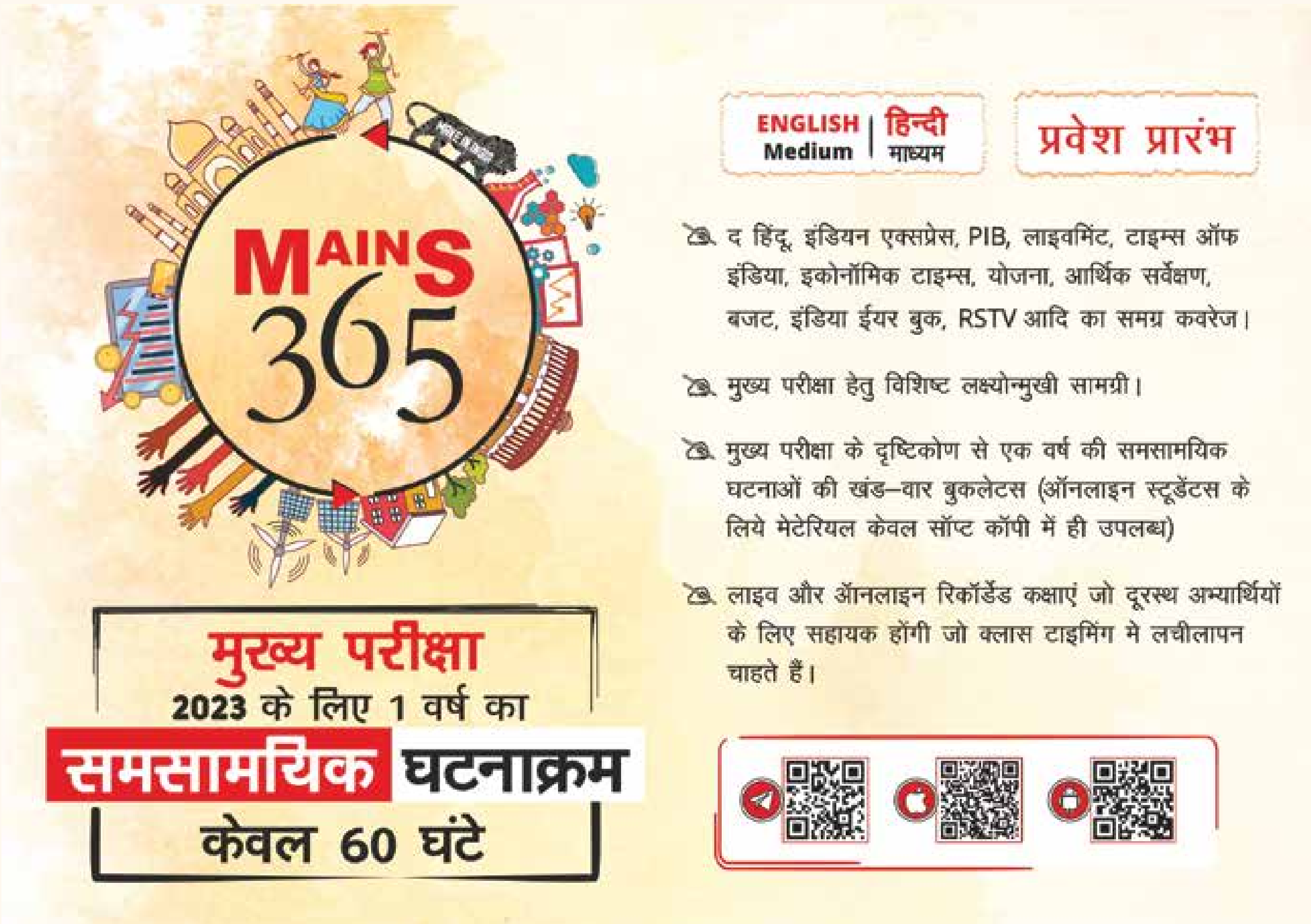

27. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT & ENTREPRENEURSHIP)

27.1. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं/पहलें (Other Schemes/Initiatives in News)

आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता ("संकल्प") {SANKALP (Skill Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion)}

उद्देश्य: इसका उद्देश्य गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण में सुधार करना है। यह सुधार संस्थानों की मजबूती, बेहतर बाजार संपर्क की स्थापना और समाज में हाशिए पर रहे वर्गों का समावेशन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

विश्व बैंक से ऋण सहायता प्राप्त हुई है।

परिणाम के तीन प्रमुख क्षेत्र

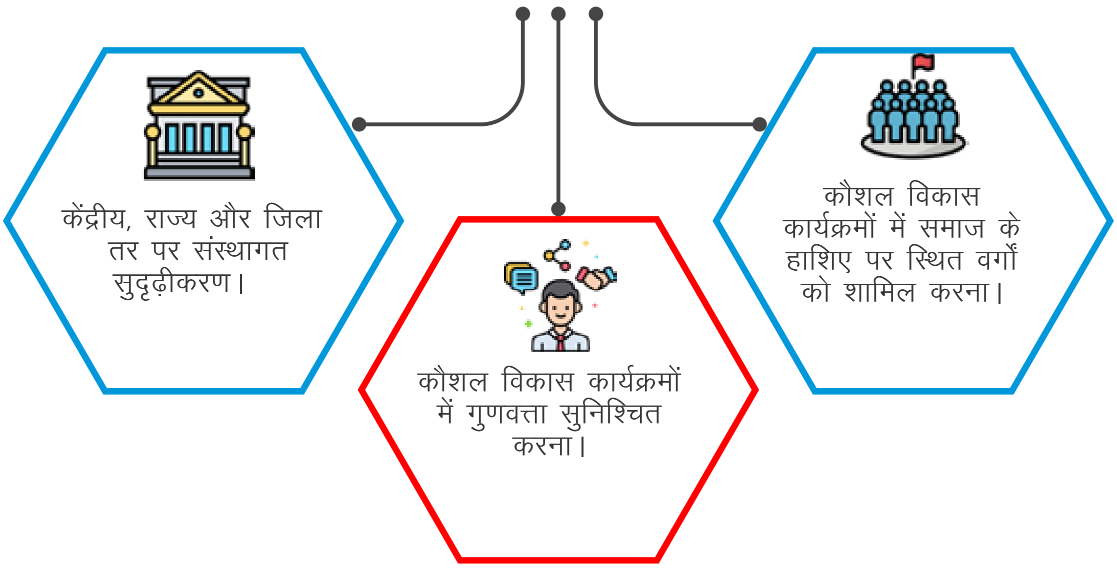

© Vision IAS

28. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment)

28.1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Schemes)

28.1.1. मशीनीकृत सैनिटेशन इकोसिस्टम के लिए राष्ट्रीय योजना- नमस्ते (National Action Plan for Mechanized Sanitation Ecosystem: NAMASTE)

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

स्मरणीय तथ्य

प्रकार: यह **केंद्रीय क्षेत्रक** की एक योजना है।

उद्देश्य: हाथ से मैला उठाने की प्रथा को खत्म करना और सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा एवं गरिमा सुनिश्चित करना।

नोडल कार्यान्वयन एजेंसी: नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NSKFDC)

अवधि: वर्ष 2022–23 से 2025–26 तक।

उद्देश्य

- भारत में सफाई कार्य के दौरान **किसी की मृत्यु नहीं होने का लक्ष्य** हासिल करना।
- सफाई के सभी कार्य **कुशल श्रमिकों द्वारा** किए जाएं।
- कोई भी सफाई **कर्मचारी मानव मल के सीधे संपर्क में नहीं** आए।
- सफाई कर्मियों को **स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना और उन्हें स्वच्छता उद्यम** के संचालन के लिए सशक्त बनाना।
- सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले सभी कर्मचारियों की पहुंच **आजीविका के वैकल्पिक स्रोत** तक हो।
- राष्ट्रीय, राज्य और शहरी स्थानीय निकाय स्तरों पर **पर्यवेक्षण एवं निगरानी प्रणाली को मजबूत** करना। इससे सुरक्षित सफाई कार्य की निगरानी सुनिश्चित की जा सकेगी।
- स्वच्छता सेवाओं के इच्छुक व्यक्तियों और संस्थानों के बीच **जागरूकता बढ़ाना।**

प्रमुख विशेषताए

कार्यक्रमों का अभिसरण

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA)
- यह सुनिश्चित करना कि राष्ट्रीय कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य, कार्य योजनाओं को तैयार करें।
- शहरी स्थानीय निकायों को अमृत (AMRUT) और स्वच्छ भारत मिशन–शहरी (SBM–U) के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

पेयजल और स्वच्छता विभाग (DoDWS)
- SBM–R के तहत पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। यह सहायता स्वच्छता सेवाओं के उन्नयन और मशीनीकृत सफाई के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद एवं प्रशिक्षित श्रमबल को संलग्न करने हेतु दी जाएगी।

पंचायती राज मंत्रालय
- पंचायती राज संस्थाओं के साथ समन्वय
- SRUs की सेवाओं तक पहुँचने के लिए हेल्पलाइन और जोखिमपूर्ण सफाई से संबंधित अधिनियम एवं नियमों के बारे में जागरूकता अभियान।

© Vision IAS

पात्र शहर

- छावनी बोर्डों (नागरिक क्षेत्रों) सहित अधिसूचित नगर पालिकाओं के साथ **एक लाख से अधिक की आबादी वाले सभी शहर और कस्बे।**
- राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के सभी राजधानी शहर/ कस्बे, जो 4(i) में शामिल नहीं हैं।
- **पहाड़ी राज्यों, द्वीपों और पर्यटन स्थलों से दस शहर** (प्रत्येक राज्य से एक से अधिक नहीं)।

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत/AMRUT) शहरों के साथ अभिसरण

- नमस्ते योजना के इस चरण के तहत 500 शहरों (अमृत शहरों के साथ अभिसरण) को शामिल किया जाएगा।

सीवर/ सेप्टिक टैंक कर्मियों की पहचान करना (SSWs)

- **शहर के नमस्ते प्रबंधक उन** SSWs की **पहचान करेंगे, जो जोखिमपूर्ण सफाई कार्यों में लगे हुए हैं।**
- चिह्नित किए गए SSWs और उनके परिवारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए **आयुष्मान भारत–प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना** (AB–PMJAY) के अंतर्गत कवर किया जाएगा। साथ ही, उन्हें **पूंजीगत सब्सिडी और ब्याज सबवेंशन सहित आजीविका सहायता भी प्रदान की जाएगी।**
- चिह्नित सफाई कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों को विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।

स्थानीय निकायों के उत्तरदायित्वयित्व

- **सीवर और सेप्टिक टैंकों की जियो–टैगिंग** और उनका डेटाबेस तैयार करना।
- आपातकालीन सफाई से बचने के लिए **सीवर लाइनों का निवारक रख–रखाव।**
- उनके शहर/ कस्बे के लिए सबसे उपयुक्त **तकनीकी समाधान की पहचान** करना।

सीवर रहित

सेप्टिक टैंकों द्वारा सेवित क्षेत्रों में एक सेप्टेज प्रबंधन प्रणाली स्थापित की जाएगी। इसमें एक मल गाद प्रबंधन संयंत्र भी शामिल है।

स्थानीय प्राधिकरण सेप्टिक टैंक के डिजाइन को मानकीकृत करेगा और इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा।

कानूनों में संशोधन

'हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013' में संशोधन किया जाएगा।

© Vision IAS

कार्यान्वयन निकाय

उत्तरदायी स्वच्छता प्राधिकरण (RSA)	स्वच्छता प्रतिक्रिया इकाई (SRU)	निजी स्वच्छता सेवा संगठन (PSSOs)
अध्यक्षता: जिलाधीश या उसके द्वारा नामित एक अधिकारी जो उप–संभागीय दंडाधिकारी के पद से नीचे का न हो।	गठन: RSA द्वारा।	**यंत्रीकृत सफाई:** PSSOs द्वारा केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित कर्मियों को ही नियुक्त किया जाएगा और आवश्यक उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।
प्रकार्य: • स्वच्छता प्रतिक्रिया इकाइयों (SRUs) के लिए कानूनी प्राधिकरण। • निजी स्वच्छता सेवा संगठनों (PSSOs) को लाइसेंस जारी करना। • SRUs के माध्यम से उपलब्ध सेवाओं के प्रचार के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) अभियान।	**कार्य:** • **प्रत्येक** SRU में आपातक. ालीन अवरोधों के प्रबंधन के लिए **लाइसेंस प्राप्त PSSOs तथा पर्याप्त मशीनरी और प्रशिक्षित सीवर एंट्री प्रोफेशनल्स (SEPs)** का एक पैनल होगा। • 24X7 **हेल्पलाइन नंबर:** शिकायत दर्ज कराने के लिए।	**मैनुअल सफाई:** PSSOs मैनुअल सफाई के लिए सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाएंगे।
क्षेत्राधिकार: जिलों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र।	**क्षेत्राधिकार:** प्रमुख नगरपालिका।	

NAMASTE प्रबंधन इकाई (NMU)

3 स्तरीय NMU

- प्रमुख– NSKFDC की तकनीकी सहायता इकाई (TSU) का प्रबंध निदेशक: IT पेशेवर, IEC विशेषज्ञ, बैंकिंग विशेषज्ञ आदि की एक टीम।
- प्रमुख: राज्य नमस्ते निदेशक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (PMU) संसाधन द्वारा समर्थन प्रदान किया जाएगा । इसे राज्य नमस्ते प्रबंधक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
- प्रमुख: नमस्ते शहर के नोडल अधिकारी को संबंधित ULB द्वारा नामित किया जाएगा। कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (PMU) संसाधन द्वारा समर्थन प्रदान किया जाएगा। इसे शहर नमस्ते प्रबंधक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

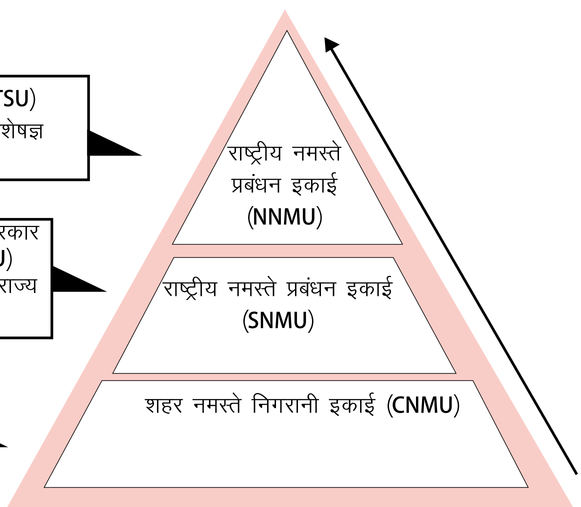

© Vision IAS

28.1.2. लक्षित क्षेत्रों के उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (श्रेष्ठ) (Scheme for Residential Education for Students in High schools in Targeted Areas: SHRESTHA)

स्मरणीय तथ्य

अन्य उद्देश्य
देश के सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में अनुसूचित जाति के मेधावी छात्र और छात्राओं के लिए सीटें उपलब्ध कराना।

पात्रता
माता–पिता की वार्षिक आय अधिकतम 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष तक होनी चाहिए।

लाभार्थी
9वीं से 12वीं तक की शिक्षा पूर्ण करने के लिए तत्पर 8वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्र।

अवधि
वर्ष 2022–23 से 2025–26 तक

उद्देश्य

अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना। साथ ही, **सरकार की विकास पहलों की पहुंच का विस्तार** करना।

प्रमुख विशेषताएं

लाभ
- **कक्षा 9वीं और 11वीं में प्रवेश के लिए प्रत्येक वर्ष लगभग 3,000 सीटें उपलब्ध करवाई** जाती हैं।
- **स्कूल की फीस और आवासीय शुल्क की पूरी लागत मंत्रालय द्वारा वहन** की जाती है।

बच्चों को प्राथमिकता
- **उन छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनके माता–पिता की आय 1,00,000 रुपये प्रति वर्ष से कम है।**
- **शारीरिक अक्षमता वाले छात्रों** को भी वरीयता दी जाएगी।

2 मोड में कार्यान्वयन
- **मोड 1: सर्वश्रेष्ठ CBSE निजी आवासीय विद्यालय।**
- **मोड 2: गैर–सरकारी संगठन (NGO) द्वारा संचालित स्कूल।**

© Vision IAS

मोड 1: सर्व. श्रेष्ठ CBSE निजी आवासीय विद्यालय

कार्यान्वयन	चयनित छात्रों के लिए प्रावधान	विद्यालय की पात्रता	कार्यान्वयन
कार्यान्वयन एजेंसी: जिला प्रशासन	चयनित छात्रों को सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है।	विद्यालय कम-से-कम पिछले 5 वर्षों से परिचालनरत हो।	मंत्रालय के **'ई-अनुदान पोर्टल'** का उपयोग करते हुए ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से सीधे स्कूल के खाते में किया जाएगा।
छात्रों का चयन: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित श्रेष्ठ/SHRESTHA (NETS) के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा।	दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट विषयों को शामिल करते हुए स्कूल द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए एक ब्रिज कोर्स शुरू किया जा सकता है।	पिछले 3 वर्षों में 10वीं और 12वीं कक्षा में ऐसे स्कूलों के बोर्ड के परिणाम 75 प्रतिशत से अधिक रहे हों। कक्षा 9वीं और 11वीं कक्षा में अनुसूचित जाति के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश देने के लिए स्कूलों में पर्याप्त अवसंरचना मौजूद हो।	

मोड 2: गैर-सरकारी संगठन (NGO)/ स्वैच्छिक संगठन/ अन्य संगठन द्वारा

पात्रता: संगठन, गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा में गैर-लाभकारी के रूप में संलग्न एवं पंजीकृत होना चाहिए, उसकी अपनी **वेबसाइट होनी चाहिए आदि।**

फंड को सीधे संगठन के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के माध्यम से भेजा जाएगा।

28.2. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

28.2.1. स्माइल- वंचित व्यक्तियों के लिए आजीविका और उद्यम सहायता योजना {SMILE: Support for Marginalised Individuals for Livelihood and Enterprise}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र ने 'स्माइल- वंचित व्यक्तियों के लिए आजीविका और उद्यम सहायता योजना' के तहत **स्माइल-75** (SMILE-75) पहल शुरू की।

स्मरणीय तथ्य

प्रकार
यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।

उद्देश्य
गरीबी और भिक्षावृत्ति संबंधी मौजूदा समस्या का समाधान करना।

कार्यान्वयन एजेंसी
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) में बनाए गए राष्ट्रीय समन्वयक।

अवधि
वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक।

उद्देश्य

ट्रांसजेंडर समुदाय और भिक्षावृत्ति में शामिल लोगों के कल्याण और पुनर्वास को सुनिश्चित करना। साथ ही, इस प्रकार के स्थानों को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाना।

प्रमुख विशेषताएं

लाभ
- यह अम्ब्रेला योजना **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और भिखारियों दोनों के लिए पुनर्वास, परामर्श, शिक्षा, कौशल विकास आदि की** सुविधा प्रदान करती है।

'स्माइल' में दो उप–योजनाएं शामिल हैं:
- **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास की केंद्रीय क्षेत्रक की योजना;** तथा
- **भिक्षावृत्ति में संलग्न लोगों के व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्रक की योजना।**

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास
- **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद मुख्यतः** नीतियों के निर्माण, नीतियों की निगरानी और मूल्यांकन आदि पर सलाह प्रदान करेगी।

- प्रत्येक **जिले में जिला मजिस्ट्रेट के प्रभार के अधीन एक ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन** किया जाएगा।
- पुलिस महानिदेशक के अधीन एक राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा।

- आयुष्मान भारत–प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM–JAY) के साथ अभिसरण में **समग्र चिकित्सा स्वास्थ्य पैकेज उपलब्ध करवाया जाएगा।**
- पैकेज के तहत चयनित अस्पतालों के माध्यम से **लिंग पुनर्निर्धारण सर्जरी** की सुविधा प्रदान की जाएगी।

- ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए **नौवीं और स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई हेतु छात्रवृत्ति।**

© Vision IAS

- पी.एम.–दक्ष योजना (हाशिए पर रहे व्यक्तियों के कौशल के लिए योजना) के तहत कौशल विकास और आजीविका।
- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) और सेक्टर कौशल परिषदों (SSCs) द्वारा पाठ्यक्रम।
- भारतीय उद्यमिता संस्थान (IIE) और राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (NIESBUD) द्वारा प्रशिक्षण।

- भोजन, वस्त्र, मनोरंजन सुविधाएं, कौशल विकास आदि प्रदान करने के लिए **गरिमा गृह।**

- ई–सेवाएं (राष्ट्रीय पोर्टल और हेल्पलाइन एवं विज्ञापन)।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के प्रति संवेदनशील बनाना और जागरूकता पैदा करना।

नोटः **समग्र शिक्षा योजना** विशेष रूप से ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए छात्रवृत्ति सुविधा प्रदान नहीं करती है। यह **ट्रांसजेंडर बच्चों की शिक्षा को संबोधित करने की आवश्यकता पर केंद्रित** है, क्योंकि उन्हें सामाजिक कलंक और भेदभाव का सामना करमा पड़ता है।

भिक्षावृत्ति के कार्य में लगे व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास।

- **गरीबी और भिक्षावृत्ति के कारणों का समाधान करना।**
- **भिक्षावृत्ति के कार्य में लगे व्यक्तियों को लामबंद करना।**
- **उन्हें आवास, पुनर्वास, स्वच्छता, भोजन, वस्त्र जैसी बुनियादी सेवाएं प्रदान करना।**
- **भिक्षावृत्ति के कार्य में लगे व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना।**

28.3. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं/ पहलें (Other Schemes/initiatives In News)

सक्षम वरिष्ठ नागरिक को आत्म-सम्मान के साथ पुनः रोजगार प्रदान करने के लिए पोर्टल {Senior Able Citizen for Re-employment in Dignity (SACRED) portal}

- यह पोर्टल **रोजगार बाजार** के रूप में कार्य करता है।
- यह पोर्टल **'रोजगार प्रदाता' और 'रोजगार खोजकर्ता' दोनों को एक मंच पर लाने के लिए रोजगार बाजार** के रूप में कार्य करेगा। यह वरिष्ठ नागरिकों को उभरती कार्यस्थल मांगों के लिए स्वयं को पंजीकृत कराने में मदद करेगा।

प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही (पी.एम.-दक्ष) {Pradhan Mantri Dakshta Aur Kushalta Sampann Hitgrahi (PM-DAKSH)}

- हाल ही में, सरकार ने घोषणा की है कि इस **योजना के तहत अगले पांच वर्षों में लगभग दो लाख 71 हजार व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।**
- इसे कूड़ा बीनने वालों सहित अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, **EBC, DNT,** सफाई कर्मचारियों और **हाशिये पर मौजूद व्यक्तियों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के एक भाग के रूप** में शुरू किया गया था।

इसमें चार प्रकार के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं

- अप–स्किलिंग/री–स्किलिंग
- अल्पावधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम
- दीर्घावधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम
- उद्यमिता विकास कार्यक्रम

- प्रशिक्षण लेने वालों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके लिए सरकार द्वारा शत–प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।
- प्रशिक्षित उम्मीदवारों को **मूल्यांकन और प्रमाणन के बाद नियुक्ति** प्रदान की जाएगी।

वजीफा/ स्टाइपेन्ड	वेतन मुआवजा	कार्यान्वयन निकाय
अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण में 80% और उससे अधिक उपस्थिति वाले प्रशिक्षुओं के लिए प्रति प्रशिक्षु 1,000–1,500/ रुपये प्रति माह का वजीफा।	रीस्किलिंग/अप–स्किलिंग में 80% और उससे अधिक उपस्थिति वाले प्रशिक्षुओं के लिए वेतन मुआवजा 3000 रुपये प्रति प्रशिक्षु दिया जाएगा। इसमें 2500 रुपये पीएम–दक्ष के अनुसार और 500 रुपये सामान्य लागत मानदंड के अनुसार दिए जाएंगे।	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम

© Vision IAS

29. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry Of Statistics And Programme Implementation)

29.1. संशोधित/ पुनर्गठित योजनाएं (Modified/Restructured schemes)

29.1.1. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना {(Member Of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS)}

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

स्मरणीय तथ्य

प्रकार

यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।

अन्य उद्देश्य

स्थानीय विकास के मामले में असमानता की समस्या का समाधान करना।

फंड

इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद को सालाना 5 करोड़ रुपये आवंटित किए जाते हैं। यह **फंड व्यपगत नहीं** होता है, अर्थात् बचे हुए पैसे को अगले साल खर्च किया जा सकता है।

निधि का जारी होना

आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने पर **सीधे जिला प्राधिकारियों को सहायता अनुदान** के रूप में।

उद्देश्य

पेयजल, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़कों इत्यादि के क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर अनुभव की जाने वाली आवश्यकताओं के आधार पर स्थायी सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण कार्यों हेतु सिफारिश करने के लिए संसद सदस्यों को सक्षम बनाना।

प्रमुख विशेषताएं

अनुशंसित कार्य

सांसद	सिफारिश कर सकते हैं
लोक सभा सदस्य	अपने निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर
राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य	अपने निर्वाचन राज्य (कुछ अपवादों के अतिरिक्त) के भीतर
संसद के किसी निर्वाचित सदस्य को राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों के बाहर या राज्य के भीतर परन्तु उसके निर्वाचन क्षेत्र के बाहर या दोनों में ही MPLADS निधि का योगदान करने की आवश्यकता अनुभव होती है, तो वह अधिकतम 25 लाख रुपये तक के उपर्युक्त कार्यों की संस्तुति कर सकता है।	
लोक सभा एवं राज्य सभा के नाम-निर्देशित सदस्य	देश के किसी भी क्षेत्र में

© Vision IAS

अनुसूचित जातियों (SCs)/ अनुसूचित जनजातियों (STs) के संबंध में विशेष प्रावधान

- सांसदों को प्रत्येक वर्ष अधिकृत MPLADS राशि का **कम–से–कम 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति** द्वारा अधिवासित क्षेत्रों और **7.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति (ST)** द्वारा अधिवासित क्षेत्रों के लिए व्यय करने हेतु सिफारिश करनी होती है।
- **अनुसूचित जनजाति** (ST) द्वारा अधिवासित क्षेत्रों के लिए सांसद को प्रत्येक वर्ष MPLADS **राशि के कम–से–कम** 7.5% व्यय करने की सिफारिश करनी होती है।

यदि लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में जनजातीय आबादी कम है।

- निर्वाचित सांसद **निर्वाचन क्षेत्र के बाहर लेकिन चुनाव वाले राज्य के भीतर जनजातीय क्षेत्रों के लिए काम की सिफारिश** कर सकते हैं।
- यदि किसी राज्य में **अनुसूचित जनजातियों के निवास क्षेत्र नहीं** हैं, तो इस राशि का उपयोग **अनुसूचित जातियों के निवास क्षेत्रों** में किया जा सकता है। इसी प्रकार, यदि किसी राज्य में **अनुसूचित जातियों के निवास क्षेत्र नहीं** हैं, तो इस राशि का उपयोग **अनुसूचित जनजातियों के निवास क्षेत्रों** में किया जा सकता है।

देश के किसी भी हिस्से में "गंभीर प्राकृतिक आपदा" की स्थिति में

- एक सांसद **प्रभावित जिले के लिए अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक के कार्यों** की सिफारिश कर सकता है।
- आपदा गंभीर प्रकृति की है या नहीं, इसका निर्धारण **भारत सरकार** द्वारा किया जाएगा।

संशोधित प्रावधान

- **योजना के दायरे को व्यापक बनाना।**
- निधि प्रवाह में **रियल टाइम निगरानी, अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही** सुनिश्चित करने के लिए एक **नया वेब पोर्टल** लॉन्च किया गया है।

संशोधित प्रावधान

- सांसदों को नई परियोजनाओं की सिफारिश करने से पहले **फंड जारी होने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं** होती है।
- सांसदों को कुछ शर्तों के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में **वार्षिक आहरण सीमा आवंटित** की जाती है।
- कार्यान्वयन प्राधिकरणों द्वारा भुगतानों को प्राधिकृत करने के बाद **वास्तविक निधि सीधे वेंडर के खाते में** हस्तांतरित होती है।

© Vision IAS

30. वस्त्र मंत्रालय (MINISTRY OF TEXTILES)

30.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in news)

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

30.1.1. पी.एम. मित्र/ PM MITRA(प्रधान मंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल) पार्क {PM MITRA (Pradhan Mantri Mega Integrated Textile Region and Apparel) Park }

सुर्ख़ियों में क्यों?

सात पी.एम. मित्र (PM MITRA) पार्क स्थलों की घोषणा की गई है। ये पार्क **तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थापित किए जाएंगे।**

स्मरणीय तथ्य

प्रकार

यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना

अन्य उद्देश्य

निवेश को आकर्षित करना, रोजगार सृजन को बढ़ावा देना और वैश्विक कपड़ा बाजार में स्वयं को मजबूती से स्थापित करना।

5F विजन

फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन (Farm to Fibre to Factory to Fashion to Foreign)।

अवधि

2027–28 तक।

उद्देश्य

लॉजिस्टिक लागत को कम करने और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने हेतु संपूर्ण मूल्य–श्रृंखला के लिए संधारणीय औद्योगीकरण तथा नवाचार (SDG9), आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना सुविधा को बढ़ावा देना।

प्रमुख विशेषताएं

एकीकृत वस्त्र मूल्य श्रृंखला

- पार्क उद्योग के लिए एक उत्कृष्ट बुनियादी ढांचा, **प्लग एंड प्ले सुविधाओं के साथ–साथ प्रशिक्षण और अनुसंधान** सुविधाएं प्रदान करेंगे।

पार्क में सुविधाएं

- **कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर:** इन्क्यूबेशन सेंटर और प्लग एंड प्ले सुविधा, विकसित फैक्ट्री साइट्स, सड़कें, बिजली, पानी और अपशिष्ट जल प्रणाली, आदि।
- **सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर:** वर्कर्स हॉस्टल और हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयरहाउसिंग आदि।

भूमि की उपलब्धता

- राज्य सरकारें **1,000 एकड़ से अधिक भूमि के सन्निहित और बाधा–मुक्त भूमि पार्सल** की तैयार उपलब्धता प्रदान करेंगी।

© Vision IAS

निजी क्षेत्रक का लाभ उठान	पार्क को **सार्वजनिक निजी भागीदारी** (PPP) में विकसित किया जाएगा।
विशेष प्रयोजन वाहन (SPV)	परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु प्रत्येक पार्क के लिए **केंद्र और राज्य सरकार के स्वामित्व वाली** SPVs की स्थापना की गई है।
वित्तीय सहायता	पार्क SPVs को प्रति पार्क **500 करोड़ रुपये तक की विकास पूंजी सहायता** प्रदान करेंगे। पीएम मित्रा पार्क में इकाइयों को प्रति पार्क **300 करोड़ रुपये तक का प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन समर्थन** (CIS) प्रदान किया जाएगा।
भारत सरकार की अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण	मास्टर डेवलपर और निवेशक को अतिरिक्त प्रोत्साहन सुनिश्चित करना।

30.2. सुर्खियों में रही अन्य योजनाएं/ पहलें (Other schemes/initiatives in news)

समर्थ योजना (SAMRATH- Schemes for Capacity Building in Taxtile sectors Scheme)

- **उद्देश्य: कपड़ा क्षेत्रक में कौशल अंतराल को समाप्त करना** और युवाओं को रोजगार प्रदान करना।
- **लक्ष्य:** 10 लाख व्यक्तियों (संगठित क्षेत्रक में 9 लाख और पारंपरिक क्षेत्रक में 1 लाख) को प्रशिक्षित करना।
- **अवधि:** मार्च 2024 तक
- यह **कौशल प्रदान करने** हेतु एक कार्यक्रम योजना है, जो **मांग संचालित होने के साथ-साथ प्लेसमेंट** पर भी केंद्रित है।

रणनीति

- आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS)
- प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण
- वेब आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS)
- प्रशिक्षण कार्यक्रम की CCTV रिकॉर्डिंग

© Vision IAS

31. पर्यटन मंत्रालय (MINISTRY OF TOURISM: MoT)

31.1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Scheme)

31.1.1. स्वदेश दर्शन 2.0 (Swadesh Darshan 2.0: SD2.0)

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

स्मरणीय तथ्य

प्रकार: यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।

अन्य उद्देश्य: देश में **संधारणीय और उत्तरदायित्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का विकास** करना।

लाभ: सर्किट्स के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।

कार्यान्वयन एजेंसी: केंद्र या राज्य सरकार द्वारा नामित की जाएगी।

उद्देश्य

- पर्यटन और संबद्ध अवसंरचना, पर्यटन सेवाओं आदि को शामिल करते हुए सतत व जिम्मेदार पर्यटन स्थलों का विकास करना।
- स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में पर्यटन के योगदान को बढ़ाना।
- पर्यटन क्षेत्रक में रोजगार सृजित करना, कौशल बढ़ाना और निजी क्षेत्रक के निवेश में वृद्धि करना।
- स्थानीय सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण प्रदान करना तथा बढ़ावा देना।

प्रमुख विशेषताएं

पृष्ठभूमि: **स्वदेश दर्शन योजना 2015 में** शुरू की गई थी। इस योजना के तहत अभी तक 76 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

© Vision IAS

योजना के तहत अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत

मुख्य सिद्धांत

- प्रमुख पर्यटन गंतव्यों के लिए मापदंड और मानक विकसित करना।
- संधारणीय और उत्तरदायित्वपूर्ण पर्यटन का विकास करना।
- गंतव्य और पर्यटक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना।
- नीतिगत और संस्थागत सुधार करना।
- घरेलू पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करना।
- पर्यटन गंतव्य का एकीकृत विकास करना।
- सतत आधार पर परिचालन और अनुरक्षण करना।
- अन्य केंद्रीय और राज्य योजनाओं के साथ समन्वय स्थापित करना।

पर्यटन के लिए प्रमुख थीम

पर्यटन थीम

- संस्कृति और विरासत
- साहसिक पर्यटन
- इको–टूरिज्म
- आरोग्यता से संबंधित पर्यटन
- MICE पर्यटन
- ग्रामीण पर्यटन
- समुद्र तटीय पर्यटन
- क्रूज– महासागरीय और अंतर्देशीय पर्यटन

राज्य परिप्रेक्ष्य योजना

अलग–अलग गंतव्यों की **पर्यटन क्षमता का विश्लेषण करते हुए राज्य द्वारा** तैयार किया जाएगा।

- **प्रमुख पर्यटन आकर्षण, सेवाएं और थीम।**
- **स्थानीय यात्रा सहित हवाई, रेल और सड़क मार्ग के माध्यम से कनेक्टिविटी।**
- **सभी पर्यटक सर्किट्स के लिए कनेक्टिविटी।**
- **गंतव्य स्थल पर वर्तमान पर्यटन पारितंत्र।**
- **गंतव्य स्थल पर भावी पर्यटन संभावना।**
- **गंतव्य स्थल के लिए राज्य का समर्थन।**

© Vision IAS

गंतव्य स्थल के लिए मास्टर प्लान

प्रमुख हस्तक्षेप

अनम्य हस्तक्षेप
- पर्यटन से सम्बंधित सेवाएं
- पर्यटन गतिविधियां
- स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वच्छता
- स्थल अवसंरचना
- परिसंचरण और यातायात

लचीला हस्तक्षेप
- पर्यटन से संबद्ध मुख्य उत्पाद
- विपणन और संवर्धन
- क्षमता निर्माण
- डिजिटाइजेशन/ GIS मैपिंग

गैर-स्वीकार्य परियोजना

ऐसी परियोजनाओं को इस योजना के तहत वित्त पोषित नहीं किया जाएगा, लेकिन किसी अन्य योजना के तहत राज्य द्वारा समर्थित किया जा सकता है।

गैर–स्वीकार्य परियोजना
- विकास के लिए भूमि अधिग्रहण
- पुनर्स्थापना और पुनर्वास पैकेज
- निजी संस्थाओं के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों/ संरचनाओं में सुधार/ निवेश करना।
- किसी जलीय निकाय (मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों) के बंधों का कायाकल्प/ ड्रेजिंग/ विकास।

© Vision IAS

32. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT)

32.1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Scheme)

32.1.1. मिशन शक्ति: एक एकीकृत महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम (Mission Shakti: An integrated women empowerment programme)

स्मरणीय तथ्य

प्रकार
यह एक केंद्रीय क्षेत्रक और केंद्र प्रायोजित योजना है।

उद्देश्य
जीवन–चक्र निरंतरता के आधार पर महिलाओं को प्रभावित करने वाली समस्याओं का समाधान करना।

निगरानी
महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए हब (Hub for Empowerment of Women: HEW) योजना के प्रदर्शन की निगरानी करेगा।

अवधि
2021–22 से 2025–26 तक

उद्देश्य

- महिलाओं का सशक्तीकरण करना और उन पर देखभाल के बोझ को कम करना। साथ ही, कौशल विकास आदि को बढ़ावा देकर महिला श्रम बल की भागीदारी को बढ़ाना।
- हिंसा से प्रभावित एवं पीड़ित महिलाओं को **तत्काल और व्यापक रूप से निरंतर देखभाल**, समर्थन व सहायता प्रदान करना।
- लोगों को सरकारी योजनाओं, क्षमता निर्माण एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण के बारे में जागरूक करना। साथ ही, सहयोगी मंत्रालयों/ विभागों के साथ सहयोग आदि के बारे में जानकारी देना।

मुख्य विशेषताएं

दो उप-योजनाएं

'संबल' महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा
- वन स्टॉप सेंटर (OSC)
- महिला हेल्पलाइन (181-WHL)
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
- नारी अदालत

केंद्र द्वारा 100% वित्त–पोषित

'सामर्थ्य' महिला सशक्तीकरण
- उज्ज्वला
- स्वाधार गृह
- कामकाजी महिला छात्रावास
- राष्ट्रीय शिशु गृह योजना
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

केंद्र और राज्यों द्वारा साझा वित्त–पोषित

संबल: महिलाओं की सुरक्षा व संरक्षा के लिए

वन स्टॉप सेंटर (OSC)

- इसके तहत **निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर हिंसा से प्रभावित व पीड़ित** महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत सहयोग एवं सहायता प्रदान की जाती है।

© Vision IAS

महिला हेल्पलाइन (Women Helpline: WHL)

- यह ऐसी महिलाओं, जिन्हें **आपातकालीन सेवाओं के लिए** सहायता और सूचना की आवश्यकता होती है, को 24 घंटे टोल–फ्री दूरसंचार सेवा प्रदान करता है। इन आपातकालीन सेवाओं में पुलिस/अग्निशमन/एम्बुलेंस सेवाएं और वन स्टॉप सेंटर जैसी सभी सेवाएं शामिल होती हैं।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP)

- इस अभियान के घटक बहु–क्षेत्रीय हस्तक्षेपों के माध्यम से देश के **सभी जिलों को शामिल** करते हैं। यह अभियान पहले **केवल 405 जिलों में** ही लागू था।
- इस योजना का **उद्देश्य शून्य बजट को बढ़ावा देना** है।
- जमीनी स्तर पर प्रभाव वाली गतिविधियों पर अधिक खर्च को प्रोत्साहित करना। उदाहरण के लिए लड़कियों के बीच खेलों को बढ़ावा देना तथा आत्मरक्षा शिविरों का आयोजन करना इत्यादि।

नारी अदालत या महिला समूह

- यह महिलाओं को **वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र** प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना है। इसमें महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले छोटे मोटे (उत्पीड़न, निष्कासन इत्यादि) मामलों को **ग्राम पंचायत स्तर पर** हल किया जाएगा।
- प्रतिबद्ध और सामाजिक रूप से सम्मानित महिलाओं को इसमें शामिल किया जाता है।
- चयनित सदस्यों को कोई पारिश्रमिक नहीं प्रदान किया जाएगा।
- बैठकों के आयोजन और सदस्यों को बैज़/ वर्दी प्रदान करने के खर्च को मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।

इसके लिए नारी अदालतों या महिला समूहों का उपयोग किया जाएगा

- योजनाओं में सुधार के लिए फीडबैक प्राप्त करना।
- सेवाओं के प्रभावी सार्वजनिक वितरण।
- जागरूकता पैदा करने हेतु जनता के साथ जुड़ाव।

सामर्थ्य: महिला सशक्तीकरण हेतु

शक्ति सदन

- एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह। इसमें तत्कालीन स्वाधार गृह और उज्जवला योजना भी शामिल हैं।
- यह निराश्रित, संकटग्रस्त, उपेक्षित, तस्करी के शिकार आदि के लिए एक आश्रय होगा।

अन्य प्रमुख सहयोग

वित्तीय सहायता: इसमें रहने वालों के लिए बैंक खाते खोले जाएंगे।

- प्रत्येक निवासी के खाते में प्रति माह 500 रुपये की राशि जमा की जाएगी।
- इस घर में रहने के दौरान खाताधारकों द्वारा पैसा नहीं निकाला जा सकता है।

इसमें रहने वालों के बच्चों के लिए सहयोग: ऐसे निवास में बच्चे अपनी मां के साथ रह सकते हैं।

- किसी भी उम्र की अविवाहित लड़कियों और 12 वर्ष की उम्र तक के लड़कों को यहां रहने की अनुमति होगी।
- 12 वर्ष से अधिक आयु के लड़कों को जे.जे. अधिनियम/ एकीकृत बाल संरक्षण योजना (ICPS) के तहत संचालित बाल गृहों में स्थानांतरित किया जाएगा।

© Vision IAS

मानव तस्करी विरोधी इकाइयां

- ये इकाइयां जिलों में तस्करी और व्यावसायिक लैंगिक शोषण से पीड़ितों के **'पुनः एकीकरण तथा समाज में पुनर्वापसी'** की सुविधा प्रदान करेंगी।

विधवाओं के लिए घर

- यह महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए संचालित अम्ब्रेला योजना के तहत एक केंद्रीय क्षेत्रक का घटक है।
- 1000 विधवाओं को रहने का एक सुरक्षित स्थान प्रदान करने के लिए।
- स्वास्थ्य सेवाओं, पौष्टिक भोजन, कानूनी और परामर्श सेवाओं की सुविधाएं दी जाती हैं।

पालना- क्रेच सुविधा (Creche Facility)

- सभी माताओं को क्रेच की सुविधा प्रदान करना, चाहे उनकी रोजगार की स्थिति कुछ भी हो।

एकीकृत पैकेज (मिशन पोषण 2.0 के अभिसरण में)
- डे केयर सुविधाएं
- 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक प्रोत्साहन
- 3 से 6 साल के बच्चों के लिए प्री–स्कूल शिक्षा
- पूरक पोषाहार (स्थानीय रूप से प्राप्त किया हुआ)
- विकास निगरानी और स्वास्थ्य जांच
- प्रतिरक्षण

प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) 2.0

- इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के आधार पर वर्ष 2017 से लागू किया जा रहा है। इसे **एकीकृत बाल विकास सेवाओं (ICDS)** के तहत लागू किया गया है।

गर्भवती और स्तनपान कराने वाली मां को सहायता
- **निःशुल्क भोजन:** गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के छह महीने बाद, स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से।
- वेतन के नुकसान के लिए आंशिक मुआवजा (6,000 रुपये तक)।

50/50 लिंगानुपात में सुधार
- पहले दो जीवित बच्चों के लिए लागू, बशर्ते कि दूसरी संतान एक लड़की हो।
- यहां तक कि अगर दूसरी गर्भावस्था के दौरान जुड़वाँ / तीन बच्चे / चार बच्चे पैदा होने पर एक या एक से अधिक बच्चे लड़की हों।

नियमित निगरानी

प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना–कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (PMMVY-CAS)

© Vision IAS

महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए हब (HEW)

- **इसे केंद्र तथा राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश और जिला स्तर** पर महिलाओं के लिए बनाई गई योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अंतर–क्षेत्रीय समन्वय की सुविधा हेतु बनाया जा रहा है।

जेंडर बजटिंग

- इस घटक के तहत **जेंडर बजटिंग तथा अनुसंधान एवं प्रकाशन और निगरानी से संबंधित योजनाओं** को शामिल किया गया है।
- इसमें आर्थिक सशक्तीकरण हेतु **गैप फंडिंग का एक नया घटक** भी जोड़ा गया है।

नोटः

- **जेंडर बजटिंग को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005–06** में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एक उपकरण के रूप में अपनाया गया था। साथ ही, इसका उद्देश्य सरकारी योजना और बजट के माध्यम से निरंतर निवेश सुनिश्चित करना था।
- **लैंगिक समानता के लिए वित्तपोषण** लैंगिक असमानताओं को कम करने का मुख्य उपाय है। जेंडर बजटिंग इस प्रयास में एक महत्वपूर्ण रणनीति है।
- साथ ही, महिला शक्ति केंद्र (MSK) और महिला पुलिस स्वयंसेवकों (MPV) की मौजूदा उप–योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है।

अन्य प्रमुख प्रावधान

अभिसरण

- वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए योजनाओं और प्रयासों के माध्यम से कुशलतापूर्वक तथा प्रभावी ढंग से अभिसरण रणनीति।

प्रस्तावों को मंजूरी

- राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के वित्तीय प्रस्तावों को अनुमोदित करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक **कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (PAB)** का गठन किया जाएगा।

जियो-टैगिंग

- मंत्रालय द्वारा सहायता प्राप्त सभी संस्थानों को वास्तविक समय के आधार पर मानचित्रण, विश्लेषण और निगरानी के लिए जियो टैग किया जाएगा।

सामाजिक लेखा परीक्षा

- उन लोगों से भी प्रत्यक्ष फीडबैक प्राप्त किया जाएगा जिन्होंने उचित साक्ष्य एकत्र करने के तरीकों के माध्यम से योजना के तहत सेवाओं का लाभ उठाया है।

राज्य सरकारों द्वारा पूरी की जाने वाली अनिवार्य शर्तें

- मंत्रालय की सभी योजनाओं में सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) के आधिकारिक नाम (स्थानीय भाषा में सही अनुवाद की अनुमति है) का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही, CSS की ब्रांडिंग के संबंध में केंद्र द्वारा जारी किसी भी दिशा–निर्देश/निर्देश का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा।
- CSS के तहत धन जारी करने की नई प्रक्रिया या इस विषय पर समय–समय पर जारी कोई अन्य निर्देश के संबंध में व्यय विभाग के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन।

© Vision IAS

32.1.1.1. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ {Beti Bachao Beti Padhao (BBBP)}

स्मरणीय तथ्य

उद्देश्य
देश भर में जिस तरह से बालिकाओं के बारे में सोच बनी हुई है, उसमें व्यवहारिक और सामाजिक परिवर्तन लाना।

वित्तपोषण
केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषण प्रदान किया जाता है।

नकद लाभ
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) या पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

कवरेज
देश के सभी जिले।

उद्देश्य

- **जन्म के समय लिंगानुपात (SRB)** में प्रति वर्ष 2 अंकों का सुधार करना।
- संस्थागत प्रसव के प्रतिशत में सुधार अथवा 95% या उससे अधिक की दर पर बने रहना।
- प्रति वर्ष पहली तिमाही **प्रसव–पूर्व देखभाल (Anti–Natal Care: ANC)** पंजीकरण में 1% की वृद्धि करना।
- प्रति वर्ष माध्यमिक शिक्षा स्तर पर नामांकन और लड़कियों/महिलाओं के कौशल में 1% की वृद्धि करना।
- माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के बीच ड्रॉपआउट दर की जांच करना।
- सुरक्षित **मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (Menstrual Hygiene Management: MHM)** के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

मुख्य विशेषताए

पृष्ठभूमि
- BBBP योजना को 2015 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य जीवन चक्र निरंतरता में संबंधित मुद्दों के साथ–साथ **बाल लिंग अनुपात (CSR)** में गिरावट की समस्या का समाधान करना है।

मुख्य फोकस
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य **देश भर में जिस तरह से बालिकाओं के बारे में सोच बनी हुई है, उसमें व्यावहारिक और सामाजिक परिवर्तन लाना** है। यह सभी हितधारकों को सूचित करने, प्रभावित करने, प्रेरित करने, संलग्न करने और सशक्त बनाने के द्वारा किया जाएगा।

© Vision IAS

बहु-क्षेत्रीय हस्तक्षेप

प्रमुख मंत्रालयों में शामिल हैं

- शिक्षा मंत्रालय
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
- कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- पंचायती राज मंत्रालय
- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
- ग्रामीण विकास मंत्रालय

क्षमता निर्माण

- जिला परिषद, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) आदि में अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों, चिकित्सकों, अधिकारियों को संवेदनशील बनाना।

बाल विवाह को रोकना

- **बाल विवाहों पर नजर रखना** और उन्हें **रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करना।**

सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संवाद (Social and Behaviour Change Com-munication: SBCC)

व्यवहार परिवर्तन के लिए प्रमुख गतिविधियां

- **प्रति वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस** के रूप में मनाया जाता है।
- लड़कों की तुलना में जन्म लेने वाली लड़कियों की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए ग्राम पंचायतों (GPs) और सार्वजनिक स्थानों पर **गुड्डी–गुड्डा बोर्डों का प्रदर्शन।**
- लड़कियों का महत्व और उनकी जरूरतों को बेहतर ढंग से समझने के लिए **माता–पिता/ परिवारों के साथ जागरूकता गतिविधियां।**

गतिविधि कैलेंडर

- इस कैलेंडर में जिलों के लिए प्रत्येक माह के भीतर कई गतिविधियां करना तय किया गया है।
- हालांकि, जिले अपने स्थानीय संदर्भ और जरूरतों के आधार पर अपनी गतिविधियों का संचालन करने का विकल्प चुन सकते हैं।

वित्त पोषण

- केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा।
- जिलों को धनराशि का आवंटन जिलों की विभेदक SRB स्थिति के आधार पर किया गया है।

जिला स्तरीय स्कोर कार्ड

- इसे मिशन शक्ति MIS से निकाले गए आंकड़ों के आधार पर बनाया जाएगा।
- जिला स्कोर कार्ड के अनुसार वार्षिक जिला BBBP रैंकिंग जारी की जाएगी।
- इस डेटा का उपयोग राज्य के प्रदर्शन को मापने के लिए किया जाएगा।

© Vision IAS

कार्यान्वयन

- मिशन शक्ति शासनादेश के तहत बनाई गई समिति कार्यान्वयन की समीक्षा करने वाली शीर्ष समिति होगी। इसकी अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) के सचिव द्वारा की जाएगी।

32.1.2. सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (Saksham Anganwadi And Poshan 2.0)

केंद्र प्रायोजित योजना

स्मरणीय तथ्य

प्रकार

केंद्र प्रायोजित योजना।

अन्य उद्देश्य

पोषण–युक्त खाद्य के जरिए कुपोषण की चुनौतियों को दूर करना।

योजना का मूल्यांकन

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) द्वारा नामांकित किसी प्रतिष्ठित तीसरे पक्ष द्वारा।

अवधि

2021–22 से 2025–26 तक।

उद्देश्य

- देश के **मानव पूंजी विकास** में सहयोग प्रदान करना और **कुपोषण संबंधी** चुनौतियों का समाधान करना।
- संधारणीय स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए पोषण संबंधी जागरूकता और **खान–पान की उचित आदतों** को बढ़ावा देना।

प्रमुख विशेषताएं

पृष्ठभूमि

- यह **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013** के तहत एक **एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम** है।
  - पहले **इस योजना को आंगनवाड़ी सेवा योजना (ASS) के नाम से जाना जाता** था।
  - **छह में से तीन सेवाओं** को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) और पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से संचालित किया जाता है।

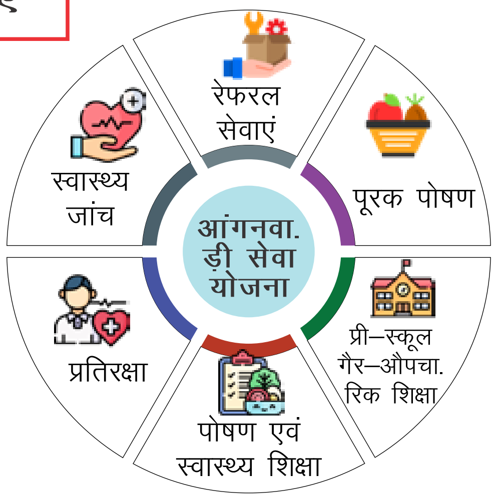

लाभार्थी

- 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे
- गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं (PW&LM)
- आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर राज्यों में किशोरियां (14–18 वर्ष)

मुख्य घटक

- पोषण (POSHAN) और किशोर लड़कियों के लिए आहार सहायता।
- प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा (3–6 वर्ष) तथा प्रारंभिक प्रोत्साहन (0–3 वर्ष)।
- प्रतिवर्ष 40,000 आंगनवाड़ी केन्द्रों की दर से देश भर में 2 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों को सुदृढ़ किया जाएगा। उन्हें सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में उन्नत किया जाएगा।
- पोषण में सुधार के एजेंडे को जन आंदोलन में बदलने के लिए पोषण अभियान।

© Vision IAS

आहार विविधता

स्थानीय आहार आगतों और ताजा उपज (हरी सब्जियां, फल, औषधीय पौधे और जड़ी–बूटियां), फोर्टिफाइड चावल तथा मोटे अनाज को सक्रिय रूप से से प्रोत्साहित किया जाएगा।

सप्ताह में कम से कम एक बार मोटे अनाज की आपूर्ति अनिवार्य रूप से करनी होगी। इसे टेक होम राशन (कच्चा राशन नहीं) और गर्म पका हुआ भोजन (Hot Cooked Meals: HCM) में उपयुक्त रूप से एकीकृत किया जाना चाहिए।

पोषण वाटिका

- **पोषण (POSHAN) वाटिका** (रसोई उद्यान और पोषक उद्यान) को जहां भी संभव हो, आंगनवाड़ी केंद्रों में या सरकार के नेतृत्व वाले स्कूलों और ग्राम पंचायत भूमि में स्थापित किया जाएगा।

पारंपरिक ज्ञान का लाभ उठाना

- **आयुष (AYUSH) पद्धतियों** के माध्यम से बौनापन और एनीमिया के अलावा दुबलापन व कम वजन के प्रसार में कमी लाना।

समुदाय का सहयोग

- कार्यक्रम को चलाने के लिए आंगनवाड़ी कर्मचारियों को सामुदायिक सहयोग एवं भागीदारी को शामिल करना चाहिए।

पोषण ट्रैकर

1. प्रौद्योगिकी मंच 'पोषण ट्रैकर' पारदर्शिता को बढ़ाएगा।
2. लाभार्थियों के मध्य मौजूदा पोषण संबंधी कमियों की त्वरित पहचान में मदद करेगा।
3. पोषण सेवा वितरण की लास्ट माइल ट्रैकिंग को सुनिश्चित करेगा।
4. सक्षम आंगनवाड़ियों में प्रारंभिक बाल विकास के लिए अनुकूल वातावरण को तैयार करने में सहयोग करेगा।

लाभार्थी का पंजीकरण

सभी लाभार्थियों के लिए है बशर्ते लाभार्थी ने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र में अपनी आधार पहचान का पंजीकरण करा रखा हो।

बच्चे के आधार कार्ड की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है तथा इसकी जगह माता के आधार कार्ड का उपयोग करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

आधार कार्ड प्राप्त करने में भी लाभार्थी को सहायता प्रदान की जाएगी।

जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका

- **जिला मजिस्ट्रेट**, पोषण स्तर और गुणवत्ता मानकों की निगरानी के लिए **जिले में नोडल प्वाइंट के रूप में कार्य** करेगा।

सामाजिक लेखा परीक्षा

- पोषण पंचायतों, माताओं के समूहों और ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियों (VHSNCs) जैसे हितधारकों के सहयोग से **सामाजिक लेखा परीक्षा** को संचालित किया जाएगा।

नोट: पोषण अभियान 1.0 (राष्ट्रीय पोषण मिशन) को वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। इस नीति का लक्ष्य छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोर लड़कियों के मध्य स्टंटिंग, अल्प–पोषण, एनीमिया को कम करना है। इसके अलावा जन्म के समय अल्प वजन की समस्या को क्रमशः 2%, 2%, 3% और 2% प्रति वर्ष तक कम करना है।

© Vision IAS

32.1.3. मिशन वात्सल्य (Mission Vatsalya)

केंद्र प्रायोजित योजना

प्रकार
यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

अन्य उद्देश्यः
प्रत्येक बच्चे के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना तथा उन्हें अपनी पूरी क्षमता के उपयोग में सक्षम बनाना।

स्मरणीय तथ्य

राज्यों को वित्त–पोषण
मिशन वात्सल्य परियोजना अनुमोदन बोर्ड (PAB) के अनुमोदन के साथ महिला एवं बाल विकास सचिव द्वारा प्रदान

अवधि
2021–22 से 2025–26 तक।

उद्देश्य

- बच्चों के **जीवन यापन, विकास, संरक्षण और भागीदारी के अधिकार** को सुनिश्चित करना।
- बच्चों का समर्थन करने के लिए **निजी क्षेत्र की भागीदारी और हस्तक्षेप को प्रोत्साहित** करना।
- **बच्चों के सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर समुदाय और स्थानीय निकायों** को हितधारक के रूप में शामिल करना और **जन जागरूकता बढ़ाना**।
- सभी स्तरों पर **इसके लिए उत्तरदायी इकाई और सेवा प्रदाताओं की क्षमताओं का बढ़ाना।**

प्रमुख विशेषताएं

पृष्ठभूमि

- मिशन में पहले से चली आ रही **बाल संरक्षण सेवाएं (CPS)** और बाल कल्याण सेवाएं को शामिल किया गया है।
- **किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण प्रणाली को मजबूत** करने के साथ–साथ **बाल अधिकारों, सहायता प्रयासों और जागरूकता पर जोर** देना।
- ***कोई बच्चा वंचित न रह जाए'** इसका आदर्श वाक्य है।

योजना के लिए विधायी निर्देश

- **किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम (जे.जे. अधिनियम), 2015**
- **लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012**

मुख्य घटक

- सांविधिक निकायों के कामकाज में सुधार करना।
- सेवा वितरण सेवाओं को सुदृढ़ करना।
- संस्थागत देखभाल/सेवाओं को उन्नत बनाना।
- गैर–संस्थागत समुदाय–आधारित देखभाल को प्रोत्साहित करना।
- उत्तरदायी इकाई को प्रशिक्षण प्रदान करना और उनका क्षमता निर्माण करना।

© Vision IAS

संस्थागत सेवाएं

- **बाल देखभाल संस्थान (CCIs)**: बच्चों की आवासीय देखभाल के लिए राज्य सरकार को हर जिले या जिलों के समूह में CCIs की स्थापना के लिए अधिदेशित किया गया है।
- **स्वच्छता कार्य योजना (SAP)**: CCIs के लिए SAP राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विकसित की जाएगी।

CCIs के प्रकार

- **देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए (CNCP)**: बाल गृह, ओपन शेल्टर, विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियां (SAA), क्रैडल बेबी रिसेप्शन सेंटर।
- **भारतीय दंड संहिता और विशेष और स्थानीय कानून अपराधों के तहत कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे (CCL)**: निरीक्षण गृह, विशेष घर, सुरक्षित स्थान।
- **वात्सल्य सदन**: किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के कार्यान्वयन के लिए एकल परिसर के भीतर CCI, किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति का गठन।

बच्चों के लिए गैर-संस्थागत देखभाल सेवाएं

- **आर्थिक संरक्षण**: संयुक्त परिवारों / जैविक रिश्तेदारों के साथ रहने वाले कमजोर बच्चों को वित्तीय सहायता।
- **पालन पोषण संबंधी देखभाल**: बच्चे के पालन–पोषण के लिए जैविक रूप से असंबंधित पालक माता–पिता को वित्तीय सहायता।
- **गोद लेना/दत्तक ग्रहण**: विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी (SAA) द्वारा दत्तक ग्रहण की सुविधा।
- **बाद की देखभाल**: 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर CCI से बाहर आने वाले बच्चों को वित्तीय सहायता। (21 वर्ष तक की सहायता जिसे 23 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जा सकता है)।

पी.एम. केयर्स योजना के अंतर्गत बच्चे

- **गैर-संस्थागत देखभाल के लिए**: 4000/– रुपये प्रति माह प्रति बच्चे की दर से वित्तीय सहायता (अभिभावक के खाते में) प्रदान की जाएगी।
- **संस्थागत देखभाल के अधीन आने वाले बच्चों के लिए**: बाल देखभाल संस्थानों को 3000/– रुपये प्रति माह की दर से भरण–पोषण अनुदान प्रदान की जाएगी।
- **राज्य द्वारा समर्थन**: राज्य योजना के तहत बच्चों के लिए के लिए अतिरिक्त रूप से निर्वाह सहायता हेतु कोई प्रावधान किया जा सकता है।

© Vision IAS

कार्यान्वयन के लिए संस्थागत ढांचा

- **राज्य बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति:** योजना के पर्यवेक्षण हेतु।
- **राज्य बाल संरक्षण सोसायटी (SCPS):** योजना के कार्यान्वयन के लिए।
- **प्रत्येक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र में राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (SARA):** CARA का समर्थन करने के

- जलाधिकारी के अधीन जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति।
- JJ अधिनियम के तहत जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JB) का गठन।

- बच्चों के साथ पुलिस इंटरफेस के समन्वय और उन्नयन के लिए विशेष किशोर पुलिस इकाइयां।

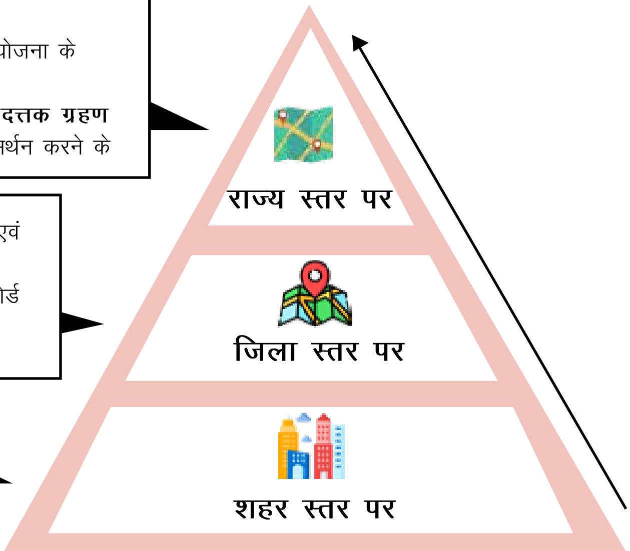

***बच्चों के साथ पुलिस इंटरफेस** के समन्वय और उन्नयन के लिए विशेष किशोर पुलिस इकाइयों में पुलिस अधिकारियों को **बाल कल्याण अधिकारियों** के रूप में नामित किया गया है।

मिशन वात्सल्य पोर्टल

- कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों से जुड़े विभिन्न MIS के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म।

मिशन वात्सल्य पोर्टल के तहत निम्नलिखित को एकीकृत किया जाएगा:

ट्रैक चाइल्ड (लापता/ पाए गए बच्चों के लिए)	**केयरिंग** (बच्चों को गोद लेने के लिए)	**खोया–पाया** (लापता और दृष्टिबाधित के संबंध में नागरिक केंद्रित आवेदन हेतु)	**एकीकृत बाल संरक्षण योजना (ICPS) पोर्टल** (योजनाओं की निगरानी के लिए)

चाइल्ड हेल्पलाइन

- मिशन वात्सल्य, राज्यों और जिलों के साथ साझेदारी में तथा जे.जे. अधिनियम, 2015 के तहत निर्दिष्ट बच्चों के लिए **24×7 हेल्पलाइन** सेवा निष्पादित करेगा।

राज्यों के लिए दायित्व

- योजना के तहत केंद्रीय फंड और लाभों का उपयोग करने के लिए **राज्यों को केंद्र द्वारा दिए गए आधिकारिक नाम को बनाए रखना** होगा।

© Vision IAS

33. नीति आयोग (NITI AAYOG)

33.1. हाल ही में शुरू की गई नई योजनाएं (Newly Launched Schemes)

आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (Aspirational Block Programme)

- **पृष्ठभूमि:** आकांक्षी जिला कार्यक्रम के मॉडल पर आधारित।
- **उद्देश्य:** स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे जैसी आवश्यक सरकारी सेवाओं की संतृप्ति।
- **कवरेज:** देश में 500 ब्लॉक।

33.2. सुर्खियों में रही अन्य योजनाएं/ पहलें (Other schemes/initiatives in news)

आकांक्षी जिलों का कायाकल्प कार्यक्रम (Transformation of Aspirational Districts Programme: TADP)

- **उद्देश्य:** देश के **कुछ सबसे अविकसित जिलों** को शीघ्रता से और प्रभावी ढंग से बदलना।
- **कवरेज:** 112 आकांक्षी जिलों (शुरू में 117) को गरीबी, खराब स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे की कमी के आधार पर चुना गया था।
- यह कार्यक्रम प्रत्येक जिले की क्षमता पर केंद्रित है, जो तत्काल सुधार के लिए आसान लक्ष्यों की पहचान करता है।
- कार्यक्रम को 5 प्रमुख विषयगत क्षेत्रों में 49 संकेतकों द्वारा ट्रैक किया जाता है
- डैशबोर्ड रियल टाइम आधार पर प्रगति को दर्शाता है।

कार्यक्रम के तीन मूल सिद्धांत

- जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा
- सहयोग (नागरिकों और सरकार (केंद्र, राज्य, जिला) के पदाधिकारियों के बीच।
- अभिसरण (केंद्रीय और राज्य योजनाओं का)।

थीम

- स्वास्थ्य और पोषण 30%
- शिक्षा 30%
- कृषि एवं जल संसाधन 20%
- वित्तीय समावेशन 5%
- कौशल विकास 5%
- बुनियादी ढांचा 10%

© Vision IAS

8 IN TOP 10 SELECTIONS IN CSE 2021

from various programs of VisionIAS

CIVIL SERVICES EXAMINATION 2020

2 AIR

ANKITA AGARWAL

1 AIR

SHUBHAM KUMAR

3 AIR

GAMINI SINGLA

4 AIR

AISHWARYA VERMA

5 AIR

UTKARSH DWIVEDI

6 AIR

YAKSH CHAUDHARY

7 AIR

SAMYAK S JAIN

8 AIR

ISHITA RATHI

9 AIR

PREETAM KUMAR

HEAD OFFICE Apsara Arcade, 1/8-B, 1st Floor, Near Gate 6, Karol Bagh Metro Station

WWW.VISIONIAS.IN
8468022022

DELHI JAIPUR HYDERABAD PUNE AHMEDABAD LUCKNOW CHANDIGARH GUWAHATI RANCHI PRAYAGRAJ BHOPAL

enquiry@visionias.in /c/Visiioniasdelhi /visionias.upsc vision_ias www.visionias.in /visionias_UPSC